रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2013/अग्रहायण 8, 1935
No. 585] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2013/AGRAHAYANA 8, 1935

IndiaCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2013

सा.का.नि. 759(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) अधिनियम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर अधिनियम, 2012 (2012 का 38) अभिप्रेत है

(ख) निदेशक से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है

(ग) संस्थान से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान बंगलोर अभिप्रेत है

(घ) अध्यक्ष से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है

(ङ) धारा से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. गैर चिकित्सा वैज्ञानिक और चिकित्सा संकाय प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन.–(1) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के खंड (i) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर चिकित्सा वैज्ञानिक संस्थान के अतिरिक्त प्रोत्साहन और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए छः अन्य व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट करेगी :

परंतु यह कि तीन व्यक्ति जिसमें से एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर से भिन्न केंद्रीय सरकार के अधीन किसी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान से होगा, और दो मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान से संबंधित विद्या विशेष ख्याति प्राप्त किसी मान्यता संस्थान से होंगे :

परंतु यह और कि तीन अन्य वैज्ञानिक नामनिर्दिष्ट होंगे जिनमें किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैविक, व्यवहार संबंधी और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का ख्याति प्राप्त एक–एक व्यक्ति होगा।

(2) केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (2) के अधीन सदस्यों के नामनिर्देशन के प्रयोजन के लिए भारतीय विष्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकायों के चार प्रतिनिधि में से एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान से संबंधित विभिन्न विद्या विशेष से होगा।

4. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.– पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य के कार्यालय में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन या चुनाव द्वारा भरी जाएगी।

5. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य.– अध्यक्ष निम्न करेगा –

(i) संस्थान के कारबार के संचालन के लिए ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो संस्थान द्वारा उसमें निहित की जाए ;

(ii) संस्थान के कार्यों और उसकी प्रगति की सामयिक समीक्षा करने की शक्ति होगी ;

(iii) संस्थान की बैठकें बुलाना और प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ;

(iv) शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना; और

(v) यदि अवश्यक हो, संस्थान के सोसाइटी के अन्य सदस्यों को सलाह देना।

6. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते.–(1) संस्थान के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य कोई भत्ता या पारिश्रमिक लेने के हकदार नही होंगे और, तथापि यात्रा और दैनिक भत्ते, ले सकेगा यदि कोई हो। जिसका वह अधिनियम की धारा 31 के अधीन विरचित विनियमों के अंतर्गत लेने का पात्र है ।

(2) उप नियम (1) की कोई बात ऐसे निदेशक को लागू नहीं होगी जो निदेशक के पद से संलग्न वेतन और भत्ते ले सकता है ।

7. स्थायी समितियां,– (1) एक स्थायी वित्त समिति गठित की जाएगी, जिसमें वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधित्व के लिए संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का सदस्य भी होगा ।

(2) संस्थान अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (5) के अनुसार एक शैक्षणिक समिति, एक संपदा समिति, एक स्थायी चयन समिति, अस्पताल प्रबंधन समिति, योजना और मॉनिटरी समिति, प्रतितोष समिति, पुनर्वासन समिति या किसी अन्य स्थायी या तदर्थ समितियों को भी गठित कर सकेगा ।

(3) स्थायी वित्त समिति को निम्नलिखित मामले निर्दिष्ट किए जाएंगे, जो उन पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी, अर्थात् :–

(क) संस्थान की प्राप्तियां और व्यय दर्शाने वाले वार्षिक लेखे के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट ;

(ख) संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियाँ और व्यय दर्शाने वाले बजट प्राक्कलन;

(ग) सभी नए पद (पदों) के सृजन के लिए प्रास्थापन ;

(घ) संस्थान से संबंध रखने वाले निवादाओं की स्वीकृति से भिन्न सभी वित्तीय मामले ; और

(ङ) ऐसे सभी मामले, जो पांच करोड रुपये से अधिक की निवादाओं के आमंत्रण और स्वीकृति से संबंधित हैं ।

8. पद को सृजित करना और उन पर नियुक्तियां करना –

(1) संस्थान, बजट में विनिर्दिष्ट उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अध्यधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पर पद को सृजित कर सकेगा, उनका श्रेणियों में वर्गीकरण करेगा और उनके पदनाम विनिर्दिष्ट करेगा :

परंतु यह कि अपर आचार्य स्तर के किसी पद का सृजन, सिवाय केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के नहीं किया जाएगा ;

परंतु यह और कि पदों के सृजन की शक्तियों का प्रयोग करते समय केन्दीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों, आर्थिक उपायों का यथा अनुपालन भी किया जायेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से संस्थान द्वारा निदेशक के पद पर नियुक्ति होगी ।

IndiaCode

(3) अध्यक्ष, निदेशक के छुट्टी पर जाने या पद त्याग या किसी अन्य घटना क्रम में पद के रिक्त होने पर और नये निदेशक की नियुक्ति के समय तक के लिए चिकित्सा संकाय के ज्येष्ठतम आचार्य को छह मास से अनधिक अवधि के लिए निदेशक के कृत्यों को देखने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

परंतु यह कि संस्थान संकाय सदस्यों में से किसी व्यक्ति को उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं छह मास से अनधिक अवधि के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

यह और कि यदि ऐसी नियुक्ति की अवधि छः मास से अधिक होने की संभावना है तो ऐसी नियुक्ति को छह मास के पश्चात्, विस्तार प्रदान करने के पहले केन्द्रीय सरकार कीण् पूर्व अनुमति ली जाएगी ।

(4) संस्थान में भर्ती की पद्यति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और विभिन्न पदों पर नियुक्तियों से संबंधित अन्य विषयों और सेवा की शर्तें वह होंगी जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका—विज्ञान संस्थान, बंगलोर विनियम, 2013, में विनिर्दिष्ट हैं ।

(5) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका—विज्ञान मानित विश्वविद्यालय के कर्मचारी स्वतः राष्ट्रीय महत्व के इस नये संस्थान के सदस्य बन जाएंगे और उनके वेतन और सेवा की शर्तें वही बनी रहेंगी ।

9. बजट प्राक्कलन— संस्थान की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों को दर्शित करने वाला वार्षिक बजट नीचे विनिर्दिष्ट रूप से और ऐसे प्रारूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित की जाय दो भागों में तैयार की जाएगी और उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुबद्ध तारीख तक तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्;

भाग एक — गैर योजना व्यय से संबंधित, और

भाग दो — योजना व्यय से संबंधित

10. संस्थान की निधि में जमा और उससे आहरण —

(1) संस्थान की निधि में जमा की गई सभी रकम बंगलोर में राष्ट्रीकृत बैंक की किसी भी शाखा में जमा किया जाएगा ।

(2) निदेशक के द्वारा निधि संचालित होगी और निधि से आहरण निदेशक या निदेशक के द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत संस्थान के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक द्वारा किया जाएगा ।

(3) सभी बिलों के भुगतान के लिए संस्थान के लेखा अधिकारी द्वारा उसकी प्राथमिक जांच की जाएगी ।

11. वार्षिक लेखाओं के विवरण —

(1) संस्थान की वार्षिक लेखाओं का विवरण जिसके अंतर्गत तुलन पत्र भी है, ऐसे प्रारूप में होगा जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित किया जाए ।

(2) 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रत्येक वर्ष से संबंध रखने वाले विवरणों को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय यथा अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ ऐसे समय तक केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएगी जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित किया जाय ।

12. वार्षिक रिपोर्ट — धारा 20 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से संबंधित होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ ऐसे समय तक केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित किया जाए ।

13. विवरणी— संस्थान विवरणियों और सूचना को ऐसे प्रारूप और रीति में देगा जैसा सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाए ।

[फा. सं. वी. 18013/08/2012—पी.एच.—1]

सुश्री सुजया कृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013.

G.S.R. 759(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.–

(1) These rules may be called the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

IndiaCode

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012);

(b) "Director" means the Director of the Institute;

(c) "Institute" means the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore;

(d) "President" means the President of the Institute;

(e) "section" means a section of the Act.

3. Nomination of representatives of non-medical scientists and medical faculties.—

(1) For the purpose of nomination of members under clause (j) of sub-section (1) of section 5 of the Act, the Central Government, in addition to one non-medical scientist representing Indian Sciences Congress Association, shall nominate another six persons having due regard to the furtherance and objects of the Institute:

Provided that three persons shall be nominated from medical scientists, out of which one shall be from any Mental Health and Neuro-Sciences Institute under Central Government, other than National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore, and two from any recognised Institutes of repute in disciplines pertaining to mental health and neuro sciences:

Provided further that another three scientists nominated shall be one each from the disciplines of biological; behavioural and physical sciences, of repute, from any recognised University.

(2) For the purpose of nomination of members under clause (k) of sub-section (1) of section 5 of the Act, the Central Government shall nominate four representatives of medical faculties from Indian Universities of which one shall be from the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore and the representatives so nominated shall be from different disciplines pertaining to mental health and neuro sciences.

4. Filling up of casual vacancies. —Any casual vacancy in the office of a member, other than *ex officio* member, shall be filled by nomination or election, as the case may be, in accordance with the provisions of section 5 of the Act.

5. Powers and functions of the President.—The President shall -

(i) perform such duties and exercise such powers for the conduct of business of the Institute, as may be vested in him by the Institute;

(ii) have powers to review periodically the work and progress of the Institute;

(iii) convene meetings of the Institute and preside over every meetings;

(iv) act as Chairperson of the Governing Body; and

(v) offer advice to other members of the Society, if needed.

6. Allowances of President, Vice-President and Members.—(1) The President, Vice-President or any member of the Institute shall not be entitled to any allowance or other remuneration and shall, however, draw the travelling and daily allowances, if any, to which he may be eligible under the regulations framed under section 31of the Act.

(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to the Director who may draw the salary and allowances attached to the post of Director.

7. Standing Committees.—(1) There shall be constituted a Standing Finance Committee, which shall include the member not below the rank of Joint Secretary representing the Ministry of Finance.

(2) The Institute may also constitute an Academic Committee, an Estate Committee, a Standing Selection Committee, Hospital Management Committee, Planning and Monitoring Committee, Grievance Redressal Committee, Rehabilitation Committee or any other standing or a*d hoc* Committees in accordance with sub-section (5) of section 11 of the Act.

(3) The following matters shall be referred to the Standing Finance Committee, which shall consider them and make its recommendations thereon, namely:-

(a) annual accounts showing the receipts and expenditure of the Institute together with the audit report thereon;

(b) budget estimates showing the estimated receipts and expenditure of the Institute;

(c) all proposals for the creation of new post(s);

(d) all financial matters pertaining to the Institute other than acceptance of tenders; and

(e) all matters relating to the invitation and acceptance of tenders above rupees five crore.

8. Creation of posts and appointments made thereto.—(1) The Institute may create posts, subject to specific provision in the budget, and the instructions of the Central Government issued from time to time, on such pay band and grade pay or pay scale as are approved by the Central Government, classify them into grades and specify their designations:

Provided that no post above the Additional Professor level shall be created except with the prior approval of the Central Government:

Provided further that while exercising the powers for creation of posts as also for observing economy measures, the instructions issued by Central Government from time to time shall be adhered to.

(2) The appointment to the post of Director shall be made by the Institute with the prior approval of the Central Government.

(3) In the event of the Director proceeding on leave or resigning or the post falling vacant in any other eventuality and till such time a new Director is appointed, the President may appoint the senior most Professor from among the medical faculty to look after the functions of the Director for a period not exceeding six months:

Provided that the Institute may appoint, for reasons to be recorded in writing, any person from among the medical faculty as Director for a period not exceeding six months:

Provided further that if the period of such appointment is likely to exceed six months, prior approval of the Central Government shall be taken before granting extension of such appointment beyond six months.

(4) The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating to appointment to various posts, and the conditions of service in the Institute shall be as specified in the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Regulations, 2013.

(5) The employees of National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences Deemed University shall automatically become the employees of the new Institute of national importance and their pay and allowances and other service conditions shall continue to be the same.

9. Budget Estimates.—The annual budget showing the estimated receipts and expenditure of the Institute shall be prepared in two parts as specified below and they shall be in such form as may be laid down by the Central Government and shall be submitted to it in triplicate by the date stipulated by the Central Government, namely:

Part I- relating to Non-plan expenditure, and

Part II- relating to Plan expenditure.

10. Deposits into and withdrawals from Fund of Institute.—(1) All moneys credited to the Fund of the Institute shall be deposited in any branch of a nationalised bank, at Bangalore.

(2) The said Fund shall be operated by the Director and withdrawals from the Fund shall be made by cheques signed by the Director or an officer of the Institute duly authorised by the Director on his behalf.

(3) All bills for payment shall be pre checked by an Accounts Officer of the Institute.

11. Annual Statement of Accounts.—(1) The annual statement of accounts including the balance sheet of the Institute shall be in such form as may be laid down by the Central Government.

(2) The statements pertaining to each financial year ending 31st day of March together with the audit report thereon shall be forwarded to the Central Government, together with such number of spare copies thereof as may be required by the Central Government from time to time, by such time as may be laid down by the Central Government.

12. Annual Reports.—(1) The annual report referred to in Section 20 shall relate to the financial year ending on the 31st day of March and shall be submitted to the Central Government, together with such number of copies as may be required by the Central Government, by such time as may be laid down by the Central Government.

13. Returns.—The Institute shall furnish to the Central Government returns and information in such form and manner as may be required by the said Government.

[F. No. V-18013/08/2012-PH-I]

Ms. SUJAYA KRISHNAN, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवंबर, 2013

सा.का.नि. 760(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका—विज्ञान संस्थान, बंगलोर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) की धारा 31 के साथ पाठित उप—धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है; अर्थात्:—

IndiaCode

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर विनियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(i) ''अधिनियम'' से इन विनियमों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर, अधिनियम, 2012 (2012 का 38) अभिप्रेत है;

(ii) ''उपाबंध'' से इन विनियमों की अनुसूची के उपाबंध अभिप्रेत हैं;

(iii) ''सभापति'' से संस्थान के शासी निकाय का सभापति अभिप्रेत है;

(iv) ''निदेशक'' से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(v) ''मूल नियम'' से केंद्रीय सरकार के सेवकों को यथा रूप लागू होने वाले मूल नियम अभिप्रेत है;

(vi) ''साधारण वित्तीय नियम'' से केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंध और नियंत्रण के लिए विरचित नियम अभिप्रेत है;

(vii) ''निम्हान्स'' से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर अभिप्रेत है;

(viii) ''अध्यक्ष'' से संस्थान का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ix) ''प्राप्ति और भुगतान नियम'' से केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और भुगतान नियम) 2013, अभिप्रेत है;

(x) नियम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर नियम, 2013 अभिप्रेत है;

(xi) ''अनुसूची'' से इन विनियमों कि अनुसूची अभिप्रेत है;

(xii) ''सचिव'' से संस्थागत और शासी निकाय का सदस्य–सचिव अभिप्रेत है;

(xiii) ''स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों'' से अधिनियम कि उप धारा (5) के अधीन गठित क्रमशः स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां अभिप्रेत है;

(xiv) ''अनुपूरक नियम'' से केन्द्रीय सरकार के सेवकों को लागू अनुपूरक नियम अभिप्रेत हैं जो मूल नियमों के अध्यधीन हैं;

(2) इस विनियम में प्रयुक्त शब्दों और वाक्यांशों जो परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिया गया है ।

3. संस्थान की बैठकों का समय और स्थान.–संस्थान प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा समय –समय पर अवधारित किया जाय ।

4. संस्थान की बैठक बुलाने की शक्ति.–(1) अध्यक्ष, किसी भी समय संस्थान की बैठक बुला सकेगा, और जब उससे पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्यों के द्वारा उस प्रयोजन के लिए विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप से बैठक बुलाने की मांग की जाय वहां भी वह ऐसी बैठक बुला सकेगा ।

(2) अध्यक्ष, संस्थान की असाधारण बैठक को लिखित रूप से कम से कम पूरे सात दिन पूर्व सूचना देकर बुला सकेगा, और जहां उससे पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्यों के द्वारा उस प्रयोजन के विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप से बैठक बुलाने की माँग की जाय वहां भी वह ऐसी बैठक बुला सकेगा ।

5. संस्थान की बैठक के लिए सूचना.–(1) संस्थान की साधारण बैठक के लिए, अध्यक्ष के द्वारा यथा अनुमोदित बैठक के स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सचिव के द्वारा एक सूचना ऐसे बैठक बुलाये जाने की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले रजिस्टर्ड डाक द्वारा सदस्यों को भेजी जाएगी, और ऐसी सूचना के साथ अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित कार्य सूची भी भेजी जाएगी, और जहां यह संभव न हो वहां कार्य सूची उसे बैठक से कम से कम दस दिन पहले रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(2) असाधारण बैठक के लिए, अध्यक्ष के द्वारा यथा अनुमोदित बैठक के स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सचिव के द्वारा एक सूचना ऐसी बैठक बुलाए जाने की तारीख से कम से कम सात दिन पहले अध्यक्ष और सदस्यों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(3) अध्यक्ष, बैठक के दौरान या उसके पहले किसी भी समय कार्य सूची में निम्न सम्मिलित कर सकेगा,–

(i) कार्य के नये मद; और

IndiaCode

(ii) कार्य सूची में सम्मिलित कार्यों के अनुपूरक मदों को, और मदों को बैठक में विचार करने के लिए लिया जाएगा ।

6. संस्थान के सदस्यों द्वारा संकल्प लाना.—संस्थान का कोई सदस्य जो संस्थान की बैठक में कोई संकल्प लाने का इच्छुक है वह सचिव को इस प्रकार से बैठक की लिखित सूचना देगा जो बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पहले उसे प्राप्त हो जाए, और जब ऐसी सूचना दी गई है तो प्रस्तावित संकल्प को सचिव के द्वारा तुरंत उसे सदस्यों को परिचालित की जाएगी और कार्य सूची में सम्मिलित किया जाएगा ।

7. संस्थान की गणपूर्ती.—(1) संस्थान की बैठक में कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जायेगा जब तक कि बैठक में आठ सदस्य उपस्थित न हो ।

(2) यदि बैठक करने के लिए नियत तारीख और समय पर गणपूर्ती उपस्थित नहीं है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, और सदस्य, अध्यक्ष के द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर बैठेंगे, और यदि स्थगित तारीख और समय पर भी गणपूर्ती पूरी नहीं है तो बैठक की जाएगी यदि कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्य उपस्थित है :

परंतु यह कि उपस्थित सदस्यों को और ऐसे प्रत्येक सदस्य को जो उस बैठक में उपस्थित नहीं थे को रजिस्टर्ड डाक, फैक्स या ई— मेल द्वारा जैसा कि मामले में अपेक्षित हो पूरे सात दिन की सूचना देगा ।

(8) संस्थान की बैठक की अध्यक्षता.— (1) अध्यक्ष, संस्थान की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(2) यदि किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनेगें ।

9. संस्थान के कारबार का संव्यवहार.— (1) संस्थान के सभी विनिश्चय मतों की बहुसंख्या के आधार पर लिए जाएगें और मतों के समान हो जाने की दशा में अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देना होगा ।

(2) बैठक में किसी सदस्य द्वारा उठाये गये किसी विषय पर अध्यक्ष द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) संस्थान द्वारा बैठक में निपटाया गया कोई भी विषय फिर से विचार के लिए नहीं लाया जाएगा जब तक कि एक वर्ष समाप्त न हो जाय, सिवाय उस दशा के, जहां अध्यक्ष या सदस्य सचिव या केन्द्रीय सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऐसे विषय पर संस्थान के हित में या लोक हित में और विचार किया जाना आवश्यक है ।

10. पेपर परिचालन द्वारा संस्थान के कारबार का संव्यवहार.—(1) कोई कारबार जो संस्थान के लिए आवश्यक है कि वह उससे संव्यवहार करे, यदि अध्यक्ष ऐसा निर्देश देते हैं, तो सभी सदस्यों को भारत में उनके प्रायिक पते पर रजिस्ट्रीकृत कवर के अंतर्गत पेपरों के परिचालन द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, और कोई संकल्प ऐसे प्रचालित किए जाने पर उसे पारित समझा जाएगा, यदि बहुसंख्यक सदस्य द्वारा लिखित में उसका अनुमोदन करते हैं, और वह इस प्रकार से प्रभावी और इस रूप में बाध्यकारी होगा, मानो की वह संकल्प संस्थान की बैठक में पारित किया गया है ।

(2) जब कोई कारबार परिचालन द्वारा सदस्यों को इस प्रकार से निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों के प्रत्युत्तर के लिए प्राप्ति के लिए तीन सप्ताह से अन्यून अवधि अनुज्ञात होगी और ऐसी अवधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको कारबार की सूचना जारी की गई थी ।

परंतु यह कि यदि किसी सदस्य से तीन सप्ताह के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे परिचालित संकल्प को संबंधित सदस्य द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा ।

(3) यदि किसी संकल्प को परिचालित किया जाता है तो उसका परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा ।

11. संस्थान के कारबार के अभिलेख.—(1) संस्थान द्वारा संव्यवहार किए गए सभी कारबार का एक अभिलेख सचिव के द्वारा अनुरक्षित होगा।

(2) संस्थान के सभी कारबार यथासाध्य सचिव द्वारा अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में संकल्प के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और उसके सम्यक् रूप से पुष्टि किए जाने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा उस बैठक में हस्ताक्षरित किया जाएगा और संस्थान की कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि ऐसे विनिश्चय संस्थान द्वारा लिए गए हैं ।

(3) बैठक की कार्यवाहियाँ अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित होने के पश्चात् संस्थान के सदस्यों को परिचालित की जाएगी ।

12. शासी निकाय का गठन.—संस्थान की शासी निकाय संस्थान के निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान का अध्यक्ष — अध्यक्ष; पदेन सदस्य

(ख) सचिव, भारत सरकार या उसका नाम निर्देशिती (संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय;

(ग) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत सरकार ;

(घ) सचिव, भारत सरकार या उसका नाम निर्देशिती (संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ;

IndiaCode

(ड.) संस्थान का निदेशक – सदस्य सचिव;

(च) मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार या उसका नामनिर्देशिती (उस सरकार का सचिव से अन्यून रैंक का) ;

(छ) संस्थान के तीन ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष ;

अन्य सदस्य

(ज) संस्थान के लिए चुने गए तीन संसद सदस्यों में से संस्थान द्वारा चुना गया एक संसद सदस्य ।

(झ) संस्थान के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गए तीन सदस्य ;

(ञ) संस्थान के तीन आचार्य जो ज्येष्ठता क्रम में संस्थान द्वारा चक्रानुक्रम से प्रतिवर्ष नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(ट) तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार की राय में संस्थान को आगे बढ़ाने में अभिदाय करेगा जो अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के परंतुक अध्यधीन होगा ।

13. अध्यक्ष और शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य :–

(1) अध्यक्ष निम्न करेगा –

(i) शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कार्य सूची के मदों को उचित रूप में पुरःस्थापित करेगा ;

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि शासी निकाय के कार्य विधि के अनुसार संचालित किए जाए ;

(iii) शासी निकाय के विनिश्चयों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ;

(iv) शासी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित कर्तव्यों को पूरा करेगा ;

(v) संस्थान के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता निश्चित करेगा ;

(vi) शासी निकाय की ओर से आकस्मिक दशाओं में की गई किसी कार्रवाई को उसकी अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रिपोर्ट करेगा ।

(2) शासी निकाय निम्न रखेगा –

(i) संस्थान के कार्यों पर उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों से संगत साधारण नियंत्रण रखेगा और संस्थान की सभी शक्तियों, कार्यों और विलेखों का प्रयोग करने और पालन करने का प्राधिकार रखेगा ;

(ii) व्यापक नीतियों और उद्देश्यों की स्थापना द्वारा संस्थान का शासन चलाएगा ;

(iii) संस्थान की वित्तीय स्थिति को मानिटर करेगा ;

(iv) अध्ययन के पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन करेगा, उपचारी उपायों को सुझाएगा, संकाय सदस्यों के विनियोजन और विकास को मॉनिटर करेगा;

(v) संस्थान के कार्य के प्रशासन और प्रबंध से संबंधित किसी उप–विधि का संशोधन या निरसन अधिनियम, नियमों और इन विनियमों में उल्लिखित उपबंधों के पालन के अध्यधीन रहते हुए करेगा ।

(vi) आकस्मिक दशाओं में अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन अध्यक्ष को करेगा; और

(vii) ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संस्थान द्वारा उसे सौंपी जाय।

(3) अध्यक्ष और शासी निकाय इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

14. शासी निकाय के सदस्यों की पद की अवधि और आकस्मिक रिक्तियों को भरना.–(1) शासी निकाय के पदेन सदस्यों और विनियम 12 के खंड (झ) और खंड (ट) के अधीन नाम निर्देशित व्यक्तियों से भिन्न सदस्यों के पद की अवधि तीन वर्ष की होगी, जो उसके संस्थान के सदस्य बने रहने के अध्यधीन होगी और बाहर जाने वाले सदस्य केवल एक बार पुनर्निवाचन और पुनः नामनिर्दिष्ट होने का पात्र होगा ।

(2) शासी निकाय में किसी आकस्मिक रिक्ति को इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

15. शासी निकाय की बैठक का समय और स्थान.–शासी निकाय छह मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी, जो अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए ।

IndiaCode

16. शासी परिषद की बैठक बुलाने की शक्ति.—अध्यक्ष किसी भी समय सूचना द्वारा बैठक का समय और स्थान विनिर्दिष्ट करके बैठक बुला सकता है, और जहां उससे पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्यों के द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित बैठक विषय को विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित रूप से मांग की जाय वहां भी वह ऐसी बैठक बुला सकेगा ।

17. शासी निकाय के लिए बैठकों की सूचना.—(1) शासी निकाय की साधारण बैठक के लिए अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बैठक का स्थान, तारीख और समय विनिर्दिष्ट करते हुए सचिव द्वारा ऐसी बैठक के कम से कम दो सप्ताह पहले सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा सूचना देगा ।

(2) अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित कार्य सूची भी बैठक की सूचना के साथ भेजी जाएगी, और जहां यह सभंव न हो सके वहां कार्य सूची रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा कम से कम दस दिन पहले भेजा जाएगा ।

(3) असाधारण बैठकों के लिए, अध्यक्ष द्वारा यथा अनुमोदित बैठक के स्थान, तारीख और समय को विनिर्दिष्ट करते हुए सूचनाएं सचिव द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा ।

(4) अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कार्य सूची बैठक से कम से कम पांच दिन पहले रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

(5) अध्यक्ष किसी भी समय बैठक से पहले या बैठक के दौरान कार्य सूची में निम्न सम्मिलित कर सकेगा –

(i) कारबार के नए मदों को; और

(ii) कार्य सूची में पहले से सम्मिलित मदों के अनुपूरक मदों को, और ऐसे मदों को बैठक में विचार के लिए लिया जाएगा।

18. शासी निकाय की गणपूर्ती.—(1) शासी निकाय की बैठक में किसी कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम आठ सदस्य उपस्थित न हों ।

(2) यदि बैठक करने के लिए नियत तारीख और समय पर गणपूर्ती उपस्थित नहीं है तो बैठक स्थगित होगी और शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख, समय और स्थान पर फिर बैठक करेगा, और यदि उस स्थगित तारीख और समय पर भी गणपूर्ती पूरी नहीं है पर यदि कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित हैं तो बैठक की जाएगी :

परंतु यह कि बैठक में उपस्थित सदस्यों को और उन सदस्यों जो बैठक में उपस्थित नहीं थे को पूरे सात दिन की सूचना उसी या आगे के दिन रजिस्ट्रीकृत डाक या विशेष दूत द्वारा जैसा कि परिस्थितियों से अपेक्षित हो दी जाएगी ।

19. शासी निकाय के बैठक की अध्यक्षता.——(1) अध्यक्ष शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(2) यदि किसी बैठक में अध्यक्ष उपस्थित नही है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुनेगा ।

20. शासी निकाय के कारबार का संव्यवहार.—(1) शासी निकाय के सभी विनिश्चय मतों की बहु संख्या से लिए जाएंगे, मतों के समान होने की दशा में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा ।

(2) किसी सदस्य द्वारा उठाये गए किसी विषय पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा दिया गया विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) शासी निकाय द्वारा बैठक में निपटाया गया कोई भी विषय फिर से विचार के लिए नहीं लाया जाएगा, जब तक कि एक वर्ष समाप्त न हो जाय, सिवाय उस दशा को, जहां अध्यक्ष या सदस्य सचिव या केन्द्रीय सरकार यह प्रमाणित करती है कि ऐसे विषय पर संस्थान के हित में या लोक हित में और विचार किया जाना आवश्यक है ।

21. **पेपर परिचालन द्वारा शासी निकाय के कारबार.**—(1) कोई कारबार जिसका संव्यवहार शासी निकाय के लिए आवश्यक हो; यदि अध्यक्ष निर्देश देता है तो, सभी सदस्यों को भारत में उनके प्रायिक पते पर रजिस्ट्रीकृत कवर के अंतर्गत पेपर के परिचालन द्वारा उस पर विचार किया जाएगा, और कोई संकल्प ऐसे प्रचालित होने पर और उसका बैठक में पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित होने पर इस प्रकार से प्रभावी होगा और इस रूप में बाध्यकारी होगा मानो की वह संकल्प संस्थान की बैठक में पारित किया गया है ।

(2) जब ऐसा कोई कारबार सदस्यों को परिचालन द्वारा इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है तो सदस्यों के प्रत्युत्तर की प्राप्ति के लिए तीन सप्ताह से अन्यून अवधि अनुज्ञात होगी और ऐसी अवधि की संगणना उस तारीख से की जाएगी जिसको वह सूचना जारी की गयी थी ।

(3) यदि कोई संकल्प परिचालित किया जाता है तो उसका परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

22. शासी निकाय के कारबार के अभिलेख.—(1) शासी निकाय के सभी कारबार के संव्यवहार का अभिलेख सचिव द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा ।

(2) संस्थान के सभी कारबार यथासाध्य सचिव द्वारा अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में संकल्प के रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और उसकी सम्यक् पुष्टि होने के पश्चात् उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

(3) ऐसे विनिश्चय की संस्थान की कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि ऐसे विनिश्चय संस्थान द्वारा लिए गए विनिश्चय हैं ।

(4) बैठक की कार्यवाहियाँ अध्यक्ष द्वारा उसके सम्यक् अनुमोदित होने के पश्चात् शासी निकाय के सदस्यों को परिचालित की जाएगी ।

23. स्थायी और तदर्थ समितियों का गठन और् उनके कारबार का संचालन.—(1) स्थायी और तदर्थ समितियां पदेन सदस्य के रूप में संस्थान के निदेशक जो सचिव के रूप में कार्य करेगा और ऐसे अन्य सदस्यों के संख्या जिन्हें संस्थान द्वारा आवश्यक समझा जाय से मिलकर बनेगी ।

(2) तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

परंतु यह कि स्थायी वित्त समिति में केवल संस्थान के सदस्य सम्मिलित होंगे :

परतुं यह और कि शैक्षणिक समिति और स्थायी चयन समिति केवल मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान से संबंधित विद्याशाखाओं के वृत्तिकों से मिलकर बनेगी ;

परंतु यह भी कि शैक्षणिक समिति और स्थायी चयन समिति से भिन्न अन्य स्थायी या तदर्थ समितियों ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो संस्थान के सदस्य नहीं है कुल सदस्यता के एक चौथाई से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह भी कि स्थायी या तदर्थ समिति की बैठक में कोई कारबार का संव्यवहार नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति का गठन करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हो ।

(3) स्थायी शैक्षणिक समिति संस्थान के शैक्षणिक कार्यों के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगी ।

4. स्थायी आचार समिति नये भवन के संनिर्माण, भूमि के अर्जन और व्ययन, परिवर्धनों, परिवर्तनों और रख रखाव से संबंधित मामले और संस्थान से संबंधित भूमि प्रयोग के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगी और संस्थान के उद्धेश्यों को पूरा करने के लिए और संस्थान के विस्तार के लिए प्रस्तावों और परियोजनाओं पर भी विचार करेगा और कार्यान्वयन मानिटर करेगी ।

5. स्थायी चयन समिति सभी संकाय पदों को चाहे सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति मूल्यांकन स्कीम के अंतर्गत भरने के लिए नियुक्ति पर विचार करेगी ।

6. अस्पताल प्रबंध समिति रोगी देखभाल सेवाएं या किसी विशेषज्ञीय सेवा के सृजन या नई सेवाएं, विभिन्न सेवाओं के लिए उद्ग्रहण किए जाने वाले प्रभारों की समीक्षा और पुनरीक्षण से संबंधित सभी नीति विषयक के मामले और अस्पताल प्रबंध से संबंधित किसी अन्य नीति विषयक मामले को देखेगी ।

7. योजना और मनिटरिंग परिषद संस्थान की प्रमुख योजना निकाय होगी और संस्थान के विकास कार्यक्रमों के मानिटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी ।

8. शिकायत प्रतितोष समिति कर्मचारियों की नियुक्तियों, प्रोन्नतियों, सेवा मामले, भत्तों, सेवा निवृत्ति के फायदे आदि से संबंधित व्यक्तिगत शिकायतों और परिवादों पर विचार करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

9. पुर्नवासन समिति मानसिक रोगों के साथ तंत्रिका संबंधी विकारों के कारण निर्योग्य रोगी के क्रिया कलापों का पर्यवेक्षण करगी और उनके पुर्नवासन की व्यवस्था करेगी ।

10. स्थायी समिति के सदस्य की पदावधि उसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की होगी और तदर्थ समिति से बाहर जाने वाला सदस्य जैसे ही वह विनिर्दिष्ट कृत्य पूरा हो जाएगा जिसके लिए उक्त समिति गठित की गयी थी कार्य नहीं करेगा ।

11. स्थायी समिति या तदर्थ समिति में हुई आकस्मिक रिक्ति संस्थान द्वारा नामनिर्देशन से भरी जाएगी।

24. संस्थान के शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संस्थान के सदस्यों को संदेय यात्रा और दैनिक भत्ते.—(1) संस्थान के शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सिवाय शासी निकाय, स्थायी समितियों, तदर्थ समितियों यथा स्थिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा और दैनिक भत्तों के किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या अन्य भत्ते प्राप्त नहीं करेंगे ।

(2) संस्थान के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्य यदि वे केन्द्रीय सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी हैं तो संस्थान, शासी निकाय, स्थायी या तदर्थ समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु यात्रा के लिए या संस्थान के किसी अन्य कार्य को करने के लिए शासकीय कर्तव्यों हेतु यात्रा करने के लिए उन पर लागू यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे ।

(3) जहां किसी संस्थान के शासी निकाय, स्थायी या तदर्थ समितियों के सदस्य को सरकार में अधिकारी रहते हुए कोई यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किए गए हैं, वह संस्थान ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ऐसे संदत्त की गयी रकम की प्रतिपूर्ती के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(4) संस्थान के अध्यक्ष और सदस्य और शासी निकाय, स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्य जो सरकार के अधिकारी नही हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुपूरक नियम 190 और उसके अधीन कार्यपालक विनिश्चयों और आदेशों के अंतर्गत समय–समय पर विहित दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

25. निदेशक की शक्तियां और कृत्य.—(1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची–I में यथा विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) निदेशक संस्थान के प्रशासन का भार साधक होगा और वह संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्यों का आबंटन करेगा और ऐसे पर्यवेक्षण और कार्यपालिकीय नियंत्रण का प्रयोग करेगा जैसा कि आवश्यक हो ।

(3) संस्थान के प्रशासन के प्रयोजन के लिए, निदेशक को इस अधिनियम, नियमों और विनियमों के अधीन उसे प्रदान की गयी किसी भी शक्तियों को शासी निकाय द्वारा यथा अधिरोपित की जाने वाली परिसीमाओं के अध्यधीन रहते हुए संस्थान के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी ।

26. पुरस्कारों, छात्रवृत्तियों, आदि प्रदान करने की शक्ति.—संस्थान, ऐसे पुरस्कारों, पारितोषिकों, स्मृति चिन्हों, वृत्तिका, छात्रवृत्तियों, आगंतुक आचार्यवृत्ति या अध्येतावृत्तियां प्रदान कर सकेगा जैसा कि समय–समय पर उसके द्वारा विनिश्चय किया जाय ।

27. अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश.—(1) संस्थान अपने द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का प्रवेश करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडे वर्गों या अन्य विशेष प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षण प्रदान करेगा ।

(2) संस्थान के स्नातकोत्तर और पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा संदेय फीस और पाठ्यक्रम वह होगा जैसा अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट है :

परंतु यह कि उक्त अनुसूची का कोई भी संशोधन केवल शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा किया जाएगा ।

28. डिग्रियां, डिप्लोमों, सर्टिफिकेट्स और अध्येतावृत्तियों का प्रदान करना.—संस्थान, संस्थान द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित ऐसी डिग्रियां, डिप्लोमों, सर्टिफिकेट्स और अध्येतावृत्तियां प्रदान कर सकेगा।

29. परीक्षा का संचालन.—संस्थान के प्रवेश और वृत्तिक परीक्षा के संचालन के लिए यथा आवश्यक ऐसी संख्या में पर्यवेक्षकों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद निदेशक द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे और उनके पारिश्रमिक अनुसूची–III में यथा उपदर्शित दर पर संदेय होंगे ।

30. अस्पताल का प्रभार.—संस्थान विभिन्न सेवाओं के लिए अनुसूची–IV में यथा विनिर्दिष्ट और शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय– समय पर यथा संशोधित दरों के अनुसार प्रभार लेगा ।

31. कर्मचारियों का पूर्णकालिक सेवक होना.—जब तक कि, किसी मामले में, यदि अनन्य रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं है, संस्थान के पूर्णकालिक कर्मचारी संस्थान की व्यवस्था पर रहेंगे और वे संस्थान के समुचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी भी रीति से बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के दावे के नियोजित किए जा सकेंगे ।

32. स्थायी और अस्थायी पद.—संस्थान की सेवा में निम्न पद होंगे –

(i) स्थायी पद अर्थात् वह पद जो निश्चित वेतन दर की मंजूरी बिना किसी सीमा या समय के रखता है; या

(ii) अस्थायी पद, अर्थात् वह पद जो निश्चित वेतन दर की मंजूरी एक सीमित समय के लिए रखता है; या

(iii) मानद परामर्शदाता जो विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मानदेय पर है, या

(iv) निर्धारित कर्म या निर्धारित कर्म (नियमित पदों) जो एक सीमित समय के लिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए है ।

33. पद का वेतनमान.—संस्थान के विभिन्न पदों और उन पदों से संलग्न वेतन अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट हैं ।

परंतु यह कि उक्त अनुसूची का कोई संशोधन केवल शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा किया जाएगा ।

परंतु यह और कि कर्मचारियों के सेवा के निबंधन और शर्तें सामान्यतः केंद्रीय सरकार के समरूप कर्मचारियों के लिए जो लागू हैं उससे उच्च नही होंगे और किसी शिथिलता के लिए वित्त मंत्रालय से परामर्श किया जाएगा ।

34. नियुक्ति के लिए अर्हताएं.—(1) विभिन्न पदों जिसके अंतर्गत संकाय के पद भी हैं पर नियुक्ति की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव और संस्थान में उनकी सेवा शर्तें वह होंगी जो अनुसूची–IV में विनिर्दिष्ट हैं :

परंतु यह कि उक्त अनुसूची का कोई संशोधन शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा किया जाएगा ।

(2) निदेशक, संस्थान में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा पद और सेवाओं में रिक्तियां भरने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए बनाए गए आरक्षण को मानेगा ।

(3) संस्थान के विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों से वह फीस वसूल करेगा जैसा कि अनुसूची–VII में विनिर्दिष्ट है :

परंतु यह कि उक्त अनुसूची का कोई भी संशोधन केवल शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा किया जाएगा ।

35. परिवीक्षा की अवधि – जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी मामले में अन्यथा विनिश्चित न किया गया हो, सभी कर्मचारियों के लिए परीवीक्षा की अवधि दो वर्ष की होगी, और कर्मचारी को संतोष–प्रद सेवा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिसके न हो सकने पर किसी भी समय बिना किसी सूचना या कारण दिए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं :

परंतु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है ।

36. ज्येष्ठता – संस्थान में प्रत्येक प्रवर्ग के कर्मचारियों की ज्येष्ठता केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

37. छुट्टी.–(1) संस्थान के स्थायी और अस्थायी कर्मचारी ऐसी छुट्टी और वेतन छुट्टी के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 के अधीन केंद्रीय सरकार के तत्स्थानी प्रवर्ग के सेवकों के लिए लागू है :

परंतु यह कि केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रवर्ग के शिक्षा देने वाले कर्मचारिवृन्द के प्रावकाश विभाग में सेवारत के रूप में माने जाएंगे, अर्थात् :–

(क) ज्येष्ठ आचार्य ;

(ख) आचार्य ;

(ग) अपर आचार्य;

(घ) सह आचार्य;

(ड.) सहायक आचार्य;

(च) आचार्य सह प्राचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय) ;

(छ) रीडर या सह आचार्य (नर्सिंग महाविद्यालय) ;

(ज) प्रवक्ता (नर्सिंग महाविद्यालय) ;

(2) किसी उद्देश्य के लिए नियमित प्रावकाश वह होगा जो शासी निकाय द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाए :

परंतु यह कि संस्थान के किसी पदधारी का बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति छुट्टी नियमों द्वारा शासित होगी जो उनके प्रतिनियुक्ति की शर्तें में अनुबद्ध होगी ।

38. कर्तव्य पर अनुपस्थित – जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा अन्यथा न विनिश्चित किया गया हो, संस्थान का कोई कर्मचारी जो बाह्य सेवा (विदेश) सेवा या निलंबन के कारण से भिन्न छुट्टी या बिना छुट्टी के पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए निरंतर पद से दूर रहता है उसे संस्थान की सेवा से पद त्याग दिया गया समझा जाएगा :

परंतु यह कि, उपरोक्त उपबंध का आवलंब लेने से पहले कर्मचारी को ऐसी अनुपस्थित रहने के लिए कारण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

39. अधिवर्षिता :

(1) शिक्षा देने वाले संकाय सदस्यों से भिन्न संस्थान के कर्मचारियों के लिए अधिवर्षिता साठ वर्ष या जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा विहित की आयु होगी :

परन्तु यह कि मामले पर आधारित चिकित्सा और वैज्ञानिक विशेषज्ञों को उस दशा में जब व्यक्ति अनन्य रूप से प्रतिभाशाली है तो सम्बंधित व्यक्ति की शारीरिक योग्यता और सतत् दक्षता के अध्यधीन रहते हुए उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएँ बासठ वर्ष की आयु तक सेवा में विस्तार प्रदान किया जा सकेगा।

(2) संस्थान के संकाय सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पैंसठ वर्ष या केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथा विहित आयु होगी।

(3) उपरोक्त विनियम (1) और विनियम (2) में उल्लिखित किसी बात को होते हुए भी यदि, नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना लोक हित में है तो वह संस्थान के किसी कर्मचारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना या सूचना के बदले तीन मास के वेतन और भत्ते देकर सेवा–निवृत्त करने का पूर्ण अधिकार रखेगा ;

IndiaCode

(i) यदि वह समूह 'क' या समूह 'ख' सेवा या पद में है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संस्थान की सेवा में प्रविष्ट हुआ है तो पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्; और

(ii) किसी अन्य दशा में पचपन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ।

(4) (क) संस्थान का कोई भी कर्मचारी जो समूह 'क' या समूह 'ख' सेवा या पद में है और पैंतीस वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले संस्थान की सेवा में प्रविष्ट हुआ है, नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना दे कर पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो सकेगा।

(ख) अन्य सभी दशाओं में संस्थान के कर्मचारी जो पचपन वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर सेवा निवृत्त हो सकेंगे :

परंतु यह कि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह छूट होगी कि निलंबन के अधीन कोई कर्मचारी जो इस उप विनियमन के अधीन सेवा निवृत्ति चाहता है, उसकी अनुमति विधारित करे ।

40. पेंशन और अभिदायी भविष्य निधि.—(1) संस्थान के कर्मचारी जो संस्थान में एक जनवरी, 2004 से पहले विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए थे, सिवाय उनके जो प्रतिनियुक्ति पर या संस्थान से बाह्य किसी सेवा में हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के अधीन पेंशन और पेंशन संबंधी अन्य फायदे के हकदार होंगे, और ऐसे कर्मचारी ऐसे नियमों से शासित होते रहेंगे ।

(2) संस्थान के कर्मचारी जो एक जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए हैं, सिवाय उनके जो प्रति नियुक्ति या संस्थान से बाह्य (विदेश) सेवा में हैं, केंद्रीय सरकार के अधीन एक जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार के अनुसार संस्थान द्वारा विरचित स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

41. आचरण, अनुशासन और शास्तियां.—(1) केंद्रीय सरकार सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 संस्थान के कर्मचारियों को लागू होंगे ।

(2) अनुशासनिक मामलों में केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1965 के सुसंगत उपबंध संस्थान के कर्मचारियों को लागू होंगे :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए —

(i) संस्थान में समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद केंद्रीय सिविल सेवाएं के समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों के क्रमशः तत्स्थानी होंगे ;

(ii) संस्थान में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी वे होंगे जो अनुसूची—VII में विनिर्दिष्ट हैं ;

(iii) संस्थान द्वारा लिए गए केंद्रीय या राज्य सरकार के सेवकों की बाबत, केंद्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 21 के उपबंध लागू होंगे, और संस्थान उक्त नियम के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्रीय सरकर या राज्य सरकार के कृत्यों का पालन करेगा ;

(iv) किसी भी मामले में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नही है ।

42. सेवा की अन्य शर्तें.— इन विनियमों में वे विषय जिनके लिए उपबंध किए गए हैं या उपबंध नही किया गया है, की बाबत, केंद्रीय सरकार के सेवकों के साधारण सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, जिनके अंतर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं, छुट्टी वेतन, कार्यग्रहण की अवधि, बाह्य सेवा के निबंधनों के संबंध में यथा लागू नियमों और केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए विनिश्चय संस्थान के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे ।

43. पुनर्नियोजित व्यक्तियों के वेतनमान.— संस्थान में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति का वेतनमान संस्थान या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी कानूनी या सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निकाय की सेवा से सेवा निवृत्ति के पश्चात्, केंद्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित नियमों और आदेशों के अनुसार नियत किया जाएगा ।

44. संस्थान से संबंधित भूमि और भवन.—

(1) संस्थान भूमि और भवनों का अपने प्रयोजन के लिए प्रयोग करेगा और ऐसे प्रयोजनों के लिए उन व्यक्तियों या अधिकारियों द्वारा अधिभोग के लिए उनको आबंटित कर सकेगा जैसे कि शासी निकाय विनिश्चय करे ।

(2) संस्थान के कर्मचारियों को अनुसूची— IX में यथा अधिकथित निवास के आबंटन के हकदार होंगे ।

45. कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाऐं.—संस्थान के कर्मचारियों जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के आश्रित सदस्य भी हैं निम्हान्स स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत यथा स्वीकृत चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे, जो योजना के अंतर्गत यथा अभिप्रेत ऐसे अभिदाय करेंगे, और योजना का विवरण अनुसूची—X में यथा उपबंधित है ।

IndiaCode

परंतु यह कि उक्त अनुसूची का कोई संशोधन केवल शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन द्वारा किया जाएगा ।

46. संस्थान द्वारा या संस्थान के विरूद्ध कार्यवाहियां.—संस्थान के अध्यक्ष के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, संस्थान की शासी निकाय या निदेशक संस्थान की ओर से वाद या प्रार्थना पत्र दाखिल करने या अन्य सिविल या दांडिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने और उसको अग्रसर/अभियोजन करने और ऐसे प्रयोजन के लिए वादों; याचिकाओं, अपील या अन्य दस्तावेजों जो उसके लिए आवश्यक हो, हस्ताक्षरित करना, निष्पादन करना या अनुप्रमाणित करना, और उसका स्त्यापन करना, शपथ–पत्र देना और समझौते करना, माध्यस्थम को निर्दिष्ट करना और उन वाद या अन्य कार्यवाहियो में प्रतिरक्षा करना जो संस्थान के विरूद्व दाखिल किए जाएं और मूल या अपीलीय न्यायालय या सिविल, दांडिक या राजस्व न्यायालय के समक्ष या आयकर और सेवाकर प्राधिकारी के समक्ष किसी दावा या प्रतिरक्षा को अग्रसर करना और ऐसे प्रयोजनों के लिए पैनल से अधिवक्ता, अभिवक्ता, सालीसिटर या अभिकर्ता को नियुक्त करना ।

47. शक्तियों का प्रयोग.—इन नियमों में विभिन्न प्राधिकारियों को निहित की गई शक्तियों का प्रयोग वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों जिसके अंतर्गत कठोर अनुदेश भी है, के अनुसार प्रयोग किया जाएगा, परंतु ऐसे अनुदेशो को उस विभाग के स्वायत्त निकायों को लागू होंगे ।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलौर के निदेशक, शासी निकाय के अध्यक्ष, शासी निकाय की शक्तियां

(विनियम 13, और विनियम 25 देखें)

अनुसूची –1

क्रम सं.	शक्ति की प्रकृति	शक्तियों का विस्तार				टिपण्णी
		निदेशक	शासी निकाय का अध्यक्ष	शासी निकाय	संस्थान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बजट प्राक्कलनों पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना			पूरी शक्ति	...	
2.	वित्तीय नियमों के अनुसार मंजूर किए गए बजट से निधियों का विनियोग और पुनः विनियोग करने की शक्ति	पूरी शक्ति				शासी निकाय के समक्ष उसकी अगली बैठक में पुनः विनिधान की रिपोर्ट को अनुमोदन के लिए रखा जाएगा
3.	(क) चोरी, कपट आदि के कारण भंडारों या वसूल न की जा सकने वाली लोक रकम की हानियों के मूल्य को अपलिखित करना	हर मामले में एक लाख रूपये तक	हर मामले में दो लाख रूपये तक	पूरी शक्ति		
	(ख) राजस्व या वसूल न की जा सकने वाले अग्रिम धन की हानियों को अपलिखित करना	हर मामले में एक लाख रूपये तक	हर मामले में दो लाख रूपये तक	पूरी शक्ति		
	(ग) भंडारों जिसके अंतर्गत स्टॉक खाते (मोटर यान से भिन्न) भी है, के मूल्य में अपाकरण और कमियों को अपलिखित करना	हर मामले में एक लाख रूपये तक	हर मामले में दो लाख लाख तक	पूरी शक्ति		
	(घ) अप्रचलित और सेवाहीन भंडारों के मूल्य को अपलिखित करना	अनुपयोगी समिति की सिफारिशों पर पूरी शक्ति रखता है ।				
	(ङ) कालातीत औषधि और रसायनों (औषधि समिति द्वारा , अधिकथित शर्तों के अध्यधीन उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं) के मूल्य को अपलिखित करना	पूरी शक्ति				
4.	मोटर यान और अन्य यानों के विहित दूरी चले जाने और	पूरी शक्ति जो शासकीय निकाय के अनुसमर्थन के		पूरी शक्ति		

IndiaCode

	उपयोग की लंबाई के पश्चात् राज्य सड़क परिवहन निगम की कर्मशाला से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करके कि, वह यान और किसी मित्तव्ययिता पूर्ण उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, को अनुपयोगी घोषित करना	अध्यधीन है				
5.	माल और सेवाएं जिसके अंतर्गत उपकरण, फर्नीचर, औषधि, औषधियां भी है, उपभोग्य और अन्य भंडारों को उपाप्त करना	जहां मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन आवश्यक नही है, वहां बजट आबंटन की सीमा में पूरी शक्ति				
6.	पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, प्रकाशनों, नियतकालिक पत्रिकाओं, आदि के मुद्रित या इलेक्ट्रानिक पाठ को क्रय करना	पूरी शक्ति				
7.	संस्थान के लिए यानों का क्रय करना			पूरी शक्ति		
8.	समाश्रित व्ययों को उपगत करना	पूरी शक्ति				
9.	निम्न के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी के लिए सहमति देना (क) प्रारंभिक कार्य और विशेष मरम्मत	हर मामले में एक करोड रूपये तक	हर मामले में दो करोड़ रूपये तक	पूरी शक्ति		कार्य की तकनीकी मंजूरी संपदा समिति द्वारा की जाएगी
	(ख) साधारण मरम्मत	पूरी शक्ति				
	(ग) वार्षिक मरम्मत	पूरी शक्ति				
10.	(क) कार्यों या भंडारों के लिए निविदाएं या कोटेशन आमंत्रित करना, और (ख) निविदाओं या कोटेशनों को स्वीकृत करना	5 करोड़ रू. तक पूरी शक्ति		5 करोड़ रू. तक पूरी शक्ति		
11.	आकस्मिक दशाओं में बिना निविदा आमंत्रित किए अनुसूची की दरों पर कार्य—खण्ड के आधार पर कार्यों को न्यस्त करना	शासी निकाय के अनुसमर्थन के अध्यधीन पूरीशक्ति				
12.	क) निम्न का अनुमोदन करना i) वास्तु शिल्पिकीय (ड्राइंग) ; ii)संरचनात्मक (ड्राइंग) ; (iii) डाटा दरें ; iv) समय का विस्तार; v) अतिरिक्त या बढ़ाए गए या परिवर्तित मदों के कार्य। ख)पुनरीक्षित प्राक्कलनों का अनुमोदन	संपदा समिति की सिफारिशों पर आधारित पूरी शक्ति हर मामले में एक करोड़ रू. तक पूरी शक्ति	हर मामले में दो करोड़ रू. तक पूरी शक्ति	हर मामले में दो करोड़ रू. तक पूरी शक्ति		
13.	कर्मचारियों के वाहन क्रय करने के लिए अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	अपने सिवाय, सभी कर्मचारियों की बाबत पूरी शक्ति	निदेशक के मामले में पूरी शक्ति			
14.	संस्थान के कर्मचारियों के दौरे (पर्यटन), स्थानांतरण, आदि की	अपने सिवाय, सभी कर्मचारियों की बाबत की	निदेशक के मामले में पूरी			

IndiaCode

	अनुमति प्रदान करने और अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्ति	शक्ति			
15.	भारत सरकार द्वारा अधिकथित मानक के अनुसार महत्वपूर्ण पर्व के अवसर पर अग्रिम वेतन मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
16.	भारत सरकार के नियमों के अनुसार गृह–भवन अग्रिम मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
17.	संस्थान द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों से क्रय किए गए यानों के विक्रय या स्थानांतरण को प्राधिकृत करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
18.	निकटतम और सस्ते (सुलभ) मार्ग से भिन्न मार्ग के लिए मील भत्ता अनुज्ञात करना	पूरी शक्ति				
19.	दो या दो से अधिक मार्गों को निकटतम और सस्ता (सुलभ) मार्ग विनिश्चित करना	पूरी शक्ति				
20.	किसी यात्रा में स्टेशन के आरंभिक और अंतिम बिंदु विनिश्चित करना	पूरी शक्ति				
21.	अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा को नियमों की शिथिलता में मंजूरी करना	पूरी शक्ति				
22.	दौरे पर जिसके अंतर्गत पहाड़ी स्थान पर ड्यूटी के पड़ाव भी हैं, स्थानांतरण आदि पर संचार भंग होने के कारण मार्ग में बाध्यकारी पाडाओं को मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
23.	यात्रा भत्ते के प्रयोजन के लिए मानद परामर्श दाताओं, जांच आयोग को उनको सदत्त फीस या मानदेय पर आधारित उनकी श्रेणियां घोषित करना और उसकी मंजूरी देना	पूरी शक्ति				
24.	मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की पूरी अवधि के लिए दैनिक भत्ते का मील भत्ते से विनिमय अनुज्ञात करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
25.	जहां संस्थान के किसी कर्मचारी को संस्थान पर संचलन के लिए साधन दिए गए हैं जो उसके प्रयोग या प्रणोदन के सभी खर्च का भुगतान करता है, वहां किराया या प्रभार नियत्त करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
26.	छुट्टी जिसके अंतर्गत प्रावकाश भी है, के दौरान की गई यात्रा के लिए मंजूरी देने की शक्ति	पूरी शक्ति	निदेशक के मामले में पूरी शक्ति			
27.	संस्थान के अधिकारियों को संस्थान से संबंधित कार्य के लिए विदेश जाने की अनुमति देने और उनकी अनुपस्थिति को ड्यूटी पर मानने की शक्ति	90 दिन तक पूरी शक्ति, परंतु संस्थान से संबंधित कार्य में व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी पर समझे जाने से भिन्न इसकी कोई विवक्षा नहीं होगी	90 दिन के पश्चात पूरी शक्ति			भारत सरकार द्वारा समय –समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुसार
28.	अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन, परिसंवाद, सेमिनार, कार्यशाला, आदि में विदेश में भाग लेने के	एक वित्तीय वर्ष में दो अवसर के लिए पूरी शक्ति	निदेशक की बाबत पूरी शक्ति	एक वित्तीय वर्ष में दो अवसर के लिए पूरी शक्ति		

IndiaCode

	लिए अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार संकाय सदस्य और कर्मचारीवृन्द को भारत सरकार द्वारा विहत मानक के अनुसार यात्रा भत्ते, मँहगाई भत्ते, रजिस्ट्रेशन फीस, नकद भत्ते, आदि को मंजूर करने और उनकी अनुपस्थिति को ड्यूटी पर मानने की शक्ति					
29.	संकाय सदस्यों को अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बैठकों या सम्मेलनों या सेमिनारों या कार्यशालाओं या लघु कर्तव्य भार की परिचर्चा के लिए विदेश जाने की अनुमति देने की शक्ति	अपने सिवाय, पूरी शक्ति	निदेशक की बाबत पूरी शक्ति			समय –समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए अनुदेश के अनुसार
30.	समूह 'क' (जिसके अंतर्गत संकाय सदस्य भी है), समूह 'ख' और समूह 'ग' अधिकारियों, रेजिडेंटस, परियोजनाओं के कर्मचारिवृंद, अनुसंधान वृत्ति छात्रों को भारत के भीतर शासकीय कर्त्तव्यभार के लिए की गई यात्राओं को मंजूर करने और यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का भुगतान करना	पूरी शक्ति				
31.	समूह 'क' (जिसके अंतर्गत संकाय सदस्य भी है), समूह 'ख' अधिकारियों को भारत में या भारत के बाहर यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते या वेतन के फायदों को देते हुए प्रशिक्षण के लिए नियुक्त करना	देश के भीतर भेजने की पूरी शक्ति		देश के बाहर भेजने की पूरी शक्ति		
32.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों को भारत में अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और सम्मेलनों या एक मास से अनधिक के पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाठ्यक्रम फीस, यात्रा भत्ता और रजिस्ट्रेशन फीस को मंजूर करना	पूरी शक्ति				
33.	निरस्त करने के हवाई प्रभार की प्रतिपूर्ती जहां ऐसे निरस्त किया जाना संस्थान की सेवा के लिए हित में हैं	पूरी शक्ति				
34.	अपने और अन्य अधिकारियों के यात्रा भत्ते के बिलों को प्रति हस्ताक्षरित करना	पूरी शक्ति				
35.	छुट्टी यात्रा रियायत की मंजूरी या गृह यात्रा रियायत के अग्रिमों की मंजूरी और छुट्टी यात्रा रियायत या गृह यात्रा रियायत के बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना	पूरी शक्ति				
36.	निम्न को मंजूर करने की शक्तियां क) अल्पकालिक अग्रिमों ख) भागिक अंतिम	अपने सिवाय, सभी अधिकारियों की बाबत पूरी शक्ति	निदेशक के मामले में पूरी शक्ति			

IndiaCode

	आहरण, और ग) साधारण भविष्य निधि और अभिदायी भविष्य निधि के अंतिम आहरण					
37.	लेखाओं से संबंधित कार्यालय के अभिलिखों को नष्ट करना (साधारण वित्तीय नियम के परिशिष्ट 13 में अधिकथित संनियमों के अनुसार)	पूरी शक्ति				
38.	कर्मचारियों के अवितरित वेतन और भत्तों को प्रतिधारण करने की शक्ति	प्राप्ति और भुगतान नियम के उपबंधों के अनुसार तीन माह तक पूरी शक्ति				
39.	यह विनिश्चित करना कि क्या कोई अनुपस्थिति देश में अनुपस्थिति है या ड्यूटी	शैक्षणिक उद्धेश्यों के लिए पूरी शक्ति और अन्य मामलों में एक मास	शैक्षणिक से भिन्न सभी मामलों में एक मास के पश्चात् पूरी			
40.	छुट्टी प्रदान करना i) आकस्मिक छुट्टी	पूरी शक्ति (अपने मामले में खाता रखा जाएगा)				
	ii) अर्जित छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, परिवर्तित छुट्टी, अदेय छुट्टी, असाधारण छुट्टी, प्रसूति छुट्टी	अपने सिवाय पूरी शक्ति	निदेशक को पूरी शक्ति			
	iii) विशेष निर्योग्यता छुट्टी	पूरी शक्ति				
	iv) अध्ययन छुट्टी	सिवाय निदेशक के भी समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों के लिए 24 मास से अनधिक अवधि के लिए पूरी शक्ति	संकाय सदस्य (चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारियों के लिए 24 मास से अधिक तथा 36 मास तक के लिए पूरी शक्ति			
41.	छुट्टी के पश्चात् अनुपस्थिति के लिए छुट्टी का विस्तार	पूरी शक्ति (सक्षमता के अनुसार), परंतु यह कि छुट्टी से वापसी पर संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा				
42.	छुट्टी प्रदान करना जहां चिकित्सा बोर्ड यह रिपोर्ट देता है कि कर्मचारी के ड्यूटी पर वापस आने के लिए कोई युक्तियुक्त संभावना नही हैं	पूरी शक्ति				
43.	अनुमोदित स्कीम के अनुसार संकाय सदस्यों को एक वर्ष से अनधिक विश्राम दिन की छुट्टी प्रदान करना			पूरी शक्ति		
44.	वेतन वृद्धि के लिए असाधारण छुट्टी की संगणना करना	पूरी शक्ति				
45.	यह निदेश देना कि छुट्टी पर गए किसी अधिकारी के निवास को उसके अधिभोग में समझा जाय	पूरी शक्ति				
46.	संस्थान कर्मचारी को निम्न घोषित करना – i) संकाय सदस्य ii) अनुसचिवीय कर्मचारी या	पूरी शक्ति				

	iii) तकनीकी या गैर चिकित्सा कर्मचारी					
47.	धारणाधिकार को निलंबित करना	पूरी शक्ति परंतु वह उस पद पर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत हो जिस पद पर धारणाधिकार है				
48.	संस्थान के किसी कर्मचारी का धारणाधिकार एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित करना	पूरी शक्ति परंतु वह दोनो संबंधित पदों पर नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत हो				
49.	संस्थान के किसी कर्मचारी का एक पद से अन्य पद पर स्थानांतरित करना	संकाय सदस्य को छोडकर सभी समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्ति				
50.	संस्थान के कर्मचारियों के लिए उनके किसी अन्य पद पर नियुक्त होने पर धारणाधिकार को प्रतिधारित करने की शक्ति	समूह 'ग' पदों की दशा में दो वर्ष तक के लिए पूरी शक्ति	समूह 'क' पदों पर दो वर्ष तक के लिए पूरी शक्ति	समूह 'क' पदों पर दो वर्ष से अधिक के लिए पूरी शक्ति		
51.	संस्थान के कर्मचारियों का साधारण नियमों के अंतर्गत वेतन निर्धारित करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
52.	मूल नियम 9(6) (ख) के अधीन संस्थान के ड्यूटी पर माने गए कर्मचारी के रूप में वेतन और भत्तों को निर्धारित करना	पूरी शक्ति				
53.	चयन समिति की सिफारिश पर आरंभिक नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अनुसंधान स्कीम के कर्मचारी की नियमित पदों पर नियुक्ति भी है) पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने की शक्ति	वृद्धि तक की पूरी शक्ति	वेतन वृद्धि के पश्चात् पूरी शक्ति			
54.	किसी स्थापनापन्न अधिकारी का वेतन (मूल नियम 35 के अधीन) कम करने की शक्ति	समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्ति	समूह 'क' कर्मचारियों के मामले में पूरी शक्ति			
55.	व्यनबद्ध कार्य जिसके लिए फीस दी गई हैं, को मंजूरी देने तथा स्वीकृत करने की शक्ति	पूरी शक्ति, जहां अनुपूरक नियम 12 के अधीन शर्तों का शिथिलीकरण आवश्यक नही है		पूरी शक्ति, जहां अनुपूरक नियम 12 के अधीन शर्तों का शिथिलीकरण आवश्यक है		
56.	कर्मचारिवृंद को यदा—कदा होने वाले या विश्राम प्रकृति के कार्य के लिए मानदेय प्रदान करना	प्रत्येक मामलें में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष अधिकतम 5000 रू. तक के लिए पूरी शक्ति				
57.	अनुपूरक नियम 12 के उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति, जहं विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि से दैनिक भत्ते के स्वरूप में निर्वाह भत्ता प्राप्त किया जाता है, और कोई फीस अंतर्ग्रस्त नहीं है	पूरी शक्ति				
58.	(क) पद को सृजित करने की शक्ति	पूरी शक्ति — (i) अस्थाई समूह 'ग' पदों को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए (ii) अनुसंधान बजट से अनुसंधान परियोजना के		समूह 'क', समूह'ख' और समूह 'ग' पदों के लिए पूरी शक्ति (राष्ट्रीय		

IndiaCode

		लिए नियत्त या समय वेतनमान पर अस्थाई पद		मानसिक स्वस्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर,नियम, 2013 के नियम 8 के अध्याधीन)		
	ख) निम्न पद पर नियुक्ति करने की पूरी शक्ति (i) स्थायी (राष्ट्रीय मानसिक स्वस्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर, नियम, 2013 के नियम 8 के अध्याधीन)	सह आचार्य, सहायक आचार्य, समूह 'क' तकनीकी पदों, समूह 'ख' और समूह 'ग' अनुसचिवीय और तकनीकी पदों ज्येष्ठ रेजीडेंट और कनिष्ठ रेजीडेंट के लिए पूरी शक्ति	अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पदों के मामले में पूरी शक्ति	ज्येष्ठ आचार्य और आचार्य के मामले में पूरी शक्ति	निदेशक के के मामले में पूरी शक्ति	
	(ii) तदर्थ या अस्थाई पद	समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों, नर्सिंग में प्रवक्ताओं, सहायक आचार्यों और सह आचार्यों के किए दो वर्ष से अनधिक तक के लिए पूरी शक्ति	संकाय सदस्य से भिन्न सभी समूह 'क' पदों के लिए, अपर आचार्य और उससे ऊपर के लिए दो वर्ष से अनधिक तक के लिए और नर्सिंग में प्रवक्ताओं, सहायक आचार्यों और सह आचार्यों के लिए दो वर्ष से अनधिक तक के लिए पूरी शक्ति			
	(ग) अनुसंधान परियोजनाओं में अनुसंधान बजट से नियत्त या समय वेतनमान के वेतन पर अस्थाई पद	पूरी शक्ति				
59.	(क) अनुशासन प्राधिकारी	सह आचार्य, सहायक आचार्य, समूह 'क' तकनीकी पदों और समूह 'ख' और समूह 'ग' अनुसचिवीय और तकनीकी पदों ज्येष्ठ रेजिडेंट और कनिष्ठ रेजिडेंट के लिए पूरी शक्ति	ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पदों के लिए पूरी शक्ति		निदेशक के मामले में पूरी शक्ति	
	(ख) अपीलीय प्राधिकारी		सह आचार्य, सहायक आचार्य, समूह 'क' तकनीकी पदों, समूह 'ख' और समूह 'ग' नुसचिवीय और तकनीकी पदों, ज्येष्ठ रेजिडेंट और कनिष्ठ रेजिडेंट के लिए पूरी शक्ति		ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पदों के लिए पूरी शक्ति	निदेशक के मामलें में अपीलीय शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित
60.	परिवीक्षा की अवधि को संतोषप्रद रूप में पूरा होने की और सेवा में पुष्टि की घोषणा	पूरी शक्ति				

IndiaCode

	करना (गठित की गई विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर)					
61.	केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 38(4) के अधीन यथा उपबंधित चिकित्सा दृष्ट्या निर्योग्यता के मामले में निम्नतर पद में अनुकल्पिक नियुक्ति प्रदान करना	समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों की बाबत पूरी शक्ति		समूह 'क' पदों की बाबत पूरी शक्ति		
62.	निम्न के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति गठित करने की शक्ति – (क) प्रोन्नति (ख) संतोषप्रद परिवीक्षा और पुष्टि की घोषणा	सह आचार्य, सहायक आचार्य, समूह 'क' तकनीकी पदों, समूह 'ख' और समूह 'ग' अनुसचिवीय और तकनीकी पदों के लिए पूरी शक्ति		आचार्य, अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पदों के लिए पूरी शक्ति		
63.	सभी प्रवर्ग के पदों के लिए काडर और भर्ती नियम विहित करना			पूरी शक्ति		
64.	संस्थान के कर्मचारियों की विभागीय चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रोन्नति करना	सह आचार्य, सहायक आचार्य, समूह 'क' तकनीकी पदों, समूह 'ख' और समूह 'ग' अनुसचिवीय और तकनीकी पदों के लिए पूरी शक्ति		आचार्य, अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पदों के लिए पूरी शक्ति		
65.	संस्थान की सेवा से स्वैच्छिक पद त्याग या सेवानिवृत्ति को स्वीकार करने की शक्ति	सह आचार्य, सहायक आचार्य, समूह 'क' तकनीकी पदों, समूह 'ख' और समूह 'ग' अनुसचिवीय और तकनीकी पदों के लिए पूरी शक्ति		आचार्य, अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पदों के लिए पूरी शक्ति	निदेशक के मामले में पूरी शक्ति	
66.	विदेश सेवा पर या भारत में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण को मंजूर करने की शक्ति	समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों की बाबत पूरी शक्ति	समूह 'क' कर्मचारियों की बाबत पूरी शक्ति			
67.	केन्द्रीय या राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति व्यक्तियों की बाबत विदेश सेवा के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
68.	संस्थान के कर्मचारी जिसने विदेश सेवा से प्रतिवर्तन के पहले छुट्टी ली है उसके प्रतिवर्तन की तारीख विनिश्चित करना	पूरी शक्ति				
69.	भारत में संस्थान से बाहर कार्य और अध्ययन के लिए प्रतिनियुक्ति	संकाय सदस्य और समूह 'क' तकनीकी कर्मचारिवृंद के लिए तीन मास तक के लिए पूरी शक्ति				
70.	वेतन के बकाये आदि के दावों के अन्वेषण को मंजूर करने की शक्ति	साधारण वित्तीय नियम, के नियम 264 (3) के अधीन उपबंधों के अनुसार पूरी शक्तियां				
71.	समूह 'क' और समूह 'ख' अधिकारियों को स्थायी अग्रदाय अग्रिम को मंजूर करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
72.	संस्थान के हित में विधिक वाद दाखिल करना	पूरी शक्ति				
73.	संस्थान के हित में विधिक वाद के लिए अग्रिम और	पूरी शक्ति				

indiacode

	भुगतान को मंजूर करना					
74.	निम्न विहित करने की शक्ति – (क) प्रतिभूति निक्षेप की मात्रा; और (ख) प्रतिभूति बंध पत्र को उस कर्मचारिवृंद द्वारा निष्पादित किया जाएगा जिसे रोकड, भंडारों आदि को न्यस्त किया गया है	पूरी शक्ति				
75.	निवास का अबंटन	पूरी शक्ति				
76.	निवास क्वार्टर के लिए मानक किराया विनिश्चित करना	केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अध्याधीन पूरी शक्ति				
77.	भारत सरकार की साधारण नीतियों के अध्याधीन रहते हुए अनुसंधान परियोजनाओं का वचनबद्ध लेने के लिए भारत के और विदेशों अभिकरणों (भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांत के अध्याधीन) से अनुदान प्राप्त (स्वीकार) करना	स्वीकृत करने की पूरी शक्ति, यदि परियोजना की अवधि पाँच वर्ष से अधिक नही है		स्वीकृत करने की पूरी शक्ति, यदि परियोजना की अवधि पाँच वर्ष से अधिक है		
78.	जाँच के लिए अस्पताल के प्रभार और दर को विहित करना			पूरी शक्ति		
79.	अधिकारी को विभाग के अध्यक्ष के रूप में, कार्यालय के अध्यक्ष, अनुभाग अध्यक्ष और यूनिट के अध्यक्ष को पद नामित करना	पूरी शक्ति				
80.	विभाग के अध्यक्ष या संकाय सदस्य या कार्यालय अध्यक्ष या अनुभाग अध्यक्ष या यूनिट अध्यक्ष के कर्तव्यों और कृत्यों को परिभाषित और विहित करना	पूरी शक्ति				
81.	कर्मचारियों के सभी वैयक्तिक दावों की बाबत आहरण और वितरण अधिकारी को पद नामित करना	पूरी शक्ति				
82.	समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अभिलिखित जन्म की तारीख की लिपिकीय त्रुटियों के मामलों में परिवर्तन करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
83.	क्या कोई विशेष कर्मचारी प्रावकाश विभाग में सेवा कर रहा है या नहीं के संदेह के मामले में विनिश्चित करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
84.	आकस्मिक कार्यों के मामले में अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने की शक्ति	पूरी शक्ति				
85.	अनुभागों या यूनिटों या विभागों का सृजन या पुनर्गठन की शक्ति	अनुभागों और यूनिटों की बाबत पूरी शक्ति		विभागों की बाबत पूरी शक्ति .		
86.	(क) संस्थान में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों को प्रवेश देना (ख) प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए नैमित्तिक छात्रों को प्रवेश देना (ग) अन्य संस्थान के छात्रों के	पूरी शक्ति				

IndiaCode

	खण्ड–क्षेत्र नियोजन के लिए अनुमति देना					
87.	छात्रों या अनुसंधान अध्येताओं या (शोध) छात्रों या रेजिडेंट के अंतराल को करार के अनुसार अनुमति देना और शास्ति के साथ वैतानिक फायदे की वसूली करना	पूरी शक्ति				
88.	नियत्त तारीख के पश्चात् छात्रों को फीस का भुगतान के लिए समय अवधि का विस्तार करना	पूरी शक्ति				
89.	संस्थान से संलग्न छात्रावासों के वार्डनों की नियुक्ति करना और परिसर में बिना किराए के गृह–वास का उपबंध करना	पूरी शक्ति				
90.	संस्थान के कर्मचारिवृंद सदस्यों की गोपनीय रिपोर्टों की रिपोर्टभर्ता या समीक्षा के लिए प्राधिकारी विहित करना	आचार्य, अपर आचार्य के लिए रिपोर्टिंग या समीक्षा प्राधिकारी और अन्य सभी काडरों के लिए समीक्षा प्राधिकारी	निदेशक के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी	...	...	अन्य सभी काडरों की बाबत अव्यवहित पदीय ज्येष्ठ रिपोर्टभर्ता प्राधिकारी और उससे पदीय ज्येष्ठ समीक्षा प्राधिकारी होगा
91.	निम्न को आमंत्रित करना – (क) जहां विभागों में पदों को भरा नही गया है वहां तीन मास की अल्प अवधि के लिए आगंतुक आचार्य को निमंत्रित करना और विहित दरों पर प्रति भुगतान करना और पूरक और वापसी यात्रा भत्ते के लिए मंजूरी देना	पूरी शक्ति				
	(ख) संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों हेतु विशेष व्याख्यानों के लिए अगंतुक आचार्यों और सेमिनारों, कार्यशालाओं के लिए कर्मचारिवृंद और जहां भी आवश्यक हो हवाई यात्रा की मंजूरी और विशेषज्ञों की हैसियत पर निर्भर करते हुए अधिकतम दस सत्रों तक समुचित दरों पर प्रति व्याख्यान या सेमिनार या कार्यशाला मानदेय का भुगतान करना	विदेशी नागरिकों की बाबत पूरी शक्ति. आतिथ्य सत्कार प्रभारों का विस्तार और भारत में यात्रा भत्ते और मँहगाई भत्ते के भुगतान के लिए भारत सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करनी होगी				
	(ग) भारत के भीतर या बाहर के अन्य संस्थानों के संकाय सदस्यों को विश्राम दिवस छुट्टी के दौरान संस्थान में अनुसंधान करने या संचालन की अनुज्ञा देना	देश के भीतर संस्थानों के संकाय सदस्यों की बाबत पूरी शक्ति		देश के बाहर के संकाय सदस्यों की बाबत भारत सरकार के विनियमों के अध्याधीन रहते हुए पूरी शक्ति		
92.	चिकित्सा बोर्ड का गठन और कर्मचारीवृंद की स्थायी शारीरिक या मानसिक निर्योग्यता के कारण यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा और सेवा करने की असमर्थता प्रमाणित की जाती है तो अविधिस्मान्य पेंशन पर सेवा निवृत्त करना	चिकित्सा बोर्ड गठित करने की पूरी शक्ति और सेवा निवृत्त करने की शक्ति का प्रयोग संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी				
93.	संस्थान के कारबार के समुचित संचालन के लिए करारों और	पूरी शक्ति				

IndiaCode

	संविदाओं का निष्पादन करना					
94.	विहित नियमों के अनुसार निजी भवनों के किराए पर लेना	पूरी शक्ति				
95.	संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए जनता से, भारत के और भारत के बाहर के संस्थानों (भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अध्याधीन) से दानों या संदानों या विन्यासों को स्वीकार करना	पूरी शक्ति दस लाख से ऊपर प्रत्येक मामले की रिपोर्ट शासी निकाय को की जाएगी				
96.	अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों को चयन समिति, क्रय समिति या अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक फीस मंजूर करना	पूरी शक्ति				
97.	भारत सरकार द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार संस्थान के मान्यता प्राप्त कर्मचारिवृंद और छात्र क्लबों के सदस्यता अनुदान पर व्यय	पूरी शक्ति				
98.	लेखा परीक्षा में नामंजूरी की छूट			पूरी शक्ति		
99.	भूमि या भवनों जैसी अचल संपत्ति का अर्जन			पूरी शक्ति		
100.	अस्पताल में जांच और उपचार के लिए किसी फीस में विशेष कारणों (लेखबद्ध किए गए) के लिए कमी या छूट दी जा सकती है	पूरी शक्ति				
101.	ज्येष्ठ रेजीडेंट और छात्रों को रेजिडेंट नियम के अनुसार उनके पद की अवधि को विस्तार प्रदान करना	पूरी शक्ति				
102.	नियमों की शिथिलता में चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ती	पूरी शक्ति		जहां देश के बाहर उपचार किया जाना आवश्यक है, पूरी शक्ति		
103.	संस्थान की निधि का सरकारी प्रतिभूतियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, लोक वित्तीय संस्थानों के बाण्ड और प्रतिपूर्तियों, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कंपनियों के शेयरों या किसी अन्य स्कीमों में विनिधान करना	पूरी शक्ति (शासी निकाय को छह मास में एक बार रिपोर्ट करनी होगी)				
104.	भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए आरंभ किए गए पुनरीक्षित वेतनमान, प्रोन्नति स्कीम और अन्य कर्मचारी लाभ स्कीम जैसे फायदे का विस्तार निम्हान्स कर्मचारियों को होगा	उन मामलों में पूरी शक्ति जहां शासी निकाय का अनुमोदन आवश्यक नही है		अन्य मामलों में पूरी शक्ति		
105.	कार्यशालाओं या सेमिनारों या परिसंवादों या सम्मेलन को अनुमोदित करना और स्वीकृत बजट कि अधीन प्रत्येक क्रिया कलाप के लिए हुए व्यय को मंजूरी देना	पूरी शक्ति				

टिप्पण : 1. अनुसूची के अनुसार निम्न प्राधिकारी में निहित शक्तियों का प्रयोग उच्च प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है ।

टिप्पण : 2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978 या साधारण वित्तीय नियम, 2005 के अधीन उपबंध के अनुसार जहां वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का अनुमोदन या सहमति आपेक्षित है प्राप्त की जाएगी।

IndiaCode

अनुसूची – II

भारतीय नागरिकों के लिए फीस ढांचा
(विनियम 27 देखें)

(रू . अंक में)

क्र सं	फीस की प्रकृति	पीएच.डी .	डीएम /एम. सीएच.	एमडी/पीडी एफ	डीपीएम	एम.फिल	एम.एससी.	बीएससी. नर्सिंग	बीएससी निश्चेतक तकनीकी / रेडियोग्राफी	डीसीएनटी डीपीएन /डीएनएन	टिप्पणी
1. पात्रता फीस : (1) कर्नाटक के अन्य विश्वविद्यालय : 100 रू. (2) कर्नाटक से बाहर के विश्वविद्यालय : 500 रू. (3) विदेशी छात्रः 5000 रू.											
2.	रजीस्ट्रेशन फीस	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	———	दाखिला के समय देय है
3	अध्यापन फीस प्रति वर्ष	18,000.00	50,000.00	50,000.00	36,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	10,000.00	———	
4	प्रयोगालय फीस (प्रति वर्ष)	500.00	500.00	500.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	———	
5	जिमखाना और आमोद–प्रमोद फीस (प्रति वर्ष)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	दाखिला के समय में पूरा कोर्स की शुल्क देय है ।
6	पुस्तकालय फीस (प्रति वर्ष)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	अवधान द्रव्य और छात्रावास निक्षेप	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	कोर्स पूरा होने पर देय
8	पहचान पत्र फीस	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	दाखिला के समय देय है
9	परीक्षा फीस										
	भाग I	———	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	325.00	
	भाग II	———	10,000.00	5,000.00	———	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	———	संस्थान द्वारा निर्धारित
	भाग III	———	———	———	———	———	———	1,000.00	1,000.00	———	
10	पूर्व–पीएच.डी परीक्षा फीस	2,000.00	———	———	———	———	———	———	———	———	
11	पीएच.डी शोध प्रबंध फीस	10,000.00	———	———	———	———	———	———	———	———	

टिप्पण 1 : एक बार भुगतान की गई फीस किसी कीमत पर वापस नही होगी।
टिप्पण 2 : * अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों (बी.एससी नर्सिंग) के लिए 20,000 रू. का एकमुश्त भुगतान ।
टिप्पण 3 : **बी.एससी नर्सिंग के छात्रों के लिए छात्रावास किराया (जल और विद्युत प्रभारों) के लिए 5000 रू. और 1000 रू. भोजनालय अग्रिम ।
टिप्पण 4: पोस्ट डाक्ट्रेट अध्येतावृत्ति पाठ्यक्रम के लिए कोई परीक्षा फीस नही ।

IndiaCode

विदेशी नागरिकों के लिए फीस ढांचा

(सभी आंकडे US $ में)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	* अध्यापन फीस	प्रवेश फीस
1.	पीएच. डी.	30000	500
2	अति विशेषज्ञता पाठ्यक्रम		
	क. डीएम / एम.सीएच. (5 साल)	60000	1000
	ख. डीएम / एम.सीएच. (5 साल)	50000	1000
3	पीडीएफ इन न्यूरोपेथॉलोजी / न्यूरोअनेस्थेशिया	30000	1000
4	एम.फिल.	20000	500
5	एम.एससी. मनशिचिकत्सा नर्सिंग	15000	500
6	बीएस.सी इन नर्सिंग	20000	
7	मनशिचिकत्सा या मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग (डी पी एन) में डिप्लोमा ; तंत्रिका–विज्ञान नर्सिंग (डी एन एन) में डिप्लोमा और नैदानिक तंत्रिका शरीर क्रिया विज्ञान प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा (डी एन सी टी)		100

टिप्पण : **1**. अध्यापन फीस का भुगतान समान वार्षिक किस्तों में होगा। उपदर्शित रकम पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए है ।

टिप्पण : **2** .एक बार भुगतान की गई फीस किसी कीमत पर वापस नही होगी ।

अनुसूची–3

निम्हान्स में विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करना और परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक
(विनियम 29 देखें)

सिद्धांत परीक्षा

I. पूर्व–पीएच.डी / पीजी डिप्लोमा / यू.जी. डिप्लोमा / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों :–
(चिकित्सा और गैर चिकित्सा दोनो प्रकार के)

1.	प्रश्न पत्र का गठन	500 रू. प्रति पेपर
2.	सिद्धांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन	**यू.जी** : प्रति अभ्यर्थी 25 रू. जो न्यूनतम 150 रू. प्रति परीक्षक के अध्यधीन है. **पी.जी** : प्रति अभ्यर्थी 100 रू. जो न्यूनतम 500 रू. प्रति परीक्षक के अध्यधीन है.
3	डीएम या एम.सीएच या एमडी या एम.फिल या एम.एससी शोध प्रबंध का मूल्यांकन	1000 रू. प्रति शोध प्रबंध
4	केस रेकॉर्ड का मूल्यांकन	200 रू. प्रति केस रेकॉर्ड
5	डाक / कोरियर खर्च (यदि कोई हो)	वास्तविक खर्च

प्रयोगात्मक परीक्षा

1 नैदानिक या प्रयोगात्मक या मौखिक परीक्षा का संचालन

1. **एमडी या डीएम या एम.सीएच या डीपीएम या एम.फिल या एम.एससी पाठयक्रम :**
प्रश्न पत्र के गठन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और नैदानिक परीक्षण के संचालन,
प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा के लिए प्रति अभ्यर्थी 1000 रू. जो प्रति परीक्षक के लिए न्यूनतम 2000 रू. और अधिकतम 5000 रू. के अध्याधीन है।

1.**(क)** मौखिक परीक्षा (पूर्व–पीएच.डी या पीजी पाठ्यक्रम)
500 रू. प्रति परीक्षक ।

2. **बीएस.सी पाठ्यक्रम :**
प्रश्न पत्र के गठन, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और नैदानिक

परीक्षण के संचालन,
प्रयोगात्मक तथा मौखिक परीक्षा के लिए प्रति दिन प्रति परीक्षक 500 रू.

2 **(क)** मौखिक परीक्षा के लिए मात्र 500 रू. प्रति परीक्षक प्रति दिन।

2 विशेषज्ञ सहायक — प्रति सत्र प्रति दिन 250 रू.

3 चैयरमेन फीस — 1000 रू.

II. पीएच. डी पाठयक्रम

1. पीएच. डी शोध प्रबंध मूल्याकंन — 2000 रू. प्रति शोध प्रबंध
2. मौखिक परीक्षा — 500 रू. प्रति परीक्षक
3. डाक / कोरियर खर्च, यदि कोई हो, — वास्तविक खर्च
4. चैयरमेन फीस — 1000 रू.

III. स्नातक और स्नातकोत्तर सिद्धांत परीक्षा के आयोजन करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिये पारिश्रमिक

परीक्षा कार्य में अंतवर्लित अधिकारी और कर्मचारिवृंद	**पारिश्रमिक प्रति परीक्षा रू.**
प्रशासनिक अधिकारी (ए ई) मू)	500.00
विशेष अधिकारी (ए ई)	500.00
सारणीकार	1000.00
मूल्याकंन सहायक	500.00
आशुलिपिक श्रेणी—II (एक)	250.00
अवर श्रेणी लिपिक (एक)	200.00
निरीक्षक / अधीक्षक	100 प्रति दिन
परिचारिक	100.00

IV. **डीपीएन/डी एन एन/डीसीएटी परीक्षा :**

परीक्षकों के पारिश्रमिक
(स्नातक पाठ्यक्रम के समान)

अनुसूची —IV

अस्पताल प्रभार (फीस)

(विनियमन 30 देखें)

I. **साधारण :**

*** रोगियों की आय** : ऐसी रोगियों जो नियोजित हैं उनकी सकल वेतन को आय के रूप में और ऐसे रोगी जो नियोजित नही हैं । उनके परिवार के समर्थक सदस्य की आय को विचार में लिया जाएगा।

2. रोगियों को दो मुख्य प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् :—

***** गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) कार्ड धारक ; और

***** गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) ।

एपीएल प्रवर्ग के रोगियों को सभी सेवाओं के लिए पूरा भुगतान करना होगा । ऐसे ए.पी.एल. प्रवर्ग के रोगियों जिनकी वार्षिक आय 40,000 रू. से कम है, वार्ड, परीक्षणों, प्रक्रियाओं और शल्य चिकित्सा आदि के प्रयासों में अधिकतम 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी । तथापि, विशेष वार्ड में भर्ती किए गए रोगियों को उनकी आय को ध्यान रखे बिना पूरे प्रभार का भुगतान करना होगा ।

3. रोगी जो बी.पी.एल. कार्ड धारक हैं, नैत्यिक उपचार और जाँचों के लिए उनको 200 रू. की छूट प्राप्त होगी। यह केवल उपचारों के रोगी अंतरंग उपचारों के लिए लागू होगा। तथापि, वे संगणित टोमोग्राफी (सी.टी) स्कैन, चुम्बकीय अनुनादी प्रतिरूपक (एम आर आई), इलैक्ट्रो इनसीफलों ग्राम (ईईजी) जैसे विशेष जाँचों, कतिपय प्रयोगशाला परीक्षणों, आदि के लिए प्रभारों का भुगतान करेगा ।

4. पहले आपरेशन की जटिलता के कारण किए गए आवश्यक आपरेशन कोई प्रभार का उदग्रहण नही किया जाएगा ।

IndiaCode

5. विभाग के अध्यक्ष की सम्यक सिफारिश और चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के पश्चात शैक्षणिक हित में की गई जाँचों को बिना खर्च किया जाएगा। यह जाँच या उपचार के पहले किए जाएगा न कि निस्सारण या बिलों के तय करने के समय ।

6. बाहरी अभिकरणों या संस्थानों के द्वारा अनुरोध की गयी जाँचों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 20 रू. के साथ पूर्ण दर से प्रभार लिया जाएगा ।

7. बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए वार्ड प्रभार वयस्क रोगियों के वार्ड प्रभार के समान होगा ।

8. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान के कर्मचारिवृन्द और उनके आश्रितों को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान स्वास्थ्य योजना के अनुसार पूर्ण कोर्स या उपचार की अस्पताल की सेवाएं दी जाएगी।

9. स्वतंत्रता सेनानियों, उनके पति/पत्नी और अवयस्क आश्रित बच्चे बिना खर्च केवल साधारण वार्ड में अस्पताल की सेवाओं के लिए पात्र होंगें जो इस शर्त के अध्यधीन होंगें कि केन्द्रीय या राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । यदि वह विशेष वार्ड में भर्ती होने के इच्छुक हैं तो उन्हें साधारण वार्ड और विशेष वार्ड के व्यय के अंतर को उनके द्वारा वहन करना होगा ।

10. रोगी की भर्ती के समय रोगी की आय को ध्यान में रखे बिना 25 रू. का भर्ती प्रभार उससे का संग्रहण किया जाएगा।

11. भागिक भुगतान का उपबंध.—ऐसे रोगियों की बाबत जिनकी घोषित मासिक आय 1700 रू. से कम है और जाँच और उपचार प्रक्रियाओं के लिए भुगतान करने की स्थिति में हैं, परंतु पूरे अस्पताल प्रभारों के भुगतान की स्थिति में नही है, ज्येष्ठ रेजिडेंट या परामर्शदाता जो रोगी का उपचार करा रहे हैं उन सुसंगत जाँच और उपचार प्रक्रियाओं की पहचान करेंगें जिसके लिए रोगी से प्रभार का संग्रहण किया जा सकता हैं ।

12. आकस्मिक और संपेक्षण यूनिट में उपचार के लिए प्रभार.—बी.पी.एल. कार्ड धारक रोगियों को आकस्मिक और संप्रेक्षण यूनिट में नैत्यिक जाँच और उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ए.पी.एल. रोगियों के मामले में, ड्यूटी वाले रेजिडेंट आकस्मिक या संपेक्षण यूनिट में रहने के दौरान जाँचों और उपचार सुविधाओं की सूची तैयार करेंगे । भार साधक स्टाफ नर्स केस रेकार्ड को अस्पताल के रोकड पटल या भर्ती पटल पर भेजने की व्यवस्था करेगी और वहाँ आवश्यक प्रभार रोगियों से संग्रहण किया जाएगा । सेट IV प्रयोग की गई औषधि या स्कंलेप शिरा सेटों आदी जैसे व्ययन योग्य पदार्थ रोगियों के आकस्मिक वार्ड छोडने से पहले प्रति स्थापित की जाएगी । आकस्मिक और संपेक्षण यूनिट में देखभाल चाहने वाले सभी रोगियों के आय का निर्धारण ड्यूटी वाले आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी या रेजिडेंट द्वारा किया जाएगा ।

13. सरकारी अस्पतालों या केंद्र द्वारा प्रयोगशाला जांचों के लिए किए गए अनुरोध पर पूरी दर से प्रभार लिया जाएगा और गैर सरकारी अस्पताल या केंद्र के अनुरोध पर पूरी दर के 1.5 गुना प्रभार लिया जाएगा ।

14. केवल उन रोगियों को रियायती दर पर उपचार प्रदान किया जाएगा, जो बी.पी.एल. कार्ड प्रस्तुत करेंगें । अन्य सभी रोगी को अनुबद्ध प्रभार का भुगतान करेंगें ।

15. प्रभारों के त्यजन का कोई प्रस्ताव ऐसी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जो निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक और रजिस्ट्रार से मिलकर बनेगी ।

16. विदेशी राज्यों के रोगी.—निम्हान्स में उपचार लेनेवाले विदेशी नागरिकों से तारीख 21 आगस्त, 2012 से विश्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथा वर्गीकृत उनके देश की आर्थिक हैसियत पर आधारित प्रभार लिए जाएगा । तदनुसार, निम्न और मध्यम आय की अर्थव्यवस्था से संबंधित रोगियों से पूरे दर से प्रभार लिया जाएगा और उच्च आयु वाले देश से संबंधित रोगियों से संस्थान द्वारा विभिन्न सेवओं से लिए विहित पूर्ण दर से दो गुना प्रभार लिया जाएगा ।

II. वार्ड प्रभार

वार्ड	प्रनिदिन का टैरिफ रू.
क. साधारण वार्ड	
1. बी.पी.एल. कार्ड धारक	5—00
2. ए.पी.एल. रोगी	
(क) प्रतिवर्ष 40,000 रू. से कम	25—00
(ख) प्रतिवर्ष 40,000 रू. और उससे ऊपर	50—00

साधारण वार्डों और साझा विशेष वार्डों में भर्ती हुए रोगी जो बी.पी.एल. कार्ड नहीं रखते हैं, भर्ती के समय निम्न न्यूनतम निक्षेपों को देना होगा । यह उन रोगियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक और अल्प ठहराव बिस्तारों पर रखे गए या भर्ती हैं ।

मनशिचिकत्सा वार्ड	1000—00
तंत्रिका विज्ञान वार्ड	2000—00
तंत्रिका शल्य चिकित्सा वार्ड	5000—00
तंत्रिकापुनर्वास वार्ड	2000—00

परामर्शदाता होने वाले परीक्षणों और उपचार पर अवलंबित उच्चतर निक्षेप की माँग कर सकेंगें ।

ख. विशेष वार्ड (मनशिचिकत्सा)

1. ब्लाक 'ए'	
एकल बिस्तर/काटेज 1 और 2	400—00
काटेज नं 3 और 4	600—00
2. ब्लाक बी'	
एकल बिस्तर वार्ड	400—00
2 — बिस्तर वार्ड	200—00
4 — बिस्तर वार्ड	125—00
6 — बिस्तर वार्ड	100—00
3. **ब्लाक 'सी'**	
एकल बिस्तर वार्ड	600—00
एकल बिस्तर ए.सी. कक्ष	1000—00
4. **बाल मनोचिकित्सा केन्द्र**	
एकल बिस्तर वार्ड	500—00
2 — बिस्तर वार्ड	300—00

5. दुर्व्यसन निवारण केंद्र

डिलक्स वार्ड	1000—00
एकल बिस्तर वार्ड	300—00
2 — बिस्तर वार्ड	150—00
3 — बिस्तर वार्ड	125—00
6 — बिस्तर वार्ड	75—00

ग. परिवार/वार्ड 300—00
(प्रभार, आय ढांचे के अनुसार होगा)

घ. विशेष वार्ड (तंत्रिका विज्ञान / तंत्रिक शल्यचिकित्सा)

1. ब्लॉक ए'

एकल बिस्तर वार्ड	600—00
एकल बिस्तर ए.सी. न. 301	800—00
एकल बिस्तर ए.सी. न. 308	700—00
2 — बिस्तर का विशेष वार्ड	200—00

2. ब्लॉक बी'

एकल बिस्तर डिलक्स	1200—00
एकल बिस्तर वार्ड	500—00
दो बिस्तर का विशेष वार्ड	400—00

IndiaCode

रोगियों द्वारा एकल बिस्तर विशेष वार्डों में भर्ती किए जाने पर निम्नानुसार न्यूनतम निक्षेप जमा करना होगा । परामर्शदाता मामले पर अवलंबित उच्चातर निक्षेप पर विनिश्चय करेंगें ।

तंत्रिका–विज्ञान विशेष वार्ड तंत्रिका शल्य चिकित्सा विशेष वार्ड डिलक्स वार्ड मनशिचिकत्सा ब्लाक 'ए' और ब्लाक 'बी' मनशिचिकत्सा सी' ब्लाक और कॉटेज नं. 3 और 4	10,000–00

परामर्शादाता होनेवाले परीक्षणों और उपचार पर अवलंबित उच्चातर निक्षेप की माँग कर सकेगा । सभी योजनाबद्ध (चयनात्मक) भर्ती के लिए निक्षेप यथा साध्य कुल संभावित व्यय को पूरा करेगा ।

ङ. सधन देखभाल यूनिट

तंत्रिका–विज्ञान और तंत्रिका शल्य चिकित्सा	650–00
मनशिचिकत्सा	100–00

टिप्पण :–
वार्ड प्रभार, एकल बिस्तर विशेष वार्डों और दो बिस्तर वाले विशेष वार्डों में जाँच उपचार प्रभार रोगी की आय को ध्यान में रखे बिना एक सौ प्रतिशत होगा । चार और छह बिस्तर वाले विशेष वार्डों में रोगियों से वार्ड प्रभार उनकी आय को ध्यान में रखे बिना एक सौ प्रतिशत उदग्रहण किया जाएगा । तथापि, जाँचों और उपचार के लिए प्रभार उनकी आय ढाँचे के अनुसार पूरे प्रभार के न्यूनतम पचास प्रतिश्त के साथ होंगें ।

III. चिकित्सा प्रमाण पत्रों की फीस

भर्ती और छुट्टी	50–00
विश्राम/स्वस्थ की सलाह	50–00
मेडिकल लिगल शव परीक्षा	200–00
घाव प्रमाण पत्र	200–00
बीमा दावा के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र	200–00
बहिरोगी उपचार	50–00
वाक और श्रवण प्रमाण पत्र	200–00

टिप्पण : नैदानिक शव परीक्षा का प्रमाण पत्र मुफ्त में जारी किया जाता है ।

IV. चिकित्सा बोर्ड के प्रभार

नेमी चिकित्सा बोर्ड	300–00
चिकित्सा बोर्ड को विशेष/अपील	500–00

V. भोजन प्रभार

अस्पताल में भर्ती रोगीयों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करायेगा, जो बी.पी.एल. कार्ड रखते हैं । अन्य सभी रोगियों (भुगतान कर रहे रोगियों) को यह विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करें या अस्पताल की भोजन सुविधा को लें ।

साधारण भोजन	50–00
विशेष भोजन	80–00
दूध आहार, दूध और ब्रेड	15–00

VI. अस्पताल गाडी प्रभार

क्रमांक	स्थान	रू.
1.	बौरिंग अस्पताल, मेडिनोवा, शिवाजी नगर आदि	100–00
2.	के सी जनरल अस्पताल, मल्लेश्वरम	150–00
3.	ई एस आई अस्पताल, राजाजी नगर	150–00
4.	ई एस आई अस्पताल, इंदिरा नगर	120–00
5.	सैंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल	100–00

IndiaCode

6.	जयनगर अस्पताल, जयनगर	80—00
7.	विक्टोरिया अस्पताल, वाणिविलास, कलासिपाल्यम आदि	100—00
8.	सैंट मार्थास अस्पताल	100—00
9.	रेल्वे स्टेशन, बस अड्डा, मेजेस्टिक प्रदेश	120—00
10.	एच ए एल अस्पताल, एयरपोर्ट रोड	200—00
11.	मणिपाल अस्पताल, एयरपोर्ट रोड	200—00
12.	आइसोलिशन अस्पताल और बय्यप्पनहल्ली	200—00
13.	एम.एस. रामय्या अस्पताल, गोकुल और मत्तिकेरे	220—00
14.	बाप्टीस्ट अस्पताल, यलहंका	200—00
15.	आई.टी.आई. कृष्णराजपुरम	200—00
16.	किद्वाई और संजयगांधी संस्थान	30—00

टिप्पण : उपरोक्त वर्णित से भिन्न स्थानों के लिए फीस 150 रू. प्रति किलोमीटर की दर से प्रभारित होगा।

VII. आकस्मिक और बहिरोगी सेवा

जाँच —पडताल नैदानिक रजिस्ट्रेशन	20—00
बहिरोगी रजिस्ट्रेशन (रोगी फाइल खोलना)	50—00
बिना बीपीएल कार्ड के रोगियों को बहिरोगी अनुवर्ती फीस (जांच के अधार पर) (प्रतिनिरीक्षण)	10—00
यदि कार्ड खो जाने पर रजिस्ट्रेशन कार्ड की द्वितीय प्रति जारी करना	20—00
आकस्मिक रजिस्ट्रेशन (जिसमे रोगी फाईल खोलना भी हैं)	100—00

बीपीएल कार्ड के रोगियों की वार्षिक फीस 100 रू. उन्हे देना होगा चूंकि बहिरोगी विभाग औषधि पटल और नेमी निदानसूचक जाँच कराने हेतु उन्हे मुफ्त दवा देने में सुविधा फीस देना होगा। ऐसे रोगियों को एक पहचान पत्र दिया जाता है और वह निर्धारित फीस अदा करने पर हर साल नवीनीकरण करना होगा।

VIII. विभिन्न जांच के लिए विभाग के अनुसार फीस

1. नैदानिक मनोविज्ञान

2.

क. जाँच :

ज्ञानात्मक कृत्य	500—00
व्यक्तित्व और अंतर व्यक्तित्व सम्बन्ध	500—00
विनिर्दिष्ट विद्या योग्यता	300—00
विनिर्दिष्ट कार्य (आई क्यू)	200—00
साधारण मूल्यांकन	1000—00
निदान सूचक स्पस्टीकरण	500—00
तंत्रिका मनोवैज्ञानिक निर्धारण	1000—00

ख. चिकित्सा :

ज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा (प्रति सत्र)	150—00
जैविक —पुनर्निवेशन /श्लथन प्रशिक्षण (प्रति सत्र)	150—00
ज्ञानात्मक रिट्रेनिंग (प्रति सत्र)	150—00
मनश्चिकत्सा/सलाह (प्रति सत्र)	150—00

ग. मॉलेक्यूलर निदान सुविधा
रोग सहचारी ट्रिप्लेट रिपिट विस्तार

(क) हंटिंग्टिन्स रोग/एक किस्म का एटैक्सीय	1000—00
(ख) स्पाइनोसेरिबेलर एटैक्सीया पैनल 1 (1,2,3)	2000—00
(ग) स्पाइनोसेरिबेलर एटैक्सीया पैनल 2 (1,2,3,6,7,8,12,17 डी आरपीएलए)	5000—00

IndiaCode

डेक्नी और बीकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी

डिलेक्शन 24 एक्सॉन्स की विश्लेषण	1500–00

कैरियर विश्लेषण

एंट्राजनिक मार्कस का उपयोग (एन्ट्रान 3,44 और 49)	3000–00

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी

डिलेक्शन विश्लेषण (एक्सान 7 और 9 मात्र)	1000–00
कैरियर विश्लेषण लुजिंग क्यू–पीसीआर (एक्सान 8 मात्र)	3000–00

2. तंत्रिका विज्ञान

(नैदानिक इलेक्ट्रोक्रिया विज्ञान)

ई.ई.जी ;	360–00
(100 रू प्रति अनुवर्ती तीन ई.ई.जी के लिए, एक वर्ष के भीतर)	
ई .सी.जी.	100–00
ई.एम.जी और स्नायु संचालन (एक वर्ष के भीतर तीन बार के पश्चात 100 रू.प्रति)	360–00
उतापन्न क्षमता	180–00
(वीईपी + बीएईआर + एसएसइपी+ ब्लिंक रिफैलक्स) (प्रति)	
संयुक्त उतापन्न क्षमता अध्ययन	
(वीईपी + बीएईआर + ब्लिंक रिफैलक्स+ एसएसइपी)	360–00
स्फीनोइडॉल ई. ई.जी	720–00
विडियोमेट्री (न्यूनतम) (विडियो कैसेट सहित)	
दिन और रात की रेकार्डिंग :–	
– एक दिन	1200–00
– दो दिन	2400–00
– तीन दिन	3600–00

न्यूनतम फीस 1000 रू. = घंटा की संगणना किए बिना होता है। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 250 रू. (अधित्याग से इकाइ/विभागीय प्रमुख द्वारा अपेक्षित होता) है।

सिंगल फाइबर इ एम जी/माइक्रो इ एम जी या अन्य प्रक्रिया	360–00
बॉटूलिनियम टॉक्सीन इंजेक्शन (औषधि खर्च छोडकर)	360–00
एटोनॉमिक कार्य परीक्षण	600–00

टिप्पण :

न्यूनतम फीस 50 रू. : ई.ई.जी के लिए
न्यूनतम फीस 50 रू. : ई.एम.जी. और न्यूरोकंडक्शन,
न्यूनतम फीस 50 रू. : वी.ई.पी.बी.ए.ई.आर; एस.एस.पी; और बी लिंक रिफैलल्स.

पॉलेसोमनोग्राफी (पी एस जी) फीस	1000–00
पी एस जी के साथ एम एस एल टी फीस	1500–00
बीपीएल कार्ड धारक 250रू = (प्रकरण अपेक्षित नियम के अनुसार अधित्याग)	300–00
इनवालेंट्री मूमेंट स्टडीस	300–00

चिकित्सा विज्ञान

ई एम जी मार्गदर्शित बोतलबंद टॉक्सीन इंजेक्शन (फीस वर्जित)	600–00
आरटीएमएस (प्रति सत्र)	200–00
3. तंत्रिका निश्चेतक	
आई.सी.यू. वार्ड फीस : प्रतिदिन	650–00

IndiaCode

वातायनी आपेक्षित रोगियों के लिए वातायनी वेंटिलेटर फीस (प्रतिदिन)	1000—00
आक्सिजन फीस (प्रतिदिन)	250—00
ब्लड गैसेस (प्रतिदिन)	150—00
देखभाल फीस (प्रतिदिन)	400—00

निश्चेतक / निश्चेतन की प्रक्रिया

एम आर आई	500—00
एंजियोग्राम	500—00
हस्तक्षेपकारी विकिरण ए वी एम	1000—00
जी डी सी कॉयलिंग एन्यूरेजम	2000—00
सी टी स्कैनिंग	50—00

4. तंत्रिका रसायनशास्त्र

क. रक्त

शर्करा

क.	भूखा	50—00
ख.	पोस्ट प्रांडायल	50—00
ग.	यादृच्छिक	50—00
	यूरिया	70—00
	क्रयटानिन	70—00
	कोलेस्ट्राल	80—00
	एच डी एल कोलिस्ट्राल	100—00
	सोडियम	80—00
	पोटैशियम	80—00
	कैल्सियम	70—00
	फासफोरस	70—00
	कॉपर	300—00
	सिरूप्लाजमीन	200—00
	लिथियम	100—00
	डी.पी.एच;	400—00
	फेनोबारबाइटोन	400—00
	कारबमजापाइन	400—00
	बिलुरूबिन	90—00
	एल्कालाइन फासफेट	90—00
	सी.पी.के;	150—00
	एल.डी.एच;	150—00
	जी.ओ.टी;	80—00
	जी.पी.टी;	80—00
	कुल प्रोटीन	60—00
	एल्बुमीन	60—00
	प्रोर्थोम्बीन टाइम	150—00
	टी 3	100—00
	टी 4	100—00
	टी.एस.एच;	100—00
	टी3, टी4, टीएसएच	300—00
	सीरम ओस्मॉलालेटी	200—00
	युरीन ओस्मॉलालेटीन	200—00

ब. यूरीन/पेशाब

कॉपर	300—00
आईईएम की प्रसमान्य चयापचयन/जाँच	150—00
पी.बी.पी;	50—00
बी.जे.प्रोटीन	50—00
24 घंटा यूरेनरी प्रोटीन	70—00

IndiaCode

स. अन्य

युरिक आम्ल	90–00
ट्रिग्लीद्स्रॉयड्स	100–00
गामा जी टी	100–00
आर्यल सल्फेट्स	500–00
हेक्सासिमिडायक ए,बी व कूल	500–00
लैक्टेट	150–00
बी.12	300–00
फोलैक आम्ल	300–00
आई.ई.एम की पेशाब जाँच,	150–00
ग्लायकोसाइलेटेड एच बी	300–00
एमोनिया	300–00
एमिनो असिड प्रोफाइल से एचपीएलसी प्लाजमा	1500–00
होमोसाइटेन	800–00
फाइब्रोनोजीन एंटिकॉगलेंट–	300–00
लूपस	250–00
लैक्टेट	200–00
वाल्पोरेट	400–00
एचबीएएलसी	300–00
माइर्कोएल्बुमीन	300–00
एंजियोटेनसीन–कनवर्टिंग एंजाम	900–00
एंटिफॉसफोलिपिड एंटिबॉडिस – IgG	600–00
एंटिफॉसफोलिपिड एंटिबॉडिस – IgM	600–00
एंटि कार्डियोलिपिन एंटिबॉडिस –IgG	400–00
एंटि कार्डियोलिपिन एंटिबॉडिस – IgM	400–00
एंटि कार्डियोलिपिन एंटिबॉडिस – IgA	400–00
आईइएम की टेंडम माक स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषण	1000–00

IndiaCode

बीपीएल कार्ड धारक रोगियों के लिए तंत्रिका रसायन शास्त्र प्रयोगालय जांच की दर उनके सामने दिए हैं

थैरायड प्रोफाइल (टी3,टी4, टीएसएच)	200–00
टी 3	75–00
टी 4	75–00
टी एस एच	75–00
प्रोथ्रोमबीन टाइम	100–00
आर्येल सल्फिट्स ए और बी	250–00
हेक्सोसामिनेडस ए और बी	250–00
एमिनो असिड प्रोफाइल के एच पी एल सी	750–00
लैक्टेट	150–00
ए इ डी दवा (पी बी/डीपीएच/सीबीजेड)	100–00
टेंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री	300–00
होमोसाइटेन	500–00
फाइब्रीनीजीन	75–00

5. तंत्रिका प्रतिरूपण और हस्तक्षेपकारी विकिरण चिकित्सा

1. एक्स–रे :

क. 15'' X 12''	150–00
ख. 10'' X 12''	100–00
ग. 10'' X 8''	80–00
विशेष एक्स–रे प्रक्रिया (आई वी पी, माइलोग्राम, अर्बिटल, विनोग्राम, एमसीयु)	1000–00
ट्रांसफार्मल कैथेट्रीयोग्राम	2500–00
सरिब्रल एंजियोग्राम	4500–00
स्पाइनल एंजियोग्राम	4500–00

अन्य वास्कुलर अध्ययन	6000—00

मध्यस्थ फीस :—

क . एंडोवास्कुलर	9000—00
ख. प्रिकॉशनियस	2500—00
एंजियो सेल	7400—00

डायग्नॉस्टिक कैथेटर डायग्नॉस्टिक गाइड वायर फिमोरल शेथ एक्सचेंज गाइड वायर माइक्रोकैथट्रर्स प्रति प्रति गाइडिंग कैथेटर्स गाइड वायर के साथ माइक्रो प्लाटिनम टिप बिना प्लाटिनम टिप की माइक्रो गाइड वायर लिपियोडॉल – 1 ए एम पी हिस्टोअर्केल – 1 ए एम पी लमदा कनेक्टर	वास्तविक प्रचलित फीस

2. कॉयल्स :

जीडीसी मानक और साफ्ट कॉयल्स सहित 2डी शामिल	
ज़ीडीसी– 3डी अल्ट्रा साफ्ट, एस आर और साइनर्जी	
जीडीसी 18 3डी सैनर्जी	
फाइब्रिड जीडीसी 18 वट्रेक्स शेफ कॉयल्स	
फाइर्बिड प्लाटिनम कॉयल्स –10	
वट्रेक्स कॉयल्स	
वट्रेक्स डायमंड शेफ कॉयल्स – 18	
018 फाइब्रेड प्लाटिनम कॉयल्स	
बेरिंस्टिन लिक्वेड कॉयल्स – 15/10	वास्तविक प्रचलित मूल्य सेंट्री बलून
सेंट्री वलून	
मानक ऑकलसन बलून	
कंटोर पीवीए एम्बॉलाजेशन प्राटिकल्स	
नॉन–आयोनिक कॉंट्रास्ट मीडियम प्रति 10 एम एल	120—00

टिप्पण : सूची में सम्मिलित नहीं किए गए उत्पादक का फीस सामग्री का खर्च/लागत के अनुसार होगा। यह सूची सुझाव के रूप में और सामग्री का मूल्य खरीद करते समय पर फीस निर्भर करेगा।

3. सी.टी. स्कैन फीस :

अ. मस्तिष्क :

बीपीएल	300—00
प्रति वर्ष 40,000 रू. से कम हो	1200—00
40,000 रू. और ऊपर	2000—00

आ. रीढ या अन्य शरीर के अंग :

बीपीएल	700—00
प्रति वर्ष 40,000 रू. से कम हो	1500—00
40,000 रू. और ऊपर	3200—00

इ. सी.टी. एंजियोग्राम :

बीपीएल	2000—00
प्रति वर्ष 40,000 रू. से कम हो	3000—00
40,000 रू. और ऊपर	4400—00

फिल्म/सीडी को मिलाकर या मात्र एपीएल रोगियों के लिए

IndiaCode

ई. वैषम्य मध्यम फीस

आयोनिक मध्यम प्रति 100 मिलि	400—00
नॉन—आयोनिक मध्यम प्रति 10 मिलि	120—00
एक्स्ट्रा सी.टी. फिल्म फीस (प्रति फिल्म)	100—00

4. एम.आर.आई स्कैन फीस

मस्तिष्क या रीढ या शरीर के एकल अंग :—

बीपीएल	1000—00
प्रति वर्ष 40,000 रू. से कम हो	3500—00
40,000 रू. और ऊपर	5500—00
बीपीएल	500—00
प्रति वर्ष 40,000 रू. से कम हो	1000—00
40,000 रू. और ऊपर	1700—00
एम.आर.आई विषमता — विषमता मध्यम फीस	800—00

अस्पताल द्वारा सीडी दी जायेगी.

टिप्पण : बहिरंग और /या अंतरंग रोगी को उपचार के समय में कम से कम 90 दिनों के बाद स्कैन कराने के लिए आधी दरों पर फीस ली जायेगी ।

5. अल्ट्रासांउड :

नियमित	150—00
डॉपलर	300—00

6. तंत्रिका सूक्ष्म जीवविज्ञान

बैक्टेरियल कल्चर्स और संवेदनकारी	300—00
फंगल कल्चर	200—00
सीएसएफ सैल कौंट	150—00
बैक्टैक रेडियोमेट्रिक ए सी	1200—00
ए एफ बी कल्चर	250—00
एलिसा की एंटिमाइकोबैक्टेरिया एंटिबॉडी	400—00
एलिसा की एंटिसाइटिसर्कल एंटिबॉडी	400—00
आर ए फैक्टर	100—00
मॉटेक्स जाँच	75—00
एन्यूरोबिक कल्चर	600—00
वाइदल जाँच	100—00
ए.एस.एल.ओ ;	200—00
सी आर पी ;	150—00
वी.डी.आर.एल ;	100—00
क्रप्टोकॉक्सल एंटिजीन	400—00
टाक्सोप्लाजमा एंटिबॉडी (लेटेक्स)	200—00
सीएसएफ साइटॉलोजी	150—00
पी सी आर	1500—00
टी.पी.एच.ए.	300—00
ग्राम्स दाग /ईफबी दाग (धब्बा)	100—00
एंटि—एस्टैल्कोलाइन रिसप्टर	400—00
ए.एन.ए.	250—00
पेन्यूमोकॉकल /एच.इन्फ्यूजा	400—00
ओलिगोकर्नल बैंड	300—00
एंटि—गैंगलियोसाइड एंटिबॉडी	500—00
वेसटर्न ब्लोटिंग टी बी	500—00
वेसटर्न ब्लोटिंग न्यूरोसाइटोक्रसिस	500—00

IndiaCode

बैक्ट अलर्ट

टी बी कल्चर	1000—00
रक्त कोश	1000—00
वैटेक 2 काम्पेक्स 60 एटोमेटेड कल्चर आई डी और एंटिबॉडी संवेदनकारक जाँच	500—00
एम जी आई टी	* 1000—00
	(*1500—00 रू.प्राइवेट अस्पतालों से)

7. तंत्रिका पैथॉलोजी

अ. नैदानिक पथॉलोजी

1.	हयमॉग्राम	160—00
2.	हिमोग्लोबिन	30—00
3.	डब्ल्यू.बी.सी. कुल और अलग परिगणन	30—00
4.	आर.बी.सी. गणना	30—00
5.	पैक्ड सैल व्यालूम	30—00
6.	प्लेटलेट गणना	30—00
7.	पी स्मेयर और/या मलेरियल परासाइट (एम पी)	40—00
8.	ई एस आर	40—00
9.	बी टी और सी टी	30—00
10.	ए ई सी	30—00
11.	सिक्लिंग जाँच	80—00
12.	रेटिक्यूलो कौंट	40—00
13.	एक्थोसाइट्स का सलाइन डिलूशन जाँच	200—00
14.	बोन मैरो जाँच	240—00
15.	पेशाब विश्लेषण – नियमित	60—00
16.	पेशाब शर्करा	20—00
17.	पेशाब अल्बेमिन	20—00
18.	पेशाब केटोनी बॉडीस	20—00
19.	स्टूल परीक्षण नियमित	40—00
20.	मलेरिया की शीघ्र जाँच	150—00

आ. रक्ताधान औषध केंद्र (टी एम सी) – रक्त निधि

1. पूर्ण रक्त	–	निम्हान्स/ सरकारी अस्पताल	300—00
	–	प्राइवेट अस्पताल	500—00
2. प्लाजमा एक युनिट	–	निम्हान्स/ सरकारी अस्पताल	300—00
	–	प्राइवेट अस्पताल	500—00
3. पैक्ड सैल्स	–	निम्हान्स/ सरकारी अस्पताल	300—00
	–	प्राइवेट अस्पताल	500—00
4. प्लेटलेट रिच प्लाजमा	–	निम्हान्स/ सरकारी अस्पताल	300—00
	–	प्राइवेट अस्पताल	500—00
5. प्लेटलेट कान्संट्रेट	–	निम्हान्स/ सरकारी अस्पताल	300—00
	–	प्राइवेट अस्पताल	500—00
6. एल वी पी पी (लॉर्ज वालूम प्लाजमा फेरेसिस)			5500—00
7. स्माल वालूम प्लाजमा फेरेसिस			200—00
8. एच बी एस ए जी			100—00

इ . उतक विज्ञान पैथालोजी

क्रम संख्या	जाँच	निम्हान्स रोगियों के लिए फीस रू.	सरकारी अस्पतालों के रोगियों के लिए फीस रू.	प्राइवेट अस्पतालों के रोगियों के लिए फीस रू.
1	1) तंत्रिका शल्य चिकित्सा/एन अई अई आर			

IndiaCode

	क) जीवोति परीक्षा	1000—00	1000—00	1500—00
	ख) गांठ – इम्योनोहिस्टोकेमेस्ट्री (आई एच सी)			
	– गांठ खंड – I (एक चिन्ह)	1000—00	1000—00	1500—00
	– गांठ खंड – II (दो चिन्ह)	2000—00	2000—00	3000—00
	– गांठ खंड – III (तीन या अधिक चिन्ह)	2500—00	2500—00	4000—00
2.	2) तंत्रिका–विज्ञान : मसल			
	क) फ्रश मसल जीवोति परीक्षा एंजाइम हिस्टोकेमेस्ट्री	1500—00	1500—00	1500—00
	(ई एच सी)	..	1000—00	1500—00
	ख) फार्मलिन जीवोति परीक्षा			
	ग) अधिक इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी जांच	1000—00	1000—00	1500—00
	घ) मसल इम्युनोहिस्टोकेमेस्ट्री (आई एच सी)			
	– मसल खंड – (डिस्ट्रोफिन, सर्कोग्ल्कन्स, मेरोसीन)	2500—00	2500—00	4000—00
	– मसल खंड – (डिस्फ्रलिन, ए– डिस्टोग्लयकन, सीओ 16, केवियलन)	2500—00	2500—00	4000—00
3.	स्नायु			
	1) स्नायु जीवोति परीक्षा	1000—00	1000—00	1500—00
	2) अतिरिक्त सेमिथीन व इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी जांच	1000—00	1000—00	1500—00
4.	त्वचा			
	1) त्वचा जीवोति परीक्षा	1000—00	1000—00	1500—00
	2) अतिरिक्त इलेक्ट्रानमाइक्रोस्कोपी जांच	1000—00	1000—00	1500—00
5.	2 या अधिक जीवोति परीक्षा की फीस	1000—00	1000—00	3000—00
6.	खंडो की समीक्षा			
	क) 2 खंडों तक	500—00	500—00	750—00
	ख) 3 और ऊपर	1000—00	1000—00	1500—00
7.	स्लाइड्स/अंस्टैनड स्लाइड्स की समीक्षा	250—00	250—00	350—00
8.	फ्रोजन / स्क्वाश	——	——	500—00
9.	द्वितीयक अनस्टैनड स्लाइड्स	200—00	200—00	300—00
10.	डाक से पैराफिन ब्लॉक्स सहित मेलिंग	——	——	200—00
11.	एपिलेप्सी रोगियों की ब्रेन जीवोति परीक्षा (आई एच सी चिन्ह सहित)	2500—00	2500—00	4000—00

ई. इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोपी (इ एम लैब)

1. क. प्रति नमूना निर्देश (छात्र शामिल) 2000—00
नमूना तैयार करना – 3 खंडों में, संकाय सदस्य या **वैज्ञा.अधिकारी** 3000—00
अल्ट्रामाइक्रोटॉमी **प्राइवेट कम्पनी** 5000—00
(सेमिथिन + 2–3 ग्रिड्स/ब्लॉक)
स्कबनिंग 1 घंटा और 10 इमेजस)

1. ख. घंटा बाद अथवा उसका खंड/भाग **छात्र** 1000—00
संकाय सदस्य या **वैज्ञा.अधिकारी** 2000—00
प्राइवेट कम्पनी 3000—00

2.क. प्रति नमूना नेगेटीव स्टेनिंग **छात्र** 1000—00
प्रासेसिंग, स्कबनिंग शामिल संकाय सदस्य या **वैज्ञा.अधिकारी** 1500—00
प्रति घंटा और 10 इमेजस **प्राइवेट कम्पनी** 3000—00
(अल्ट्रामाइक्रोटोमी इनवाल नही)

2. ख. घंटा बाद अथवा उसका खंड/ भाग छात्र 1000—00
संकाय सदस्य या **वैज्ञा.अधिकारी** 1500—00
प्राइवेट कम्पनी 3000—00

Indiacode

8. तंत्रिका शारीर क्रिया विज्ञान

1. स्वयम् कार्य	250—00
2. स्वयम् कार्य जांच से टेल्ट टेबल	500—00
3. फूफस कार्य जांच	150—00

9. तंत्रिका वायरालोजी

जापानीस मस्तिष्क ज्वर/डेंगु/चिकुनगुनिया का आई जी एम कैप्चर एलिसा	450—00
एलिसा हर्पस सिम्पलेक्स वाइरस एंटिबॉडीस	450—00
एलिसा मिजल्स वायरस एंटिबिडीस पताकरण	450—00
रेबिस वाइरस एंटिजीन खोजी से इम्यूनोफ्लोरेन्स जांच	500—00
रेबिस वाइरस से न्यूट्रलाइजिंग एंटिबॉडीस	500—00
न्यूट्रालाइजिंग एंटिबॉडीस से कॉक्साकोविम्स	450—00
पीसीआर हर्पस सिम्पलेक्स विम्स (एच एस वी पीसीआर)	450—00

10. मनश्चिकित्सा

हर ई.सी.टी. के लिए	200—00
जाँच और इलाज :	——
क. गहन देखभाल भर्ती (प्रतिदिन)	100—00
ख. पेंटोथॉला साक्षात्कार (प्रति सत्र)	100—00
मनशिचिकित्सा परामर्श (प्रति सत्र)	150—00

परिवार चिकित्सा :—

क. मूल्यांकन	250—00
ख. व्यक्तिगत चिकित्सा (प्रति सत्र)	150—00

दुर्व्यसन निवारण केन्द्र :—

क. पेशाब या एचपीटीएलसी जाँच के लिए एकल दवा	150—00
ख. पेशाब या एचपीटीएलसी जाँच के लिए बहुविध दवा	500—00

11. मनश्चिकित्सा और तंत्रिका रोगी पुनर्वास

पुनर्वास – प्रारंभिक मूल्यांकन
व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास : देखभाल दिन के अधार पर (दिन देखभाल रोगी, जिनके पोषक/अभिभावक कामकाजी है)

आय	**प्रति माह फीस**
पूरा दर	100—00
50 प्रतिशत श्रेणी	75—00
बीपीएल श्रेणी	25—00

अंतर्रोगियों के लिए कोई अतिरिक्त चिकित्सा कार्यक्रम प्रति सत्र 15 दिन या कम	100—00

1. भौतिक चिकित्सा / व्यायाम :—

क. अंतर्रोगी और बहिरोगी – प्रति सत्र	30—00
ख. अंतर्रोगी और बहिरोगी – इलेक्ट्रो चिकित्सा प्रति सत्र	40—00

2. व्यावसायिक चिकित्सा :

क. अंतर्रोगी और बहिरोगी (मूल्यांकन)	30—00
ख. अंतर्रोगी और बहिरोगी	30—00
(व्यावसायिक चिकित्सा मूल्यांकन)	(प्रति दिन)

3. यूरोडायनामिक :

क. बहु—वाहिनी युरोडायनामिक अध्ययन	1000—00
ख. यूरोफ्लोमेट्री	120—00

IndiaCode

12. मानसिक समाज सेवा

1. घर या पाठशाला या ऐजंसी या फैक्ट्री या कम्पनी से सम्पर्क :	
क) 15 कि.मी. तक	200–00
ख) 15 कि.मी. से बाहर और निगम सीम से दायरे में	300–00
2. रोगी सेवा सहायता :	
क) प्रारंभिक मूल्यांकन	150–00
ख) मूल्यांकन के बाद	100–00
3. समूह चिकित्सक सहायता :	
क) अंतरंग रोगियों के साथ समूह चर्चा :	
i) प्रारंभिक मूल्यांकन	150–00
ii) अनुवर्ति मूल्यांकन	75–00
ख) बहिरंग रोगियों के साथ समूह चर्चा :	
i) प्रारंभिक मूल्यांकन	75–00
ii) अनुवर्ती मूल्यांकन	50–00
ग) परिवार सहायता :	
i) प्रारंभिक मूल्यांकन	150–00
ii) अनुवर्ती मूल्यांकन	100–00

13. वाक और श्रवण

1. जाँच

प्यूरटोन श्रवणमापन (नियमित ए/सी, बी/सी जाँच)	140–00
वाक श्रवणमापन (एसआरटी/एसडीटी/एसपीआईएन)	160–00
मध्य वाक जाँच	200–00
इम्पेडन्स श्रवणमापी	120–00
एबीआर जाँच	180–00
एबीआर ट्रैकिंग श्रवणमापी	220–00
सहज संभाव्य जाँचकरण	250–00
किशोर वाक मूल्यांकन	160–00
किशोर भाषा मूल्यांकन	160–00
बालपन वाक मूल्यांकन	120–00
बालपन भाषा मूल्यांकन	120–00
डिस्फोनिया का मूल्यांकन	100–00
ऑटुकॉस्टिक एमिसन	120–00
डिस्फोनिया मूल्यांकन	100–00
डिस्फोजिया व्यवस्था (5 सत्रो के लिए)	160–00

2. उपचार :–

बच्चों की वाक भाषा चिकित्सा (पांच सत्र)	160–00
किशोर वाक भाषा चिकित्सा (पांच सत्रो के लिए)	260–00

9. आपरेशन की प्रक्रिया और निश्चेतक फीस

1. शल्य चिकित्सा फीस	निश्चेतक	आपरेशन फीस
एन्यूरेस्म शल्य चिकित्सा (क्लिप फीस को छोडकर)	2220–00	7920–00
अर्टेरियल एनाटोमिस्ट–एसटीए–एमसी	1650–00	5500–00
ए वी मल्फरमेशन	2220–00	7920–00
जीवोति परीक्षा बोन/लिवर	80–00	165–00
जीवोति परीक्षा लिम्फ नोड	80–00	275–00

IndiaCode

पेशी या त्वचा या गाँठ जीवोति परीक्षा	80—00	165—00
जीवोति परीक्षा स्नायु	80—00	220—00
बोन फ्लाप निकालना	——	मुफ्त
ब्राकियल प्लेक्सेस शल्य चिकित्सा	1100—00	6600—00
बुर्र छेद	——	550—00
बेर्र—छेदों से क्रॉनिक सब्डयुरल	550—00	4400—00
करोटिड आर्टेरी लैगेशन	——	550—00
करोटिड एंण्डरटेरेक्टोमी	1100—00	4400—00
कार्पल ट्युनल डिकम्प्रेशन	550—00	4400—00
सर्विकल डिकम्प्रेसिव लमिनेक्टोमी	1100—00	4400—00
बिना फूजन की सर्विकल डिस्क शल्य चिकित्सा	1100—00	5500—00
फूजन सहित सर्विकल शल्य चिकित्सा	1650—00	6600—00
क्लोवर्डस प्रक्रिया	1100—00	5500—00
संयुक्त ट्रांसोरल शल्य चिकित्सा और पोस्टेरियर फूजन	2750—00	9350—00
कारपेक्टोमी बिना साधन का	1100—00	6600—00
साधन के बिना कारपेक्टोमी (इम्प्लांट फीस सहित)	1100—00	7700—00
कार्नियल शल्य चिकित्सा से सी एस एफ फिस्तुला (रहिनोरा अथवा ओटोरेहा)	1650—00	5500—00
कार्नेक्टोमी से कार्नियोस्टेनोसिस	1650—00	4400—00
कार्नियोप्लास्टी	1100—00	5500—00
सिर के चोट की कार्नियोक्टोमी	1650—00	6600—00
परेनकेमल गूंगों की कार्नियोक्टोमी	1650—00	6600—00
इलेक्ट्रोकार्टिकोग्राफी सहित इलेक्ट्रोड्स लागत	1100—00	3850—00
एन्सफालोसल	1100—00	2640—00
एण्डोस्कोपिक शल्य चिकित्सा	550—00	6600—00
एण्डोस्कोपिक वेंट्रिकुलोस्टोमी (तीन महिने के अंदर वेंट्रिकुलोस्टोमी असफल पर पुनः फीस नही)	550—00	3300—00
एण्डोस्कोपिक तीसरी वेंट्रिकुलोस्टोमी (तीसरी वेंट्रिकुलोस्टोमी या शंट की पुनरीक्षण फीस नही (फिर भी शंट नलिका फीस अतिरिक्त होती है)	550—00	2200—00
अपस्मार शल्य चिकित्सा – टेम्पोरल लोबोक्टोमी	1650—00	6600—00
अपस्मार शल्य चिकित्सा एक्स्ट्राटेम्पोरल रिसेक्शन और अन्य अप्स्मार शल्य चिकित्सा कराने के लिए (ग्रीड इलेक्ट्रोड भी शामिल)	2200—00	7700—00
वेंट्रिकुलर ड्रेनेज/लम्बर ड्रेनिज विस्तार (ड्रेनिज नलि भी शामिल)	——	1100—00
फोरमेन मग्नम डिकम्प्रेशन और ड्राप्लेट्स	1650—00	4400—00
प्रकार्यात्मक न्यूरो सर्जरी (सीटी/एम आर आई फीस शामिल हैं)	1650—00	5500—00
कॉक्स स्पाइन – एन्टेरोलेटरल एप्रोच	1650—00	6600—00
लैमिनिक्टोमी डिस्क – लम्बर डिस्क एक्सिशन	1100—00	5500—00
लैमिनोप्लास्टी	1100—00	5500—00
लम्बर डिकम्प्रिशन लैमिनोक्टोमी	1100—00	4400—00
माइलोमेनिनजियोकॉक्सल रिपियर	1100—00	2200—00
अर्बिटोमी से अर्बिटल गाँठ	1650—00	4400—00
स्नायु ग्राफ्ट कि परधीय स्नायु शल्य चिकित्सा	1100—00	6600—00
बेना स्नायु ग्राफ्ट के परधीय स्नायु शल्य चिकित्सा	1100—00	5500—00
पी ओ पी प्लास्टर/ सामान्य	——	550—00
पोस्टेरियर फोसा कार्नेक्टोमी/सबऑस्पिटल कार्नियोटोमी से परेनकेमल ट्यूमर	1650—00	6600—00
आर एफ लिजन से ट्रिग्मनल न्यूरॉजिया	——	1650—00
रहिजीटॉमी	——	4400—00
स्क्लाप और स्कल ट्यूमर एक्सिशन	1100—00	5500—00
शन्ट पुनरीक्षण तीन महीने बाद (यदि यह तीन महीने के भीतर हो, तो फीस नही)	550—00	1320—00
शन्ट शल्य चिकित्सा (शन्ट नलि शामिल)	550—00	2640—00
स्कल बेस शल्य चिकित्सा और एक्स्ट्रा ट्यूमर (बसल मेनिंजियोमा, अकोस्टिक और अन्य सीपी एंगल ट्यूमर आदि)	2200—00	7920—00

IndiaCode

स्पाइनल फूजन (इम्प्लांट की लागत शामिल)	2200–00	5500–00
स्टेरियोटाक्सिक / सीटी गाइडेड शल्य चिकित्सा (सीटी फीस शामिल)	1650–00	6600–00
स्टेरियोटाक्सिक जीवोति परीक्षा (सीटी फीस शामिले)	––	3300–00
डिप्रेस्ड फ्राक्चर शल्य चिकित्सा	1100–00	3300–00
स्पाइनल एक्स्ट्रामेडुलरी ट्यूमर शल्य चिकित्सा	1650–00	6600–00
स्पाइनल इंट्रामेडुलरी ट्यूमर शल्य चिकित्सा	2200–00	9900–00
टिथर्ड कार्ड शल्य चिकित्सा	1100–00	4400–00
सैरंजियोपेरिटोनेल शन्ट के साथ शन्ट ट्यूब	550–00	2200–00
थिकॉपरटोनेल शन्ट के साथ शन्ट ट्यूब	550–00	2200–00
ट्रकेस्टोमी	––	1100–00
ऑर्बिटल ट्यूमर को ट्रांस कार्नेल एप्रोच	1650–00	6600–00
ट्रांसोरल एप्रोच से सी वी जे क्षतियाँ (ट्रांसोरल एप्रोच ए ए डी)	1650–00	6600–00
ट्रांसफेनोइडल शल्य चिकित्सा	1100–00	6600–00
स्कल वाल्ट ट्यूमर्स	550–00	5500–00
घाव रण–पोषक	275–00	1650–00
डीप ब्रेन स्टीमूलेशन	2500–00	15000–00

II. इम्प्लांटस / प्रतिस्थापना :–

एन्युरेजम क्लिप्स रेगुलर	8000–00
एन्युरेजम क्लिप्स फिनिस्ट्राटेड	9500–00
4 – कॉटैक्ट सबडयुरल स्ट्रीप इनवासिव ई ई जी	वास्तविक लागत के अनुसार
6 – कॉटैक्ट सबडयुरल स्ट्रीप इनवासिव ई ई जी	
8 – कॉटैक्ट सबडयुरल स्ट्रीप इनवासिव ई ई जी	
32 – कॉटैक्ट सबडयुरल स्ट्रीप इनवासिव ई ई जी	
कैस्पर प्लेट – चार्ज से (स्टेंलेस स्टील) एक प्लेट	
स्क्रीव – कब्स्पर प्लेट से (स्टेनलेस स्टील) एक स्क्रीव से	
स्टील रॉड से लम्बर फिक्सेशन	
स्टीफप्लेट 3 स्तर स्टेनलेस स्टील	
स्टीफप्लेट 4 स्तर स्टेनलेस स्टील	
स्क्रीव स्टेफी प्लेट तय – एक स्क्रीव	
लम्बर ड्रेनेज सिस्टम	
स्टेफप्लेट	
थीकोल परिटोनेयल शन्ट सिस्टम	
वेंट्रिकुलर ड्रेनेज सिस्टम	
वीपी शन्ट सिस्टम	

III. गामा नाइफ रेडियो शल्य चिकित्सा 100000–00 *

*(50000=00 रू.बीपीएल रोगियों को)

X. निम्हान्स तंदरुस्तीकरण केंद्र

सेवा	फीस (रू.)
मनोरोग सलाह सम्पर्क	20 रू. एक बार फीस
वैवाहिक समृद्ध सेवा	100 रू. प्रति सत्र
दुर्व्यसन निवारण सेवा	20 रू. एक बार फीस
परिवार समद्ध कार्यक्रम	100 रू. प्रति सत्र
बल प्रबन्ध और जीवन शैली क्लिनिक	100 रू. प्रति सत्र
सकरात्मक मानसिक स्वास्थ्य	100 रू. प्रति सत्र
किशोर तनाव प्रबन्ध, अभिभावक और व्यावसायिक मानसिक स्वास्थ्य	100 रू. प्रति सत्र
मनोविज्ञान नैदानिक केंद्र	100 रू. प्रति सत्र

- सेवा चाहने वाले व्यक्ति को एक बार पंजीकरण फीस 20 रू. देना होगा।
- बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त सेवा दी जाती है।

IndiaCode

परिशिष्ट– V

समूह क, समूह ख, और समूह ग पद के वेतनमान
(विनियम 33 देखें)

क्रम संख्यक	पद का नाम	वेतन बैंड	शैक्षिक ग्रेड वेतन/ ग्रेड वेतन	टिप्पणी
	समूह 'क' (संकाय)			
1.	निदेशक	80000(स्थिर)	नही	+ एनपीए नॉन प्राक्टीसिंग भत्ता चिकित्सा कार्मिकों के लिए
2.	ज्येष्ठ प्राचार्य	67000—79000	नही	
3.	प्राचार्य	37400—67000	10500	
4.	अपर आचार्य	37400—67000	9500	
5.	सह आचार्य	37400—67000	9000	
6.	सहायक आचार्य	15600—39100	8000	
	समूह 'क' (अन्य)			
7.	चिकित्सा अधीक्षक	37400—67000	10000	+ एनपीए
8.	प्रधान पुस्तकालय अध्यक्ष और सूचना अधिकारी	37400—67000	10000	
9.	वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	37400—67000	8700	
10.	आचार्य सह प्राचार्य (नर्सिंग कॉलेज)	15600—39100	7600	
11.	रजिस्ट्रार (प्रतिनियुक्ति)	15600—39100	7600	
12.	रेजीडेंट चिकित्सा अधिकारी	15600—39100	7600	+ एनपीए
13.	प्रशासनिक अधिकारी	15600—39100	6600	
14.	जीव चिकित्सा इंजीनियर	15600—39100	6600	
15.	नैदानिक पैथालोजिस्ट (विशेषज्ञ श्रेणी)	15600—39100	6600	+ एनपीए
16.	उप वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	15600—39100	6600	
17.	मुख्य निजी सचिव, निदेशक	15600—39100	6600	
18.	मनशिचिकित्सक (विशेषज्ञ श्रेणी)	15600—39100	6600	+ एनपीए
19.	रीडर या सह आचार्य (नर्सिंग कॉलेज)	15600—39100	6600	
20.	ज्येष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष	15600—39100	6600	
21.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	15600—39100	6600	
22.	लेखा अधिकारी	15600—39100	5400	
23.	सहायक संपादक	15600—39100	5400	
24.	सहायक कार्यपालक या अभियंता (प्रतिनियुक्ति)	15600—39100	5400	
25.	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति)	15600—39100	5400	+ एनपीए
26.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	15600—39100	5400	
27.	डाटा बेस प्रशासक और साफ्ट्वेयर इंजीनियर	15600—39100	5400	
28.	जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	15600—39100	5400	+ एनपीए
29.	हार्डवेर और नेटवर्क इंजीनियर	15600—39100	5400	
30.	हिन्दी अधिकारी (सहायक निदेशक (रा. भा.)	15600—39100	5400	
31.	प्राचार्य (नर्सिंग कॉलेज)	15600—39100	5400	
32.	प्रबन्धक या पर्यवेक्षक (कंप्यूटर/डाटा सेंटर प्रचालन)	15600—39100	5400	
33.	चिकित्सा भौतिकीविद	15600—39100	5400	
34.	नर्सिंग अनुशिक्षक	15600—39100	5400	

IndiaCode

35.	ज्येष्ट चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	15600–39100	5400	
36.	ज्येष्ठ व्यावसायिक चिकित्सक	15600–39100	5400	
37.	ज्येष्ठ शारीरिक चिकित्सक	15600–39100	5400	
38.	ज्येष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी	15600–39100	5400	+ एनपीए
39.	विशेष अधिकारी (मूल्यांकन)	15600–39100	5400	
	समूह 'ख'			
40.	नैदानिक अनुदेशक	9300–34800	4800	
41.	ज्येष्ठ निजि सचिव	9300–34800	4800	
42.	वार्ड पर्यवेक्षक	9300–34800	4800	
43.	सहायक लेखा अधिकारी	9300–34800	4600	
44.	सहायक अभियंता (प्रतिनियुक्ति)	9300–34800	4600	
45.	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	9300–34800	4600	
46.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800	4600	
47.	हिन्दी अनुवादक	9300–34800	4600	
48.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक (विकिरण सुरक्षा अधिकारी)	9300–34800	4600	
49.	पुस्तकालय अध्यक्ष	9300–34800	4600	
50.	कंप्यूटर प्रोग्रामर	9300–34800	4600	
51.	चिकित्सा अभिलेखा अधिकारी	9300–34800	4600	
52.	निजि सचिव	9300–34800	4600	
53.	ज्येष्ठ हिन्दी अनुवादक	9300–34800	4600	
54.	स्टाफ नर्स	9300–34800	4600	
55.	लेखाकार	9300–34800	4200	
56.	सहायक आहारविद	9300–34800	4200	
57.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	9300–34800	4200	
58.	सहायक उद्यान – कृषि अधिकारी	9300–34800	4200	
59.	मुख्य फर्मासिस्ट	9300–34800	4200	
60.	मुख्य तकनीशियन	9300–34800	4200	
61.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9300–34800	4200	
62.	डाटा सेंटर ऑपरेटर	9300–34800	4200	
63.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	9300–34800	4200	
64.	ड्राफ्टमैन	9300–34800	4200	
65.	ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	9300–34800	4200	
66.	ई.ई.जी तकनिशियन	9300–34800	4200	
67.	इलेक्ट्रानिक सहायक	9300–34800	4200	
68.	इलेक्ट्रो नैदानिक सहायक (स्नायुविज्ञान)	9300–34800	4200	
69.	मूल्यांकन सहायक	9300–34800	4200	
70.	कनिष्ठ चिकित्सा अभिलेख अधिकारी	9300–34800	4200	
71.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (प्रतिनियुक्ति पद के साथ)	9300–34800	4200	
72.	कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	9300–34800	4200	
73.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	9300–34800	4200	
74.	पुस्तकालय सहायक	9300–34800	4200	
75.	प्रबन्धक	9300–34800	4200	
76.	व्यावसायिक चिकित्सक	9300–34800	4200	
77.	ओ.टी. तकनिशियन	9300–34800	4200	
78.	ऑर्थोटिक तकनिशियन	9300–34800	4200	
79.	फर्मासिस्ट(अकृत्यिक श्रेणी)	9300–34800	4200	
80.	भौतिक चिकित्सक	9300–34800	4200	
81.	प्रूफ शोधक	9300–34800	4200	
82.	अनुसंधान सहायक	9300–34800	4200	
83.	वैज्ञानिक सहायक	9300–34800	4200	

MadeCode

84.	ज्येष्ठ इलेक्ट्रीशियन	9300—34800	4200	
85.	ज्येष्ठ निश्चेतक	9300—34800	4200	
86.	ज्येष्ठ स्नायु निश्चेतक तकनिशियन	9300—34800	4200	
87.	ज्येष्ठ रेडियोग्राफर	9300—34800	4200	
88.	ज्येष्ठ तकनिशियन	9300—34800	4200	
89.	वाणी चिकित्सक	9300—34800	4200	
90.	ज्येष्ठ ओ.टी. तकनिशियन	9300—34800	4200	
91.	ज्येष्ठ फोटोग्राफर	9300—34800	4600	
92.	ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक	9300—34800	4200	
93.	आशुलिपिक श्रेणी— 1	9300—34800	4200	
94.	पर्यवेक्षक रेडियोग्राफर	9300—34800	4200	
95.	अध्यापक एम आर चिल्ड्रन के लिए	9300—34800	4200	
	समूह ग'			
96.	कलाकार	5200—20200	2800	
97.	ड्राईवर (श्रेणी—I)	5200—20200	2800	
98.	अनुदेशक	5200—20200	2800	
99.	कनिष्ठ तकनिशियन	5200—20200	2800	
100.	महिला पर्यवेक्षक	5200—20200	2800	
101.	धोबी—खाना पर्यवेक्षक	5200—20200	2800	
102	विधि सहायक	5200—20200	2800	
103.	स्नायु निश्चेतक तकनिशियन	5200—20200	2800	
104.	फार्मासिस्ट	5200—20200	2800	
105.	फोटोग्राफर	5200—20200	2800	
106.	रेडियोग्राफर	5200—20200	2800	
107.	सामाजिक कार्यकर्ता	5200—20200	2800	
108.	यूरोडायनामिक लैब तकनिशियन	5200—20200	2800	
109.	योगा टीचर	5200—20200	2800	
110.	सहायक अनुदेशक	5200—20200	2400	
111.	बॉयलर ऑपरेटर	5200—20200	2400	
112.	ड्राईवर (श्रेणी—II)	5200—20200	2400	
113.	इलेक्ट्रीशियन	5200—20200	2400	
114.	चिकित्सा अभिलेख तकनिशियन	5200—20200	2400	
115.	शवागार तकनिशियन	5200—20200	2400	
116.	जन संपर्क सहायक	5200—20200	2400	
117.	आशुलिपिक श्रेणी—II	5200—20200	2400	
118.	टेलिफोन तकनिशियन	5200—20200	2400	
119.	उच्च श्रेणी लिपिक	5200—20200	2400	
120.	बेकर	5200—20200	1900	
121.	बड़ई	5200—20200	1900	
122.	कॉम्पोसिटर	5200—20200	1900	
123.	ड्राईवर (साधरण श्रेणी)	5200—20200	1900	
124.	उपकरण मेकानिक	5200—20200	1900	
125.	अवर श्रेणी लिपिक	5200—20200	1900	
126.	शवागार सहायक	5200—20200	1900	
127.	कुम्हार	5200—20200	1900	
128.	मुद्रक	5200—20200	1900	
129.	शीट मेटल वर्कर	5200—20200	1900	
130.	सोफा मेकिंग तकनिशियन	5200—20200	1900	
131.	दर्जी	5200—20200	1900	
132.	बुनकर	5200—20200	1900	
133.	फोटो कापी मशीन ऑपरेटर	5200—20200	1900	
134.	अस्पताल/कार्यालय सहायक	5200—20200	1800	

अनुसूची –VI

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलोर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयुसीमा शैक्षिक अर्हता, प्रोन्नति योजना आदि कि पद्धति (विनियम 34 का उप विनियम (1) देखें)

1. निदेशक : निदेशक के पद पर नियुक्ति के पदावधि पर आधारित पांच वर्ष की अवधि जो उस तारीख से जिस को कार्यालय में प्रवेश करता है या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, जो पूर्वतर हो के लिए होगी। पद के लिए शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा वह होगी जो इस अनुसूची के उपाबंध में उपदर्शित है।

2. संकाय पद : सहायक अचार्य और आचार्य के काडरों के लिए सीधी भर्ती की जाएगी । सह आचार्य और अपर आचार्य के स्तर पर भी सीधी भर्ती की जा सकती है । पदों के लिए अर्हता, अनुभव आदि वह हैं जो इस अनुसूची के अनुबंध –II में उपदर्शित है । संस्थान में संकाय का कैरियर संवर्धन इस अनुसूची के उपाबंध III में यथा विवरणित प्रोन्नति निर्धारण स्कीम के अनुसार होगा ।

3. भर्ती नियम : संस्थान में समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव और अन्य ब्योरे वह होंगे जो उस पद के भर्ती नियम और काडर में विहित हैं ।

4. प्रोन्नति स्कीम (गैर संकाय सदस्य) – इस संस्थान के समूह 'क' (गैर संकाय सदस्य), समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारियों के बारे में विभिन्न कैरियर उन्नति स्कीम निम्न रूप में उपदर्शित हैं ।

(i) साधारण डयूटी चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ श्रेणी चिकित्सा अधिकारी :

केन्द्रीय सरकार के चिकित्सा अधिकारियों के लिए गतिशील सुनिश्चित कैरियर उन्नयन प्रगति स्कीम (डीएसीपी) का विस्तार संस्थान के साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों के लिए किया गया है । इस स्कीम के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारीयों को ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में (एस.ए.जी.) ग्रेड वेतन दस हज़ार रुपये तक इस अनुसूची के उपाबंध तीन में यथा विवरणित विनिर्दिष्ट सेवा वर्ष पूरा करने पर वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जायेगा

(ii) गैर चिकित्सा वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी :

इस संस्थान के गैर चिकित्सा समूह 'क' वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग (समूह 'क' राजपत्रित गैर चिकित्सा वैज्ञानिक और तकनीकी पदों) तदानुसार स्वस्थानी नियम, 1990 के अधीन स्वस्थानी प्रोन्नति प्रदान किया गया है ।

(iii) समूह 'क' अन्य, समूह 'ख' और समूह 'ग' अधिकारी :

इस संस्थान के समूह 'क' (जो उपरोक्त वर्णित करियर उन्नयन स्कीमों के आधीन नहीं आते है), समूह 'ख', और समूह 'ग' कर्मचारियों को समय–बद्ध प्रोन्नति स्कीम के अंतर्गत विहीत उन्नयन प्रदान किया गया है । स्कीम के ब्यौरे वह हैं जो इस अनुसूची के उपाबंध तीन में उपदर्शित हैं ।

परिशिष्ट – I

निदेशक, निम्हान्स, बंगलोर के पद के लिए शैक्षिक अर्हता, और आयु

पद का नाम	निदेशक
वेतनमान	रू. 80,000 (स्थिर)+एनपीए
आयु	साठ साल से अनधिक । (सरकारी सेवकों या सेवा निवृत सरकारी सेवकों या राज्य या केंद्रीय सरकार के स्वायत् या कानूनी संस्थाओं के सेवारत या सेवा निवृत व्यक्तियों या असाधारण अर्हता वाले अभ्यर्थियों के लिए शिथिलनीय) ।
अर्हता	(क) काय चिकित्सा या शल्य चिकित्सा या जनस्वास्थ्य और उसकी विद्या शाखाओं में उच्च स्नातकोत्तर शैक्षिक अर्हता ।

(ख) व्यवसाय में पच्चीस वर्ष का अनुभव हो जिसमें विशिष्ट विषय में और/या मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान और/या सहबद्ध विशेषज्ञता में 10 वर्ष का अनुसंधान में अनुभव भी हो ।

(ग) चिकित्सा उपचार, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक व्यवहारिक और प्रशासनिक अनुभव हो।

(घ) महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शैक्षिक संस्था को चलाने में या तो संस्थान प्रमुख या विभाग अध्यक्ष के रूप में पर्याप्त अनुभव हो ।

सेवा की अवधि — निदेशक कि नियुक्ति एकल सेवा अवधि की होगी, जो उस तारीख से जिसको उसने कार्यालय में कार्य ग्रहण किया है पाँच वर्ष अवधि तक या पैंसठ साल की उम्र प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो होगी । नियुक्त व्यक्ति पद पर पुनर्नियुक्त नही किया जा सकता हैं ।

टिप्पण : निदेशक का सरकारी आवास कार्यालय परिसर में ही होगा ।

परिशिष्ट- II

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलोर संकाय (चिकित्सा और गैर चिकित्सा) पदों पर नियुक्ति करने के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव

क्रमांक	पद का नाम और वेतनमान	शैक्षिक अर्हता और अनुभव
1	**सहायक आचार्य** वेतन बैंड – 3 (15600–39100 रू.) में तीन वर्ष के पश्चात् न्यूनतम वेतन 30000 रू. और शैक्षिक ग्रेड वेतन श्रेणी 8000 रू. वेतन बैंड –4 (37400–67000 रू). में शैक्षिक ग्रेड वेतन श्रेणी के साथ 8700 रू. (+ एनपीए चिकित्सा कार्मिकों के लिए)	**चिकित्सा** (i) अपनी विद्या शाखा में एम.बी.बी.एस के साथ एम.डी. या एम.एस. या डी.एम. या एम.सीएच. या समतुल्य स्नातकोत्तर/ शैक्षिक अर्हता हो ; और (ii) एम.डी. या एम.स. अर्हक डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् विशेषज्ञता के विषय मे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन और / या अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो ; या **गैर चिकित्सा** (i) एम.एससी. या एम.एस. या एम.एस. डब्ल्यू. के साथ पीएच.डी. या डी. एससी. (ii) डॉक्टरेट के डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विद्या शाखा या विषय में अध्यापन और/या अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव हो।
2	**सह आचार्य** वेतन बैंड–4 (37400–67000 रू.) में न्यूनतम वेतन 42800 रू. और शैक्षिक ग्रेड वेतन 9000 रू. (+ एनपीए चिकित्सा कार्मिकों के लिए)	**चिकित्सा** (i) एम.बी.बी.एस के साथ एम.डी. या एम.एस. या डी.एम. या एम.सी.एच या समतुल्य के अपनी संबंधित विद्या शाखा में स्नातकोत्तर अर्हता हो ; (ii) एम.डी. या एम.एस अर्हता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन और / या अनुसंधान का छह वर्ष का अनुभव हो ; या

IndiaCode

		(iii) डी.एम. या एम.सी.एच या उसके समतूल्य शैक्षिक अर्हता अपनी विद्या शाखा में प्राप्त करने पर तीन वर्ष का अनुभव हो । **गैर चिकित्सा** (i) एम.एससी. या एम.एस. या एम.एस. डब्ल्यू. के साथ पीएच.डी. या डी. एससी.। (ii) डॉक्टरेट के डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् विषय/क्षेत्र में तीन वर्ष का अध्यापन और या अनुसंधान का अनुभव हो।
3	**अपर आचार्य** वेतन बैंड–4 (37400–67000 रू) में न्यूनतम वेतन 46000 रू. और शैक्षिक ग्रेड वेतन 9500 रू. (+एनपीए चिकित्सा कार्मिकों के लिए)।	**चिकित्सा** (i) अपनी विद्या शाखा में एम.बी.बी.एस के साथ एम.डी. या एम.एस. या डी.एम. या एम.सीएच. समतुल्य स्नातकोत्तर शैक्षणिक अर्हता हो। (ii) एम.डी. या एम.एस. की अर्हता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात विशेषज्ञता के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन और / या अनुसंधान का नौ वर्ष का अनुभव हो ; या (iii) अपनी विद्या शाखा में डी.एम. या एम.सीएच. या उसके समतुल्य अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् छह वर्ष का अनुभव हो । **गैर चिकित्सा** (i) एम.एससी. या एम.एस. या एम.एस. डब्ल्यू. के साथ पीएच.डी. या डी. एससी. (ii) डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित विद्या शाखा या विषय में अध्यापन और/ या अनुसंधान का नौ वर्ष का अनुभव हो ।
4	**आचार्य** वेतन बैड़–4 (37400–67000 रू) 51600 रू. न्यूनतम वेतन और शैक्षिक ग्रेड वेतन 10500 रू. (+ एनपीए चिकित्सा कार्मिकों के लिए)।	**चिकित्सा** (i) अपने विद्या शाखा में एम.बी.बी.एस के साथ एम.डी. या एम.एस. या डी.एम. या एम.सीएच. समतुल्य के स्नातकोत्तर शैक्षिक अर्हता हो। (ii) एम.डी. या एम.एस. की अर्हता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात विशेषज्ञता के विषय मे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान मे अध्यापन और/या अनुसंधान का तेरह वर्ष का अनुभव हो ; या (iii) डी.एम. या एम.सीएच या उसके समतुल्य अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् दस वर्ष का अनुभव हो। **गैर चिकित्सा** एम.एससी. या एम.एस. या एम.एस.

IndiaCode

		डब्ल्यू. के साथ पीएच.डी.या डी.एससी. (ii) डॉक्टरेट की डीग्री प्राप्त करने के पचात् संबंधित विद्या शाखा या विषय में तेरह वर्ष का अनुभव हो।
5	**ज्येष्ठ आचार्य** (67000—79000 रू.) + (एनपीए चिकित्सा कार्मिकों के लिए)।	**चिकित्सा** (i) अपनी विद्या शाखा में एम.बी.बी.एस के साथ एम.डी. या एम.एस. या एम. सीएच. या समतुल्य के स्नातकोत्तर शैक्षिक अर्हता हो। (ii) एम.डी./एम.एस. की शैक्षणिक अर्हता डिग्री प्राप्त करने पर विशेषज्ञता विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्यापन और/या अनुसंधान का तेरह वर्ष का अनभुव हो ; या (iii) डी.एम. या एम.सीएच या उसके समतुल्य अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् दस वर्ष का अनुभव हो। **गैर चिकित्सा** (i) एम.एससी. या एम.एस. या एम.एस. डब्ल्यू. के साथ पीएच.डी या डी.एससी. ; (ii) डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात संबंधित विद्या शाखा या विषय में अध्यापन और/ या अनुसंधान का तेरह वर्ष का अनुभव हो । 40 प्रतिशत प्रोफेसर के पद उच्च प्रशासनिक ग्रेड वेतन में प्रचालित होंगें। ग्रेड में प्रोन्नति विहित चयन प्रक्रिया पूरी करने के अध्यधीन होगी ।

परिशिष्ट—III

प्रोन्नति स्कीम

क) संकाय प्रोन्नति निर्धारण स्कीम

1. पुरस्थापना : संस्थान में सहायक आचार्य से सह आचार्य और सह आचार्य से अपर आचार्य के लिए 18 जुलाई, 1992 से और अपर आचार्य से आचार्य के लिए 10 जुलाई, 2000 से प्रोन्नति निर्धारण स्कीम (ए.पी.एस) पुनः स्थापित किया गया है ।

छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान के प्रस्ताव के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने एफ.एन.V—16020/57/2008 — एम.ई—1, तारीख 12 जनवरी, 2010 के अपने पत्रांक में स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के संकाय के वेतनमान को पुनरीक्षित किया। संबंधित संस्था निकायों को इस पुनरीक्षण के भाग के रूप में संकाय सदस्य के लिए उपयुक्त कार्य मानदंड का विनिश्चय एक वर्ष के भीतर किया जाना अपेक्षित था । तदनुसार, संकाय प्रोन्नति निर्धारण स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित उपांतरण किए गए थे । स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जो नीचे उपदर्शित है जिन्हें 01 जुलाई, 2010 से संस्थान में लागू किया गया हैं । स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए मानदंड निम्न रूप में हैं —

(i) सहायक आचार्य जिनका तीन वर्ष का अनुभव है सह आचार्य के रूप में प्रोन्नति के लिए पात्र होंगें ।

IndiaCode

(ii) सह आचार्य जिनका तीन वर्ष का अनुभव है अपर आचार्य के रूप में प्रोन्नति के लिए पात्र होंगें ।
(iii) अपर आचार्य जिनका चार वर्ष का अनुभव है आचार्य पद पर में प्रोन्नति के लिए पात्र होंगें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञापन फाईल सं.वी–16020/57/2008– एम. ई–1(पी टी), तारीख 15 मई, 2013 के अनुसार विहित कार्य मानदंड के अनुसार उपांतरित किए गए है जिनके ब्यौरे निम्न हैं –

2. मार्गदर्शक सिद्धान्त : उपरोक्त निर्दिष्ट कार्य के मानकों को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्रांक वी–16020/57/2008 – एम.ई–1 तारीख 23 जुलाई, 2010 को डॉ. स्नेह भार्गव, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । इस समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 29 अक्टूबर, 2011 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी । यह रिपोर्ट समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों को, परिचालित किया था। सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) द्वारा 22 जून, 2012 को बैठक में स्वायत्त संस्थानों के प्रमुखों के साथ सहमति लेकर अतिरिक्त परामर्श किया गया था । तत्पश्चात् व्यापक रूप से तय विषयों पर आधारित एक प्रारूप कार्यालय ज्ञापन इस विभाग के अधीन सभी स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों को पत्रांक संख्यक तारीख 21/25 सितंबर, 2012 द्वारा उनकी और टिप्पणी प्राप्त करने के लिए परिचालित किए गए थे।

3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने डॉ. स्नेह भार्गव समिति की सिफारिशों पर आधारित संस्थानों के साथ किए गए परामर्श के पश्चात् उक्त विभाग के अधीन स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा के संस्थानों के संभाग सदस्य के लिए मानदंड की बाबत मार्गदर्शी सिद्धांतों की विरचना की थी ।

4. संकाय कृत्य और समय का आबंटन :

(1) चिकित्सा संस्थानों के संकाय सदस्य से निदेश के अधीन प्रत्याशित है कि वे निम्न के लिए समय निरत करेगें ।
(i) अध्यापन औऱ प्रशिक्षण
(ii) अनुसंधान
(iii) सेवा प्रदाय व रोगी देखभाल
(iV) कारपोरेट क्रियाकलाप

2) इन कृत्यों में संकाय सदस्य के समय की नियुक्ति एक विभाग से दूसरे विभाग में परिवर्तन होगा । अतः, चिकित्सा विभागों को तीन विस्तृत समूह जैसे, बेसिक विज्ञान विभाग, गैरचिकित्सा सेवा विभाग और स्वास्थय सेवा प्रदाता या परा नैदानिक विभाग में संकाय सदस्य के क्रियाकलाप के लिए समय की नियुक्ति निम्नानुसार प्रत्याशित है ।

बेसिक विज्ञान विभाग	एनाटोमी, शरीर क्रिया विज्ञान और भेषज गुण विज्ञान, जैव भौतिकी, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी और एनएमआर
अध्यापन और प्रशिक्षण	45 प्रतिशत
अनुसंधान	45 प्रतिशत
कारपोरेट क्रियाकलाप	10 प्रतिशत
अध्यापन और अनुसंधान को हाथो–हाथ में बने रहने के लिए समय में दस से बीस प्रतिशत का परिवर्तन का संनियम स्वीकार्य है	

गैर चिकित्सा सेवा विभाग	पैथोलजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रयोगशाला
अध्यापन और प्रशिक्षण	30 प्रतिशत समय
सेवा प्रदाय	30 प्रतिशत समय
अनुसंधान	30 प्रतिशत समय
कारपोरेट क्रियाकलाप	10 प्रतिशत समय
अध्यापन, प्रशिक्षण और स्वास्थय देखभाल प्रदाय स्तम्भ के तीन सेवाएं हाथो–हाथ की हैं इसलिए निश्चित समय में दस से बीस प्रतिशत तक की अदला–बदली हो सकती है	

स्वास्थ्य विभाग प्रदता/नैदानिक विभाग	मेडिसन और सह विशेषज्ञता, शल्य चिकित्सा, और सह विशेषज्ञता स्त्री और प्रसूति रोग, रेडियोलाजी और इमेजिंग और न्यूक्लियर मेडिसन

IndiaCode

अध्यापन और प्रशिक्षण	30 प्रतिशत समय
रोगी चिकित्सा	30 प्रतिशत समय
अनुसंधान	30 प्रतिशत समय
कारपोरेट क्रिया कलाप	10 प्रतिशत समय
	अध्यापन, प्रशिक्षण और स्वास्थय देखभाल प्रदाय स्तम्भ के तीन सेवाएं हाथो—हाथ की हैं, इसलिए निश्चित समय में दस से बीस प्रतिशत तक की अदला—बदली हो सकती है

* कार्पोरेट क्रियाकलाप का समय विभिन्न विभाग या संस्थानगत या राष्ट्रीय या शैक्षिक समिति
** प्रत्येक संस्थान अपनी विभिन्न विभागों को दिये गए कार्य के अनुसार इन तीनों समूह में वर्गीकृत करेगा ।

3) संस्थानों को विभिन्न संघटक में काम के मूल्यांकन के लिए समय आबंटन के मानदंड परिवर्तन में 15 से 25 प्रतिशत तक की नम्यता रखेगा जो प्रारूपिक रूप से संस्थाओं द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। संकाय सदस्य के काम को उक्त संघटक के लिए प्रत्येक संघटक के प्रारूपिक अधिमानता के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा ।

5. काम के मूल्यांकन के मानदंड

(1) संकाय सदस्य के काम को इन संघटक के लिए प्रत्येक संघटक के प्रारूपिक अधिमानता के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। संकाय सदस्य की प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति निर्धारण स्कीम (ए पी एस) के अधीन मूल्यांकन निम्नलिखित प्राचलों पर अधारित होगा, अर्थात् :—

(क) अध्यापन और प्रशिक्षण

मूल्यांकन आधारित होगा ;
(i) दिए गए शिक्षात्मक व्याख्यान पर
(ii) राष्ट्रीय सहयोजनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों, शैक्षिक कार्यों अर्थात सतत चिकित्सा शिक्षा, ग्रेड राऊंड, सेमिनार या कार्यशाला में भाग लेने पर
(iii) चिकित्सा अध्यापन कार्य
(iv) अंतर्विभागीय अध्यापन
(v) विद्यार्थी के लघु शोध कार्य के लिए मार्गदर्शन और परामर्श
(vi) अतिथि आचार्य पद
(vii) प्रश्न बैंक की विरचना
(viii) विद्यार्थी पुनर्निवेशन
(ix) अध्यापन सामग्री या पुस्तके या मोनोग्राफ या तकनिकी मैनुअल
(x) शिक्षण पद्धति में नयाचार पुनःस्थापित करना

टिप्पण : उपरोक्त विवरणित क्रियाकलाप स्व—रिपोर्ट कार्यपंजी या प्रोफार्मा में अनुरक्षित होगें और आंतरिक छानबीन समिति को उपलब्ध कराये जाएगें ।

ख) अनुसंधान

कार्यकाल 25 से 30 प्रतिशत नम्यता के अधीन रहते हुए अनुसंधान के लिए वशवर्ती काल होगा ।

प्राप्त अनुदान

सहायक आचार्य	संस्थान में कार्यग्रहण करने के समय संस्थान द्वारा 2 से 5 लाख के अनुमोदित प्रोजेक्ट के लिए आरंभिक रकम के रूप में एक भीतरी अनुदान दिया जाएगा.
सह आचार्य	भीतरी अनुदान — 1
अपर आचार्य	भीतरी अनुदान — 2

(क) यह अनुदान या तो प्रधान अन्वेषक या तो सह अन्वेषक द्वारा धारित किया जाता है ।
(ख) प्रोन्नति निर्धारण स्कीम के अधीन मूल्यांकन के लिए समकक्ष पुनरीक्षित आचार समिति द्वारा अनुमोदित अनिधित अनुदान को भी समान अधिमान विचारित होगा।

IndiaCode

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, चंडीगड, निम्हान्स, बंगलोर से भिन्न अन्य संस्थान भी वैज्ञानिक सलाहकार समिति स्थापित करेगें ।

(घ) आवश्यक रूप से सभी संकायों के लिए अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवश्य आरंभ करेगें ।

(ग) प्रकाशन

(i) प्रोन्नति निर्धारण स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए विचारित होने के लिए संकाय सदस्यों को अनुसंधान क्रियाकलाप के भाग के रूप में निम्नानुसार पेपरों को प्रकाशित करना है :

	पबमेड अनुक्रमणिका पत्रिका में प्रकाशन (अध्याधेशित)
सहायक आचार्य	कम से कम 3 प्रकाशन जो कि जिन में कम से कम एक पहले लेखक के रूप में हो
सह आचार्य	3 से 5 पेपरों को निर्धारण अवधि के दौरान का होना चाहिए जिनमें से कम से कम एक पहले या तत्संबंधी लेखक का मूल लेख हो
अपर आचार्य	5 से 7 पेपरों को निर्धारण अवधि के दौरान का होना चाहिए जिनमें से कम से कम 02 पहले या तत्संबंधी लेखक का मूल लेख हो
आचार्य	5 से 10 पेपरों को निर्धारण अवधि के दौरान का होना चाहिए जिनमें से 03 पहले या तत्संबंधी लेखक का मूल लेख हो। प्रकाशन विशिष्ट अनुसंधान क्षेत्र में केंद्रित होना चाहिए ।

(ii) प्रकाशित पेपरों का मूल्यांकन निम्न के आधार पर होगा ।

(क) प्रकाशित लेखों की संख्या

(i) राष्ट्रीय पत्रिका ;
(ii) अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ;
(ख) कुल प्रोद्धरण सूचकांक ;
(ग) पत्रिकाओं के औसत प्रभाव का कारक ;
(घ) प्रकाशन के गुणावत्ता ;
(ङ) पीएच.डी. छात्रों को दिए गए मार्गदर्शन की संख्या का सम्यक आकलन किया जाएगा ;
(च) उपार्जित पेटेंट्स का सम्यक आकलन किया जाएगा ;
(छ) चयनित सदस्यता या चिकित्सा और विज्ञान शैक्षणिक अध्येतावृत्ति एक वांछनीय उपलब्धि है जिसका सम्यक आकलन किया जाएगा।

(घ) रोगी देखभाल सेवाएं

रोगी देखभाल सेवा प्रदाय में कार्य निष्पादन का मूल्यांकन मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :

(i) चिकित्सा आधारित –

(क) प्रतिमाह बहिरोगी चिकित्कालयों में उपस्थिति
(ख) प्रतिमाह दिए गए बहिरोगी ड्यूटी और किए गए कार्य
(ग) अपनाई गई कार्यविधि या शल्य चिकित्सा
(घ) नई तकनिकियों का विकास
(ङ) नई सेवा संचलन से सृजित रोग प्रबंध कार्यक्रम – सतत देखभाल के लिए आरंभ की गई
(च) दूर शिक्षा कार्यक्रम (उत्कृष्ठ कार्य)
(छ) देखभाल के नये मॉडल का या देखभाल प्रदाय पद्धति का विकास ।

(ii) गैर चिकित्सा आधारित

(क) कार्यभार
(ख) नए नैदानिक परीक्षण या तकनीकी का परिचय

टिप्पण : प्रत्येक संस्थान विभाग में विशेष संकाय सदस्य द्वारा रोगी देखभाल सेवा के लिए समय संविभाजित करने के लिए कॉलोजियम की स्थापना करेगा जो विभाग के अध्यक्ष और दो ज्येष्ठतम संकाय सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो प्रशासन को अभिलेख और प्रोन्नत निर्धारण स्कीम के अंतर्गत पश्चातवर्ती मूल्यांकन के लिए संसूचित करेगा ।

IndiaCode

(ङ) कार्पोरेट क्रियाकलाप

यह भागीदारी संकाय सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों जो संस्थान के उद्धेश्यों की अभिवृद्धि करने के लिए भी है तथा विभागों के काम सुचारू ढंग से चलाने के लिए है । राष्ट्रीय संस्थाओं के संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय वैज्ञानिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य देखभाल संगठनों की विभिन्न समितियों में और उद्योग जगत से सेवा के लिए बुलाए जाएगें।

6. ए पी एस के अधीन प्रोन्नाति के लिए प्रक्रिया और समय सारणी

(1) ए पी एस के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए विचार हेतु प्रत्येक वर्ष के मई में आवेदन आमंत्रित किए जाएगें और संकाय सदस्य से यह पूछा जाएगा कि, क्या वे अपने कार्य को प्रस्तुतीकरण से उपदर्शित करना चाहते हैं । तदनुसार स्थायी चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी संकाय सदस्य का साक्षात्कार किया जाएगा।

(2) नम्य संपूरक स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति निर्धारण स्कीम के अधीन दो स्तर पर छान बीन होगी। इसके अतिरिक्त, कार्य की सतत् समीक्षा भी की जाएगी ।

(3) आंतरिक छानबीन और सतत् समीक्षा

(क) प्रत्येक संस्था या विभाग के लिए संकाय सदस्यों द्वारा किए गए वार्षिक कार्यों के साथ–साथ सुसंगत संदर्भिकाओं के मूल्यांकन के लिए एक आंतरिक छान–बीन समिति का गठन करेगा। समिति द्वारा संकाय सदस्य के कार्य पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी । संकाय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सारांश और उसके कार्य की रिपोर्ट सतत समीक्षा के लिए भेजी जाएगी जो निम्नानुसार मूल्यांकित और श्रेणीबद्ध होगी ।

उत्कृष्ठ = (ए+)
बहुत अच्छा = (ए)
अच्छा = (बी+)
औसत = (बी)
अपर्याप्त = (सी)

(ख) समुचित अवधि के ए सी आर या एपीएआर का मूल्यांकन मार्गदर्शी सिद्धांतों के विस्तार के अनुसार किया जाएगा और उसके अनुसार निम्न रूप से श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

उत्कृष्ठ = (ए+)
बहुत अच्छा = (ए)
अच्छा = (बी+)
औसत = (बी)
अपर्याप्त = (सी)

(ग) श्रेणीबद्ध एसीआर या एपीएआर, किये गए कार्य की रिपोर्ट और सतत् समीक्षा का परिणाम स्थायी समिति द्वारा विचार के लिए भेजा जाएगा।

(4) चयन समिति द्वारा छानबीन

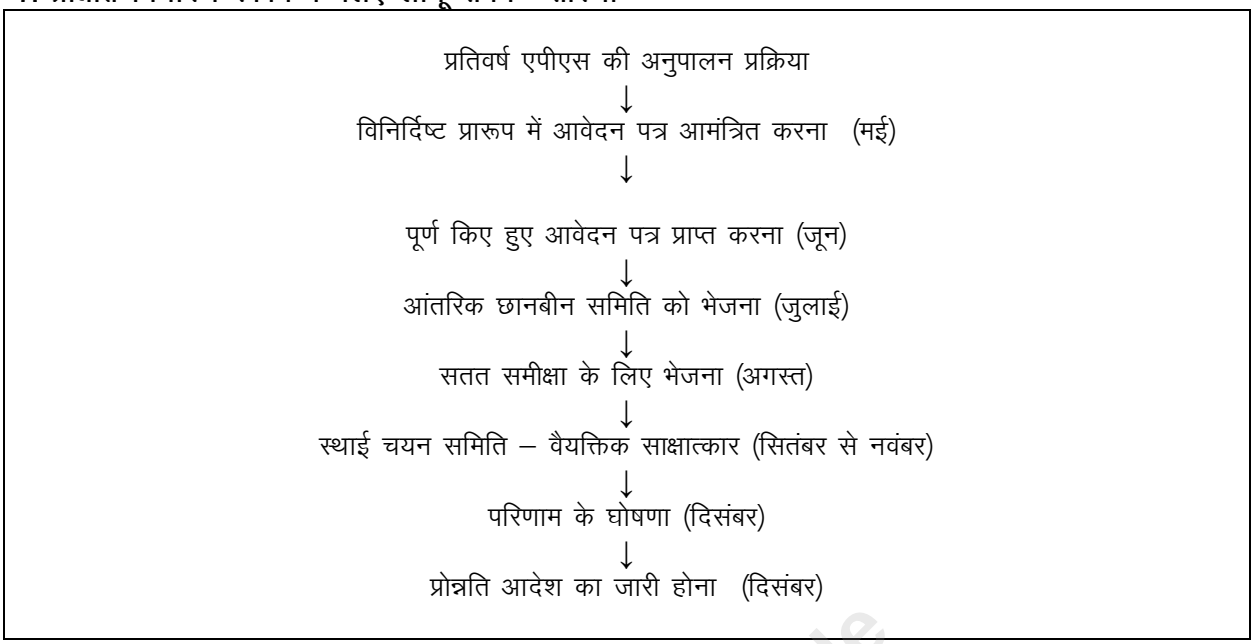
(क) स्थाई चयन समिति का अध्यक्ष, संस्थान के निदेशक के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा सुझाये गए विशेषज्ञों के पैनल से विशेषाज्ञों का चयन करेगा जो साक्षात्कार से सहबद्ध होगें ।
(ख) संकाय सदस्यों से प्राप्त आवेदनों पर विचार के लिए प्रत्येक वर्ष के सितंबर में चयन समिति की बैठक नियत होगी।
(ग) सभी सदस्य और विशेषज्ञ साक्षात्कार के पश्चात् संकाय सदस्य को ''ए +'' से ''सी'' में व्यक्तिगत रूप से श्रणीबद्ध करेगा, जिसमें –

ए+ ''उत्कृष्ठ'' माना जाएगा है
ए ''बहुत अच्छा'' माना जाएगा
बी+ '' अच्छा'' माना जाएगा
बी ''औसत '' माना जाएगा
सी ''अपर्याप्त '' माना जाएगा

(घ) सह आचार्य और अपर आचार्य पर प्रोन्नति के लिए 'ए' निर्देशक चिन्ह होगा ।
(ङ) अपर आचार्य से आचार्य पर प्रोन्नति के लिए ' ए+' निर्देशक चिन्ह होगा ।

IndiaCode

7. प्रोन्नति निर्धारण स्कीम के लिए लागू समय– सारणीं



8. स्थाई चयन समिती की सिफारिश के विरुद्ध अपील

(1) अपील किए जाने की दशा में शासी परिषद यह संवीक्षा करेगी कि उसे ग्रहण किया जाय या नही। यदि अपील या अभ्यावेदन का युक्ति–युक्त अधार है तो उसे पूर्ण चयन समिति के विचार के लिए पुनः निर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे विचार के दौरान समिती की सहायता कर रहे विशेषज्ञ ऐसे नही होगें जो मूल चयन में भाग ले चुके हैं ।

(2) अपीलकर्ता को सदैव मौखिक रूप से वैयक्तिक रूप से सुनवाई का अवसर चयन समिति द्वारा दिया जाएगा।

9. एपीएस के अंतर्गत अनुपयुक्त पाये गए अभ्यर्थियों की समीक्षा करना

ए पी एस स्कीम के अंतर्गत अपनी पात्रता के पहले वर्ष में अनुपयुक्त पाये जाने की बाबत अभ्यर्थी को आगामी वर्षों में ए पी एस स्कीम के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए कोई वर्जना या पाबंदी नही होगी।

10. संस्थान से अनुपस्थित रहने की अवधि

(1) किसी संकाय सदस्य को अगली प्रोन्नति के लिए पात्र होने के पूर्व ए पी एस के अंतर्गत यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक स्तर पर एक न्यूनतम अवधि तक सेवा करे। अतः, संकाय सदस्य जो संस्थान से बाहर के कार्य लेता है, समान्यता ए पी एस स्कीम के अंतर्गत विचार के पात्र नही होगों जब तक कि वे संस्थान में आवश्यक सेवा वर्ष नही रखते हैं । ऐसे कार्यों के लेने के समय संकाय सदस्य के कार्यमुक्त के आदेश में यह विनिर्दिष्ट रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसे संस्थान से अनुपस्थित रहने की अवधि की संगणना ए पी एस के अंतर्गत पात्रता के लिए होगी या नहीं ।

(2) राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय अभिकरणों जो स्वास्थ्य क्षेत्र (सेवाएं) में व्यवहार करते है ; के साथ सेवा या प्रशिक्षण की अवधि के ए पी एस के अंतर्गत पात्रता कि लिए संगणित होगी।

(3) छुट्टी की अवधि जिसके अंतर्गत चिकित्सा आधार पर छुट्टी, असाधारण छुट्टी आदि भी है। जो वैयक्ति आधार पर ली गई है, न्यूनतम आवासीय अवधि के लिए संगणित नही होगी।

(4) शिशु देखभाल के लिए अधिकतम छहः मास की अवधि की छुट्टी ए पी एस के अधीन मूल्यांकन के लिए विचारित होगी।

ख . चिकित्सा अधिकारियों के लिए गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन चिकित्सा अधिकारियों के लिए गतिशील सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (डी ए सी पी) स्कीम का विस्तार इस संस्थान के साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ श्रेणी के चिकित्सा अधिकारियों के लिए किया गया है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रोन्नतियां रिक्तियां से असंबद्ध और नीचे यथा उपदर्शित रूप में होगी :

(क) साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (जी डी एम ओ)

(i) जी डी एम ओ वेतन बैंड – 3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 5400 रू में चार वर्ष नियमित सेवा पूरी करने पर वेतर बैंड – 3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 6600 रू. के ज्येष्ठ जी डी एम ओ श्रेणी में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(ii) ज्येष्ठ जी डी एम ओ जिनकी वेतन बैंड – 3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 6600 रू. में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 7600 रू. के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रेणी में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(iii) मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेतन बैंड – 3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 7600 रू. में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड – 4, 37400 – 67000 रू + ग्रेड वेतन 8700 रू. के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी) वेतन बैंड –4, 37400 – 67000 रू + ग्रेड वेतन 8700 रू. में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड – 4, 37400 – 67000 रू + ग्रेड वेतन 10000 रु के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(ख) चिकित्सा अधिकारी विशेष श्रेणी

(i) चिकित्सा अधिकारी विशेष श्रेणी वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 6600 रू. में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 7600 रू. के विशेषज्ञ श्रेणी (ज्येष्ठ वेतनमान) में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(ii) विशेषज्ञ श्रेणी (ज्येष्ठ वेतनमान) चिकित्सा अधिकारी वेतन बैंड – 3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 7600 रू. में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड –4, + ग्रेड वेतन 8700 रू. श्रेणी में विशेषज्ञ श्रेणी –। में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(iii) विशेषज्ञ श्रेणी – I चिकित्सा अधिकारी वेतन बैंड –4, 37400 – 67000 रू + ग्रेड वेतन 8700 रू. में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड – 4, 37400 – 67000 रू + ग्रेड वेतन 10000 रू. श्रेणी में प्रोन्नत किए जाएंगे ।

ग. गैर चिकित्सा वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों के लिए स्वस्थानी प्रोन्नति स्कीम

स्वास्थ्य और परिवारा कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग (समूह 'क' राजपत्रित गैर चिकित्सा वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी पद) में स्वस्थानी प्रोन्नति नियम, 1990 के अधीन प्रोन्नति स्कीम का विस्तार इस संस्थान के समूह 'क' वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारियों जैसे जैव चिकित्सा इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, चिकित्सा भौतिक विज्ञानी, वैज्ञानिक या ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारी को किया गया है।

स्कीम की प्रमुख विशिष्टियां निम्न रूप में उपदर्शित है :–

(1) यह विद्यमान वैज्ञानिक स्तर का पद धारण किए हुए अभ्यर्थी की अगली उच्च वैज्ञानिक स्तर पर उसके पद या पदनाम में बिना किसी परिवर्तन के वैयक्तिक प्रोन्नति है।

(2) समूह 'क' वैज्ञानिक और तकनीकी अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्राद्यौगिकी में बैचलर डिग्री या समतुल्य अर्हता रखते है, प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे ।

(3) वैज्ञानिक या तकनीकी अधिकारी जो समूह 'क' पद धारण किए हुए हैं वेतन बैंड–4, 37400–67000 रू+ ग्रेड वेतन 8700 रू. में वैज्ञानिक श्रेणी – स्तर 4 तक के लिए प्रोन्नति के पात्र होगें जो निम्न है :–

(क) वैज्ञानिक स्तर– 1 अधिकारी जो वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 5400 रू. में कार्यरत है श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 6600 रू. श्रेणी में वैज्ञानिक स्तर–2 में मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नत किए जाएगें ।

(ख) वैज्ञानिक स्तर – 2 अधिकारी जो वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 6600 रू. श्रेणी में कार्यरत है श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 7600 रू. श्रेणी में वैज्ञानिक स्तर–3 में मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नत किए जाएंगे ।

(ग) वैज्ञानिक स्तर – 3 अधिकारी जो वेतन बैंड –3, 15600–39100 रू + ग्रेड वेतन 7600 रू. श्रेणी में कार्यरत है श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड –4, 37400–67000 रू + ग्रेड वेतन 8700 रू. श्रेणी में वैज्ञानिक स्तर–4 में मूल्यांकन के आधार पर प्रोन्नत किए जाएंगे. वैज्ञानिक स्तर–5, वेतन बैंड– 4, 37400 –67000, + ग्रेड वेतन 10,000 रू. में प्रोन्नति भी सीमित मामलों में होगी।

(4) जहां किसी अधिकारी को इन नियमों के अधीन प्रोन्नत किया गया है तो वह जिस पद पर प्रोन्नत हुआ है उसके द्वारा तत्काल धारण किया हुआ पद की श्रेणी का अगले स्तर पर उन्नयन होगा और उसके द्वारा पद धारक अधिकारी के द्वारा पद छोडने पर वह मूल स्तर पर प्रतिवर्तित होगा।

(घ) समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम

अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अध्यक्षता के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित काडर समीक्षा समिति की सिफारिशों पर आधारित एक समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम संस्थान के कर्मचारियों के लिए

तारीख 6 अप्रैल, 1995 से लागू है। उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को दस वर्ष और बीस वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर क्रमशः दो वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाएंगे । स्कीम को 28 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर तीसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए उपांतरित किया गया था जो 03 नवंबर, 2010 से प्रभावी है। संस्थान के सभी समूह 'क' (जो किसी भी प्रोन्नति स्कीम के अंतर्गत नही आते हैं), समूह 'ख' और समूह 'ग' कर्मचारी स्कीम के अंतर्गत फायदा प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे ।

स्कीम की विशिष्टियां निम्न रूप में उपदर्शित हैं :

(1) स्कीम के अंतर्गत किसी काडर या प्रवर्ग के पदों को इस प्रयोजन के लिए सृजित किये बिना उसके विद्यमान उत्क्रम के अनुसार अगली उच्च श्रेणी में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाएगा।

(2) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन शुद्ध रूप से वैयक्तिक है और उसका ज्येष्ठता की स्थिति से कोई सुसंगतता नही है। समयबद्ध स्कीम के अंतर्गत इस आधार पर कि श्रेणी में कनिष्ठ कर्मचारी उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं ज्येष्ठ कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं है। उक्त स्कीम के अंतर्गत वेतन निर्धारण की गणना में इस संबंध में कि कनिष्ठ अपने ज्येष्ठ से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं वेतन बैंड या ग्रेड वतन में वेतन का कोई उच्चीकरण स्वीकार्य नहीं है।

(3) किसी कर्मचारी की संपूर्ण सेवा में समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम के अंतर्गत तीन वित्तीय उन्नयन की संगणना उस श्रेणी जिसमें वह सीधी भर्ती किये हुए व्यक्ति के रूप में कर्मचारी नियुक्ति हुआ या से प्राप्त नियमित प्रोन्नतियों के सापेक्ष की जाएगी।

(4) समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा से सुसंगत भर्ती या सेवा नियम के निबंधनों के अनुसार नियमित प्रोन्नति के लिए संगणित पात्रता सेवा अभिप्रेत है।

(5) समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम के वेतन के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन पर कर्माचारी का वेतन मूल नियम 22(1) (क) (1) कि उपबंधों के अधीन नियत की जाएगी। स्कीम के अंतर्गत अनुज्ञात वित्तीय फायदें अंतिम है और नियमित प्रोन्नति के समय कोई वेतन नियतीकरण फायदा उद्भभूत नही होगा।

(6) समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम के लिए सभी प्रोन्नति संनियमों का पालन होगा । यदि कर्मचारी नियमित प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए विहित विभागीय या कौशल परीक्षण अर्हता प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसे स्कीम के अंतर्गत प्रोन्नति नही प्रदान की जाएगी।

(7) समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम सभी कर्मचारियों के लिए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी भी है प्रारूपिक रूप से लागू है। अतः आरक्षण आदेश और रोस्टर इस स्कीम के लिए लागू नही होगा।

(8) अनुशासनात्मक या शास्ति कार्यवाहियों के मामले में, स्कीम के अंतर्गत फायदे का दिया जाना प्रोन्नति को शासित करनेवाले नियमों के अध्यधीन है। ऐसे मामले केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और उसके अधीन जारी अनुदेशों से विनियमित होंगे ।

(9) समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम के उपबंध केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती सुनिचित कैरियर उन्नयन स्कीम के समरूप हैं इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा सुनिचित कैरियर उन्नयन के उपबंधों के संदर्भ में दिए गए निर्वचन और शंकाओं के लिए स्पष्टीकरण समयबद्ध प्रोन्नति स्कीम के उपबंधों के शंकाओं के लिए भी समान रूप से लागू होंगे ।

अनुसूची –VII

संस्थान द्वारा विज्ञापित विभिन्न पदों के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से प्रभारित फीस (विनियम 34 का उप–विनियम (3) देखें)

संख्या	संवर्ग	फीस	
		साधारण / ओबीसी	एससी / एसटी
1.	सभी समूह 'क' पद संकाय सदस्य पद सहित	2000 रू.	1000 रू.
2.	सभी समूह 'ख' पद	1000 रू.	750 रू.
3.	सभी समूह 'ग' पद	750रू.	500रू.

टिप्पण : विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अपनी शैक्षणिक अर्हता, अध्यापन या अनुसंधान के अनभव पूरे विवरण के साथ समर्थकारी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ US$ 25 प्रति आवेदन फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं ।

अनुसूची–VIII

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका–विज्ञान संस्थान, बंगलोर में विभिन्न पदों के लिए अनुशासनिक, नियुक्ति और अपीलीय प्राधिकारी (विनियम 41 के उप विनियम (2) के परंतुक का खंड (ii) देखें)

क्रम संख्यांक	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	अनुशासनिक प्राधिकारी	केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण और अपील) नियम 1965, नियम 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निदेशक	संस्थान निकाय (निम्हान्स, बंगलोर, नियम 2012 के नियम 8 के अध्यधीन)	संस्थान निकाय	संस्थान निकाय–सभी प्रकार की शास्ति	केंद्रीय सरकार
2	ज्येष्ठ आचार्य, आचार्य, चिकित्सा अधीक्षक, प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	शासी निकाय (केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन)	शासी निकाय	शासी निकाय– सभी प्रकार की शास्ति	संस्थान निकाय
3	अपर आचार्य और समूह 'क' अनुसचिवीय पद	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष – सभी प्रकार की शास्ति	शासी निकाय
4	सह आचार्य, सहायक आचार्य समूह, 'क' तकनीकी पद, समूह 'ख' और समूह 'ग' तकनीकी पद और अनुसचिवीय पद, ज्येष्ठ रेजीडेंट, कनिष्ठ रेजीडेंट, अनुसंधान बजट से नियत या समय वेतनमान पर अनुसंधान प्रोजेक्ट के अस्थाई पद	निदेशक	निदेशक	निदेशक – सभी प्रकार की शास्ति	शासी निकाय

अनुसूची – IX

निम्हान्स परिसर में स्टाफ क्वाटर आबंटन की पात्रता
(विनियम 45 देखें)

संख्या	क्वाटर टाइप	क्वाटर नं	पात्रता (ग्रेड वेतन/वेतन मान) (रू. में)	स्टाफ संवर्ग
1	टाइप –I	111	1800	समूह 'ग'
2	टाइप –II	114	1900,2000,2400,2800	समूह 'ग'
3	टाइप –III	124	4200,4600,4800	समूह 'ख'
4	टाइप –IV	76	5400,6600,7600 8000,8700,8900,9000	समूह 'क' सहायक या सह आचार्य
5	टाइप –V	36	9500, 10000 10500 और	समूह क' (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) या अपर आचार्य या आचार्य
6	टाइप –VI	3	67000 – 79000 80000 (स्थिर)	ज्येष्ठ आचार्य या निदेशक

कुल क्वाटर की संख्या : 464

IndiaCode

अनुसूची – X

निम्हान्स स्वास्थ्य योजना

(विनियम 45 देखें)

1. प्रस्तावना

निम्हान्स स्वास्थ्य योजना (एनएचएस) संस्थान में कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए व्यापक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से मार्च 1997 में आरंभ की गई है । सेवानिवृत्त कर्मचारी को इस तारीख के पश्चात् इस योजना में शामिल होने का विकल्प है। रेजीडेंट्स, पूर्णकालिक छात्रों, संविदा कर्मचारियों और मार्च, 1997 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी सीमित सुविधाएं हैं । केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अभिदाय के अंशदान के भुगतान पर स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एचएस) चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती हैं । एनएचएस कार्ड सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जारी किए गए हैं जो उन्हें निम्हान्स स्वास्थ्य केंद्र (एनएचसी) सरकारी अस्पतालों या रेफरल अस्पतालों में निःशुल्क उपचार के लिए हकदार बनाते हैं । योजना के अधीन कुछ निजी अस्पताल और निदान केंद्रों को भी पैनल में रखा गया है जहां लाभार्थी एन एच एस चिकित्साधिकारी द्वारा रेफर किए जाने के आधार पर जा सकते हैं । किसी आकस्मिता की दशा में लाभार्थी सीधे पैनल के अस्पताल में जा सकते हैं और 48 घंटों के भीतर रेफर होने के पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । ये अस्पताल या नैदानिक केंद्र लाभार्थियों को सी.जी.एच.एस. द्वारा अनुमोदित दर पर उपचार या नैदानिक सुविधा प्रदान करेगें। निजी पैनल के अस्पताल में उपागत व्यय की प्रतिपूर्ती सी जी एच एस या एन एच एस की अधिकतम दर पर की जाएगी। सरकारी अस्पताल में उपगत वास्तविक व्यय के अनुसार प्रतिपूर्ती की जाएगी।

2. पात्र व्यक्ति

निम्न लिखित सदस्य इस योजना के अधीन चिकित्सा सुविधा का लाभ पाने के पात्र हैं :

(i) निम्हान्स के सभी नियमित कर्मचारी और प्रतिनियुक्त कर्मचारी और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य।

(ii) मार्च 1997 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य, जो इस योजना में आते हैं । अवकाश ग्रहण करनेवाले कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के एक मास के भीतर उनको अपना विकल्प चुनना होगा।

(iii) कुटुंब के पेंशनभोगी जो मृतक एन एच एस लाभार्थी के आश्रित हैं ।

रेजीडेंटस, पूर्णकालिक छात्रों, मार्च 1997 के पश्चात् सेवा निवृत्त कर्मचारियों और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी (स्वयं के लिए), यदि वे ऐसे फायदे के लिए अनुरोध करते हैं निम्नलिखित सीमित सुविधाएं उपलब्ध होगी।

(i) निम्हान्स अस्पताल या एन एच एस में निःशुल्क परामर्श और उपचार और निम्हान्स में उपलब्ध औषधियों का जारी किया जाना।

(ii) उनके वेतन, वृत्तिका या पेंशन के अनुरूप निम्हान्स के समुचित वार्ड में निःशुल्क अंतरंग रोगी उपचार।

(iii) केवल निम्हान्स के परामर्शदाताओं द्वारा दी गयी सलाह न कि बाह्य सलाह पर निम्हान्स केंद्र पर उपलब्ध जाँच और नैदानिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सी टी स्कैन और एम आर आई भी है निःशुल्क है।

बहिरोगी होने के आधार पर निःशुल्क औषध जारी नही होगी। वे किसी चिकित्सीय प्रतिपूर्ती सुविधा के पात्र नही होगें ।

3. योजना की सदस्यता

सभी नियमित कर्मचारियों के लिए इस योजना की सदस्यता अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत फायदा जिस तारीख पर एन एच एस कार्ड कर्मचारी के लिए जारी किया जाता है उस तारीख से लागू होती है। तथापि, निम्हान्स एन एच एस कार्ड, जैसे ही व्यक्ति निम्हान्स की सेवा में पदग्रहण करता है समुचित दर से अभिदाय की वसूली की जाएगी चाहे उसे एन एच एस कार्ड जारी हुआ हो या नही हुआ हो ।

जहां पति और पत्नी दोनो निम्हान्स कर्मचारी हैं तो अभिदाय की कटौती सामान्यता उस कर्मचारी से की जाएगी जो उच्च वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वह स्वयं और अन्य परिवार के पात्र सदस्यों के लिए दावेदार की हैसियत के अनुसार दावे कर सकता है। इस बात की एक संयुक्त उद्घोषणा की जायेगी कि कौन दावा करेगा। जब भी आवश्यक हो परिस्थितियों में परिवर्तन जैसे प्रोन्नति, पदत्याग आदि के आधार पर उद्घोषणा में दिए गए विकल्प में परिवर्तन किया जा सकता है।

कोई महिला कर्मचारी योजना के अंतर्गत फायदा लेने के लिए अपने विकल्प पर अपने माता–पिता या कानूनी माता–पिता को आश्रित और निवास की शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए सम्मिलित कर सकती है। पति–पत्नी दोनो के एन एच एस के लिए अभिदाय करने की दशा में दोनो के माता–पिता चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होगें यदि वे पात्रता की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।

IndiaCode

कोई कर्मचारी जिसका पति या पत्नी किसी संगठन में सेवा कर रहे है जो अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है वह एन एच एस से बाहर जाने और जिस संगठन में उसका पति या पत्नी सेवा कर रहे है से चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं । ऐसे मामले में कर्मचारी को यह घोषणा लिखित रूप से करनी होगी कि वह एन एच एस से किसी चिकित्सा सुविधा का दावा नही करेगा। ऐसे मामले में कर्मचारी एन एच एस के लिए कोई अभिदाय नही करेगा।

ऐसे कर्मचारेयों जो एन एच एस से बाहर रहने का विकल्प चुनते हैं उस दशा में जब कि उसके पति या पत्नी को उस संगठन से जो चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहा है, से पद त्याग या पदच्युत किए जाते है या मृत्यु हो जाती हैं पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है और एन एच एस का फायदा ले सकता है।

4. बंगलोर के बाहर बसे पेंशनर

पेंशनभोगी/परिवार पेंशनर भोगी जो मार्च 1997 के बाद सेवानिवृत्त हैं और एन एच एस के सदस्य हैं, परंतु बंगलोर के बाहर बसें पेंशनभोगी अंतररोगी चिकित्सा सुविधा सी.जी.एच.एस. के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ले सकते हैं । तथापि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रचलित सी.जी.एच.एस. शुल्क दर तक सीमित होगी और जिन शहरों या कस्बों में सी.जी.एच.एस. सुविधा विद्यमान है सभी विहित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् उपचार लिया जा सकता है।

5. वसूली योग्य अभिदाय

सभी नियमित कर्मचारियों जो नीचे यथा विवरिणित योजना का विकल्प लेते हैं से अनिवार्य मासिक अभिदाय और पेंशनभोगियों से एक मुश्त रकम का अभिदाय योजना के अंतर्गत वसूल होगा ।

(क) नियमित कर्मचारी

(i) सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन बिल से मूल वेतन की अर्थात् वेतन बैंड + ग्रेड वेतन और एन पी ए (जहां लागू हो) के 1 प्रतिशत का अभिदाय करना है।

(ii) निलंबन की अवधि के दौरान, अभिदान निर्वाह भत्ता से इस शर्त अध्यधीन वसूल होगा कि निलंबन अवधि के बाद में ड्यूटी या छुट्टी के रूप में नियमित होने पर अंतर की रकम वसूल की जाएगी।

(iii) छुट्टी की अवधि (सिवाय असाधारण छुट्टी के) यदि अवधि चार मास से अधिक की नही है का अभिदाय देय होगा। यदि छुट्टी की अवधि चार मास से अधिक हो तो कर्माचारी अभिदायन नहीं करने का विकल्प चुन सकते हैं, ऐसे मामले में एन एच एस सुविधा अनुज्ञेय नहीं होगी।

(iv) यदि, किसी मास के पहले 15 दिनों में प्रारंभिक नियुक्ति की जाती है तो अभिदाय पूरे मास के लिए देय होता है।

(v) यदि, सेवानिवृत्ति मास के पिछले 15 दिनों के दौरान होती है तो अभिदाय पूरे मास के लिए देय होगा। वसूली का अधित्यजन होगा, यदि सेवानिवृत्ति मास के पहले 15 के दौरान है।

(ख) संविदा कर्मचारी जो इस योजना का विकल्प चुनते हैं, अपने लिए फायदा लेने के लिए अपने मासिक वेतन का 0.5 प्रतिशत का अभिदाय करेगा।

(ग) पेंशनभोगी

पेंशनभोगी या कुटुंब पेंशनभोगी द्वारा किया जा रहा अभिदाय भुगतान सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय ग्रेड वेतन के आधार पर उनके द्वारा सी.जी.एच.एस. स्लैब फीस स्तर पर होता है । पेंशनभोगी और कुटुंब पेंशनभोगी जो योजना का विकल्प चुनते हैं उनके ग्रेड वेतन जो नीचे उपदर्शित हैं के आधार पर निम्न फीस एक मुश्त अभिदाय करना होगा और स्थायी या आजीवन पेंशनभोगी एन एच एस कार्ड प्राप्त करना है ।

क्रम सं.	सेवा निवृत्ति या मृत्यु के समय आहरित ग्रेड वेतन	प्रति मास अभिदाय
1.	प्रति मास 1650 रू. तक	50 रू.
2.	1800 रू., 1900 रू.,2000 रू. 2400 रू. और 2800 रू.	125 रू.
3.	4200 रू.	225 रू.
4.	4600 रू., 4800 रू., 5400 रू., और 6600 रू.	325 रू.
5.	7600 रू. और उससे अधिक	500 रू.

यह अभिदाय दस वर्ष से कम के लिए स्वीकृत नही होगा ।

(घ) कर्मचारी का सेवानिवृत्त होने के पश्चात् सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन

सेवा के विस्तार पर या सेवानिवृत्त होने के पश्चात कर्मचारी एनएचएस सुविधाओं का फायदा लेने के लिए सेवारत कर्मचारियों के समान सामान्य अभिदाय का भुगतान करेगा । ऐसे व्यक्ति द्वारा सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान उनके द्वारा भुगतान अभिदाय को आजीवन के लिए किए गए एक मुश्त भुगतान के लिए संगणित नही होगा।

(ड) अभिदाय का प्रतिदाय

एन एच एस पेंशनभोगी लाभार्थी पेंशनभोगी द्वारा अंशदान की वापसी स्थायी निवास के बंगलोर से बाहर स्थानांतरण की दशा में, उन वर्षो के लिए जिनमें कि फायदा लिए गए हैं अभिदाय कि एक मुश्त किये गए अभिदाय से समायोजन के पश्चात प्रतिदाय अनुज्ञा दी जायेगी. पेंशनभोगी को इस प्रयोजन के लिए कार्मिक अनुभाग या अनुभाग के कर्मचारिवृन्द को आवेदन करना होगा और एन एच एस का पहचान कार्ड वापस करना होगा।

6. परिवार के आश्रित सदस्य

(क) कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य यदि सामान्य रूप से उसके साथ निवास करते है और उसकी सभी स्रोतों से आय जिसके अंतर्गत पेंशन (सारांशीकरण से पहले) और मृत्यु सह–सेवा निवृत्त के समतुल्य पेंशन उपादान फायदा 3,500 रू+ मूल पेंशन पर महंगाई भत्ते का 3500 रू प्रतिमास से अधिक न हो । आश्रित होने की शर्त पत्नी/पति पर लागू नही होगी और पति/पत्नी एन एच एस के अंतर्गत स्वतः सम्मिलित होगें ।

(ख) कर्मचारी की आय और आश्रितों के संबंध में घोषणा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के आरंभ में एक बार संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। कार्मिक या अनुभाग के कर्मचारिवृंद कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत घोषणा को देखेगें और घोषणा के अधार पर अपात्र आश्रित के नाम को एन एच एस कार्ड से हटाने के लिए कदम उठायेगा ।

(ग) परिवार : परिवार पद में, एनएचएस के फायदा लेने के प्रयोजन के लिए निम्न सम्मिलित हैं –

(i) पति या पत्नी ;

(ii) माता–पिता और सौतेली माता (दत्तक के मामले में दत्तक माता–पिता और वास्तविक माता पिता नही), महिला कर्मचारियों के मामले में उसके विकल्प पर उसके माता–पिता या कानूनी माता– पिता, परंतु ऐसा विकल्प महिला परिवार पेंशनर को नही है जैसा कि वह महिला रखती है;

(iii) दो की संख्या तक सीमित बच्चे जिसके अंतर्गत वैध रूप से दत्तक लिए हुए या सौतेले बच्चे भी है, और पुत्र की दशा में जबतक कि वह उपार्जन आरंभ नहीं करता है या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या विवाहित हो जानेपर जो भी पूर्वतर हो और पुत्री कि दशा में जब वह उपार्जन आरभं करती है या विवाहित हो जाती हैं जो भी पूर्वतर हो किसी भी आयु तक के लिए;

(iv) किसी भी आयु का पुत्र जो स्थायी रूप से शारिरिक या मानसिक रूप से विकलांग है ;

(v) विधवा पुत्री और विवाह विच्छन्न या पति से अलग पुत्री (किसी भी आयु की);

(vi) बहने जिसके अंतर्गत अविवाहित, विवाह विच्छन्न या छोडी हुई या पति से अलग या विधवा (किसी भी आयु की) बहने भी हैं;

(vii) अवयस्क भाई ;

(घ) परिवार का विस्तार

निम्न परिस्थितियों में परिवार का परिवर्द्धन अनुज्ञात किया जा सकता है, अर्थात –

(i) लाभार्थी का विवाह जो उसके पति या पत्नी के नाम के समावेश की अपेक्षा करता है;

(ii) बच्चे का जन्म, या

(iii) माता पिता का आश्रित होना;

(घ.) अपात्र आश्रित के नाम का विलोपन

यह संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि एनएचएस कार्ड से एक आश्रित के नाम हटाने के लिए आवेदन करे जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में वह आश्रित इस योजना के आश्रित होने का हकदार नही रह जाता :

(i) परिवार में पात्र सदस्य की मृत्यु;

(ii) पति या पत्नी के विवाह विच्छेद पर ;

IndiaCode

(iii) किसी सदस्य के विवाह, नौकरी प्राप्त होने, भीतर में परिवर्तन आदि के कारण आश्रित होने की परिधि से बाहर होने के कारण अपात्र होने पर ऐसा करने के लिए विफल होना केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के पदों में संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक अच्छा और पर्याप्त कारण है ।

7. एन एच एस कार्ड

(क) एन एच एस का फायदा कर्मचारी को एन एच एस कार्ड जारी होने की तारीख से प्राप्त होता है। एन एच एस कार्ड अलग–अलग रंगों में सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगियों को जारी करता है । लाभार्थी और उनके आश्रित परिवार सदस्यों के टिकट साइज फोटो कार्ड के ऊपर विधिवत स्थिर कर प्रमाणित कार्ड अधिकारी जारी करता है । पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस अपेक्षा से छूट दी गई है। फोटो का खर्च लाभार्थी वहन करेगा ।

(ख) रेजिडेंट्स और छात्रों को भी अलग–अलग रंग के फोटोग्राफ के साथ एन एच एस कार्ड उनसे एक सौ रूपये संग्रहण पर जारी होगा।

(ग) कर्मचारी अपना एनएचएस पहचान पत्र जो अधिकारी जारी करता है वह संस्थान से सेवानिवृत्त, दत्याग या कार्यमुक्त होने पर लौटाना होगा ।

(घ) पेंशन सुविधा का लाभ ले रहे पेंशनभोगी, अपने परिवार के फोटो को हर पांच वर्ष में एक बार बदलना होगा और कार्ड जारी करने वाले अधिकारी से नवीनिकृत पहचान पत्र प्राप्त करेगा ।

(ड़) एन एच एस चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कार्ड का दुरूपयोग न हो एन एच एस लाभार्थी प्रत्येक बार एन एच एस कार्ड की मांग कर सकता हैं ।

(च) **मल्टीलेटेड कार्ड का बदलना** : यदि किसी कर्मचारी को कार्ड मल्टीलेटेड प्राप्त होता है तो कार्ड धारक जारी करनेवाले प्राधिकारी से द्वितीय प्रति जारी करने के लिए मल्टीलेटेड कार्ड और फोटो के साथ आवेदन करेगा । ऐसे मामले में जारी करनेवाला प्राधिकारी मूलकार्ड नं. के साथ कार्ड की द्वितीय प्रति जारी करेगा । यदि मूल कार्ड (मल्टीलेटेड) जारी होने की तारीख से 05 वर्ष के भीतर कार्ड की द्वितीय प्रति के लिए आवेदन किया जाता है तों कार्ड धारक को 100 रू प्रभार के रूप में देय होगा तथापि कोई प्रभार देय नही होगा, यदि कार्ड 05 वर्ष पूर्व जारी हुआ है ।

छ) **कार्ड का खोना** : कार्ड खो जाना की दशा में लाभार्थी पुलिस में परिवाद दर्ज कराएगा और प्रभारी एन एच एस चिकित्सा अधिकारी और उस प्राधिकारी को जिसने कार्ड जारी किया है को भी मामले की रिपोर्ट करेगा । कार्ड की द्वितीय प्रति लाभार्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर निम्न मामलो में जारी होगा :

(i) मूल कार्ड खोने के बारे में पुलिस को दिए परिवाद की प्रति;

(ii) पुलिस स्टेशन से प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति;

(iii) कार्ड की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए एक सौ रू. रकम का चलन के साथ लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के फोटो ।

8. एन एच एस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा

(1) निम्हान्स स्वास्थ्य योजना एन एच एस स्तर पर सरकारी अस्पतालों और रेफरल अस्पतालों (पैनल के अस्पताल) द्वारा मान्यता प्राप्त द्वारा मान्यता प्राप्त कतिपय निजी अस्पतालों में उपचार प्रदान करता है।

(2) एन एच एस लाभार्थी और उनके परिवार के पात्र सदस्यों निम्हान्स स्वास्थ्य केन्द्र पर बहिरोगी देखभाल सुविधा का फायदा ले सकते हैं । उनके लिए निर्धारित तारीख और समय पर निम्नलिखित विशेषज्ञता के अतिथि मानद् परामर्शदाताओं से विशेषज्ञ परामर्श भी उपलब्ध है।

विशेषज्ञता

1. तंत्रिका ऑपथॉलमॉलोजी
2. ऑर्थोपडिक्स
3. ई.एन.टी
4. एण्डोक्रनॉलोजी
5. स्त्री और प्रसूति रोग विज्ञान

चिकित्सा अधिकारी या मानद परामर्शदाता द्वारा निर्धारित औषध/इंजेक्शन/ड्रेसिंग/छोटी शल्य चिकित्सा आदि स्वास्थ्य केन्द्र में निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

(3) एन एच एस ने बेंगलोर में कतिपय अस्पतालों और नैदानिक केंद्रों को मान्यता दी है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए सी जी एच एस के अंतर्गत पैनल में हैं । एन एच एस लाभार्थीयों को निजी अस्पतालों की सेवाएं बंगलोर में उपलब्ध सरकारी अस्पतालों की सेवाओं के अतिरिक्त है । लाभार्थीयों से आपेक्षित है कि वे उनको जारी एन एच एस कार्ड और एन एच एस चिकित्साधिकारी से प्राप्त रेफरल को अनुमोदित अस्पतालों की सुविधाएं लेने के लिए प्रस्तुत करेंगे । तथापि, किसी अकस्मिता की दशा में वे एन एच एस कार्ड प्रस्तुत करके अस्पतालों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और रेफरल पत्र 48 घंटे के भीतर प्राप्त कर लेंगे । अनुमोदित अस्पताल अपने द्वारा दी गयी सेवाओं के लिए सी जी एच

एस अनुमोदित दरों के अनुसार प्रभार ले सकते हैं । विहित सीमा से अधिक उपगत व्ययों को लाभार्थी स्वयं वहन करेंगे। एन एच एस चिकित्साधिकारी निजी अस्पतालों में रेफर करने से पहले लाभार्थीयों से विहित प्रारूप में इस आशय का वचनबद्ध प्राप्त करेंगे । लाभार्थी से अपेक्षित है कि अस्पताल को भुगतान करेंगे और उसके पश्चात् संस्थान से प्रतिपूर्ती का दावा करेंगे ।

(4) पैनल अस्पतालो पर अंतरोगी उपचार के लिए 16 मई 2012, से प्रभावी रोकडहीन सेवा प्रस्तुत है । इस स्कीम के अंतर्गत पैनल अस्पताल लाभार्थी से भुगतान का आग्रह नहीं करेगा। वे बिल को बिल समाशोधन अभिकरण को भेजेंगे, जो उस बिल की संवीक्षा के पश्चात् निम्हान्स को संबंधित अस्पताल को भुगतान निर्गत करने के लिए प्राधिकृत करेगा ।

9. अस्पताल वास – सुविधा

(1) निम्हान्स अस्पताल में भर्ती हुए एन एच एस लाभार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की वास– सुविधा के हकदार हैं :

संवर्ग		वार्ड टाइप
क) संकाय सदस्य और समूह 'क' अधिकारी	–	विशेष वार्ड – एकल बिस्तर
ख) समूह 'ख' और 'ग'	–	विशेष वार्ड – हिस्सेदारी .
ग) समूह 'ग' कर्मचारी ग्रेड वेतन 1800 रू.	–	साधारण

यदि भर्ती करते समय कर्मचारी के अधिकार के हकदार क्षेत्र का वार्ड उपलब्ध नहीं हैं तो, उसको उच्च श्रेणी के वार्ड में दाखिला लेने से पूर्व चिकित्सा अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी ।

(2) एन एच एस के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में वेतन या पेंशन पर आधारित हकदार वास – सुविधा है जो कि नीचे उपदर्शित है :

हकदार वार्ड	प्रति मास अहरित वेतन बैंड में वेतन या पेंशन या परिवार पेंशन
1) साधारण वार्ड	13,950 रू. तक
2) अर्ध निजी वार्ड	13,960 रू. से 19, 530 रू. तक
3) निजी वार्ड	19,540 रू. और उससे ऊपर

3. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या नगर पालिका अस्पतालों में नर्सिंग होम की सुविधा के हकदारी का निर्धारण के लिए अधिकतम सीमा प्रति मास वेतन बैंड में वेतन या पेंशन या परिवार पेंशन 13950 रू या अधिक की हो ।

4. निःशुल्क भोजन : एन एच एस लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने के दौरान निःशुल्क भोजन के हकदार हैं । निःशुल्क भोजन की अधिकतम धनीय सीमा प्रति मास वेतन बैंड मे वेतन या पेंशन या परिवार पेंशन 7,450 रू. की हैं । इसका विस्तार केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों मे टीबी, कुष्ट रोग, मानसिक रोग, कैंसर और एचआईवी/एड्स, गुर्दे डायलिसिस चिकित्सा, थैलेसिमिया का उपचार करा रहे लाभार्थियों पर भी किया है जो इस शर्त के अधार अध्यधीन है कि निःशुल्क भोजन उन तक सीमित होगा जो उस वेतन बैंड में वेतन या उस पद से सेवानिवृत्त हैं, जो वेतन बैंड –1 में वेतन लेता है और 11,160 रू प्रति मास की अधिकतम धनीय सीमा के भी अध्यधीन है ।

10. निजी अस्पतालो में अंतरंग उपचार और पैकेज डील फीस

मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों पर उपचार के लिए प्रक्रिया और पैकेज डील दर वह होगी जो भारत सरकार द्वारा समय–समय पर सी जी एच एस लाभार्थियों के लिए विहित होगी ।

11. वातानुकूलन फीस की प्रतिपूर्ति

निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एन एचएस लाभार्थी वातानुकुलन या उष्माकरण व्यवस्था के प्रभार या फीस के मन्यता पात्र अहम हकदार हैं ;

(क) सरकारी अस्पताल या निम्नलिखित शर्तों के एनएचएस निजी अस्पताल यह प्रमाणित करेगा कि अस्पताल में उपचार किया जाना चाहिए ।

(ख) उपचार करने वाला चिकित्सा परिचारक यह प्रमाणित करेगा कि वातानुकूलित कक्ष या उष्माकरण व्यवस्था रोगी के उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक हैं या वह सभी निजी वार्ड के लिए अस्पताल की एक सामान्य सुख सुविधाएं हैं ।

12. शल्य चिकित्सा प्रकीर्ण प्रबंधन खर्च

(1) एनएचएस लाभार्थी सी जी एच एस संनियमों के अनुसार शल्य चिकित्सा प्रकीर्णक प्रबंधन खर्च की प्रतिपूर्ती के हकदार हैं जो इस शर्त के अध्यधीन हैं कि उपचार देने वाले विशेषज्ञ या चिकित्सक यह प्रमाणित करेगा कि शल्य चिकित्सा प्रकीर्णक प्रबंध उपचार के आवश्यक भाग के रूप में थे।

(2) यहाँ उल्लिखित शल्य चिकित्सा प्रकीर्णक के अंतर्गत वे शल्य चिकित्सक प्रकीर्ण भी हैं जो शल्य चिकित्सा और अन्य आपरेशन में प्रयुक्त होते हैं और पुनः प्रयोग में नही लाये जाते हैं, और जो साधारण शल्य चिकित्सा सामग्री नहीं है जैसे गेज, पट्टियां, लुयूकोप्लास्टर, क्रेप बैंडेज, आदि जोकि अस्पताल द्वारा प्रदान किए जाते हैं ।

13. रक्ताधान फीस की प्रतिपूर्ती

एनएचएस लाभार्थी रक्त आधान के प्रभार की प्रतिपूर्ती के हकदार इस शर्त के अध्यधीन हैं कि उपचार करने वाले फिजीशियन यह प्रमाणित करें कि विशिष्ट रक्त समूह अस्पताल में उपलब्ध नहीं था और रक्त का प्रभार रेड क्रॉस, राज्य या केंद्रीय सरकार के अस्पतालों की दर से तुलना के योग्य हैं ।

14. औषध प्रदाय

एन एच एस चिकित्सा अधिकारी द्वारा औषध विहित करने में मितव्यायिता बरतने का अधिकतम प्रयास करेगा । जहां कम लागत की परंतु समान चिकित्सीय मूल्य की औषधियां उपलब्ध है। तो केवल उन्हे वे ही विहित की जाएगी। बहिरोगी उपचार के लिए एन एच एस लाभार्थियों को औषध प्रदाय के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया विहित है, अर्थात : —

(i) एन एच एस चिकित्सा अधिकारी, एनएचएस में उपलब्ध औषधि को देने की व्यवस्था करेगा ;

(ii) एनएचएस में ओषधि उपलब्ध न होने पर, एनएचएस चिकित्सा अधिकारी, विहित प्रारूप में दो प्रति में पर्ची जारी करेगा उसके पश्चात् वह एनएचएस लाभार्थी पर्ची के प्रति जनता बाजार (के सी सी एफ इकाई) द्वारा अनुरक्षित औषध भंडार, निम्हान्स परिसर पर प्रस्तुत करेगा और बिना किसी भुगतान के ओषधियाँ प्राप्त करेगा ;

(iii) औषध भंडार, जनता बाजार पर ओषध उपलब्ध न होने की दशा में लाभार्थी उन्हें पर्ची को सौंप सकेगा और औषध भंडार, जनता बाजार औषध का स्थानीय क्रय की व्यवस्था करेगा और उसे यथा—शीघ्र लाभार्थी को प्रदान करेगा ;

(iv) लाभार्थी की ओर से बाहर से क्रय की गई औषध के खर्च प्रतिपूर्ती योग्य नही है ;

(v) एन एच एस के मान्यता प्राप्त अस्पतालों के मानद परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों द्वारा ओषधि विहित करनेकी बाबत लाभार्थी एन एच एस चिकित्सा अधिकारी से विहित प्रारूप में दो प्रति में नई पर्चियां प्राप्त कर सकता है और उपरोक्त बताई गई प्रक्रिया जनता बाजार के औषध भंडार से औषध का संग्रहण के लिए पूरी की जाएगी ;

(vi) कैंसर, हृदय, तंत्रिका शल्य चिकित्सा, अंग प्रत्यारोपण और कूल्हा या घुटना प्रतिस्थापन आदि रोगों के लिए उपचार की बाबत एन एच एस के माध्यम से ओषध का प्रदाय एन एच एस के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अस्पतालों के विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान किए गए पर्ची के आधार पर अनुज्ञात है ;

(vii) इसके अलावा, बडे हृदय शल्य चिकित्सा या कार्डियोलाजी, आंकॉलोजी मामले, आपरेशन के पश्चात अंग प्रत्यर्पण के मामले या जोड प्रतिस्थापन के मामले या बड़ी तंत्रिका शल्य चिकित्सा या तंत्रिका विज्ञान मामलों में आपरेशन के पश्चात् की दशा में बहिरंग रोगी औषध विभाग का खर्च की प्रतिपूर्ती अनुज्ञात की जाएगी परंतु उपचार कर रहे विशेषज्ञ से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और सरकारी या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में आरंभिक उपचार लिया गया है ;

(viii) निम्हान्स स्वास्थ्य केंद्र गंभीर रोगों जैसे मधुमेह, क्षयरोग, हृदय रोग, अति—तनाव, आईएचडी, अपस्मारी आदि से पीडित रोगियों को एक समय में एक मास के लिए औषधियाँ जारी करेगा और अपवादिक रूप से ऐसे रोगियों के लिए तीन मास तक की अवधि के लिए औषधियाँ वहाँ जारी कर सकता है जहाँ विशेषज्ञ ने लंबी अवधि के लिए औषधियां विहित की हैं ;

(ix) तीन मास से अधिक अवधि के लिए एक ही औषधियां जारी करने के लिए विशेषज्ञ या परामर्शदाता द्वारा समीक्षा आवश्यक है और यदि, विशेषज्ञ या परामर्शदाता उन्ही औषधियों को जारी रखने की सिफारिश करता है तो एन एच एस चिकित्सा अधिकारी लाभार्थी को तीन मास से अधिक अवधि के लिए जारी कर सकता है और ऐसी समीक्षा प्रत्येक तीन मास में होगी ।

(x) एन एच एस चिकित्सा अधिकारी, जहां उसके द्वारा पहले से विहित औषधियाँ लम्बी अवधि के लिए जारी हैं तो मामले को परामर्शदाता या विशेषज्ञ द्वारा यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई परिवर्तन आपेक्षित है या नही समीक्षा के लिए रेफर करेगा, और गंभीर रोगों के दशा में जैसे मधुमेह, क्षयरोग, हृदय रोग, अति—तनाव, आईएचडी, अपस्मारी आदि से पीडित होने पर जहां विशेषज्ञ या परामर्शदाता ने लम्बी अवधि के लिए औषधिएं विहित की हैं एन एच एस चिकित्सा अधिकारी के विवेकानुसार ऐसी समीक्षा का आग्रह किया जाएगा।

(2) अग्राह्य ओषधियाँ

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अग्राह्य ओषधियाँ परिचालित कर रहा हैं, जिसके अंतर्गत भोजन के रूप में वर्गीकृत निर्मितियां, टॉनिक के रूप में प्रयोग होनेवाली साधारण निर्मितियां, महंगे ओषधियाँ, जुलाबकारी या अन्य अवयव और उपयुक्त निर्मितियां भी हैं । एन एच एस चिकित्सा अधिकारी लाभार्थी को ऐसी औषधियां विहित नहीं करेगा। यद्यपि, उक्त मंत्रालय द्वारा परिचालित औषध सूची संपूर्ण नही है, एन एच एस चिकित्सा अधिकारी को यह

विनिश्चय करना होगा कि क्या कोई विशिष्ट औषध या निर्मिती सूची में विनिर्दिष्ट विस्तृत प्रवर्गों में से किसी में आती है या नहीं, और उन्हें विहित न करे। लेखा अनुभाग प्रतिपूर्ती के लिए दावों की संवीक्षा करते समय यह देखेगा कि ऐसी औषधियों के लिए दावे स्वीकृत न हो।

(3) अंतरंग रोगी उपचार

एनएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों में अंतरंग रोगी उपचार के लिए उपगत व्ययों की जिसके अंतर्गत औषध के खर्च भी हैं की एन एच एस नियमों के अनुसार प्रतिपूर्ती होगी ।

15. साधारण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जाँच और उपचार के संबंध में जारी किए गए आदेशों और सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की बाबत अन्य प्रक्रियायें एन एच एस के अंतर्गत लाभार्थियों को भी लागू होगी ।

[फा. सं. वी. 18013/08/2012–पी.एच.–I]

सुश्री सुजया कृष्णन, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2013

G.S.R. 760(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) read with sub section (1) of Section 31 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012), the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Regulations, 2013.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations unless the context otherwise requires, –

(i) "Act" means the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Act, 2012 (38 of 2012);
(ii) "Annexure" means the annexure to the Schedule to these regulations;
(iii) "Chairperson" means the Chairperson of the Governing Body of the Institute;
(iv) "Director" means the Director of the Institute;
(v) "Fundamental Rules" means the fundamental rules as applicable to Central Government servants;
(vi) "General Financial Rules" means the General Financial Rules,2005 framed by the Central Government for financial management and control;
(vii) "NIMHANS" means the National Institute of Mental Health and Neuro- Sciences, Bangalore;
(viii) "President" means the President of the Institute;
(ix) "Receipt and Payment Rules" means Central Government Account (Receipts and Payments) Rules, 1983 of Central Government;
(x) "rules" means the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Rules, 2013;
(xi) "Schedule" means the Schedule to these regulations;
(xii) "Secretary" means Member- Secretary of the Institute and Governing Body;
(xiii) "standing committees" and "a*d hoc* committees" means the respective standing and a*d hoc* committees constituted under sub-section 5 of Section 11 of the Act;

"Supplementary Rules" means the Supplementary Rules as applicable to Central Government servants who are subject to Fundamental Rules.
(2) Words and phrases used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them.

3. Time and place of meetings of Institute.- The Institute shall meet at least once in every year at such times and places as the President may, from time to time determine.

4. Power to call a meeting of Institute.-
(1) The President may, at any time call a meeting of the Institute and also shall do so if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than fifty per cent of members specifying the subject of meeting proposed to be called.

(2) The President may call for an extraordinary meeting of the Institute at not less than seven clear days notice in writing and also shall do so if the requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than fifty per cent of members specifying the subject of the meeting to be called for.

5. Notice for the meetings of Institute.-

(1) For an ordinary meeting of the Institute, a notice specifying the place, date and time of the meeting as approved by the President, shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting and sent by registered post, and the agenda, as approved by the President, shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting by registered post.

(2) For extraordinary meetings, notice specifying the place, date and time of the meeting, as approved by the President shall be sent by the Secretary to the President and the members at least seven days before the date of the meeting, by registered post, and the agenda as approved by the President shall also be sent by registered post, at least five days before the meeting.

(3) The President may include in the agenda at any time before or during a meeting,-

(i) fresh items of business; and
(ii) items supplementary to those included in the agenda, and such items shall be taken up for consideration in the meeting.

6. Moving of resolution by members of Institute.- Any member of the Institute desirous of moving any resolution at a meeting of the Institute shall give notice thereof in writing to the Secretary so as to reach him not less than ten days before the date of the meeting and when such notice has been given, the proposed resolution shall be circulated immediately by the Secretary to the members and be included in the agenda.

7. Quorum of Institute.- (1) No business shall be transacted at a meeting of the Institute unless eight members are present.

(2) If on the date and time appointed for holding a meeting, the quorum is not present, the meeting shall stand adjourned and the members shall meet on a date, time and place fixed by the President and if, on the adjourned date and time also the quorum is not complete, the meeting shall be held if at least one-fourth of the total number of members are present:

Provided that at least seven clear days notice is given to the members present and to each member who is not present at the meeting on the same or the following day by registered post, fax or email, as the case may require.

8. Presidency over the meeting of Institute.– (1) The President shall preside over every meeting of the Institute.

(2) If the President is not present at any such meeting, the members present shall choose one from among themselves to preside over the meeting.

9. Transaction of business of Institute.– (1) All decisions of the Institute shall be taken on a majority vote and in case of equality of votes, the President shall have casting vote.

(2) A decision given by the President of the meeting on any issue raised by a member shall be final.

(3) No subject, disposed of by the Institute at a meeting, shall be brought up again for consideration until and after the expiry of one year, except in a case where the President or Member Secretary or the Central Government certifies that such subject required further consideration in the interest of the Institute or in public interest.

10. Transaction of business of Institute by circulation of papers.– (1) Any business which may be necessary for the Institute to transact may, if the President so directs, be dealt with by circulation of papers under registered cover among all members for the time being in India at their usual addresses and any resolution so circulated shall be taken as passed, if majority of members approve it, in writing, and shall be as effectual and binding as if the resolution has been passed at a meeting of the Institute.

(2) When any business is so referred to the members by circulation, a period of not less than three weeks shall be allowed for the receipt of replies from the members and such period shall be counted from the date on which the notice of business is issued:

Provided that if no reply is received within three weeks from any member, the resolution so circulated shall be deemed to have been approved by the member concerned.

(3) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be communicated to all the members.

IndiaCode

11. Record of Business of Institute.– (1) A record shall be maintained by the Secretary of all business transacted by the Institute.

(2) All business of the Institute shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions in the minutes book to be maintained by the Secretary and shall be signed by the President of that meeting after the same is duly confirmed, and an entry of such decision in the book of the proceedings of the Institute shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Institute.

(3) The proceedings of the meetings shall be circulated to the members of the Institute after the same is duly approved by the President.

12. Constitution of Governing Body.– The Governing Body of the Institute shall consist of the following members, namely :-

(a) The President of the Institute - Chairperson;

Members *Ex officio*

(b) Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Ministry or Department of Health and Family Welfare;

(c) the Director-General of Health Services, Government of India;

(d) the Secretary to the Government of India or his nominee (not below the rank of Joint Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure;

(e) the Director of the Institute - Member Secretary;

(f) the Chief Secretary to the Government of Karnataka or his nominee (not below the rank of Secretary to that Government);

(g) senior-most of the three Deans of the Institute;

Other Members

(h) one member elected by the members of the Institute from amongst the three Members of Parliament elected to the Institute;

(i) three members to be elected by the members of the Institute from amongst themselves;

(j) three professors of the Institute by rotation nominated annually by the Institute in the order of seniority;

(k) any person for a period of three years who in the opinion of the Central Government will be contributing for the furtherance of the Institute subject to the proviso to sub-section (1) of Section 11 of the Act.

13. Powers and functions of Chairperson and Governing Body.–

(1) The chairperson shall –

(i) preside over the Governing Body meetings and introduce the agenda items properly;

(ii) make sure that the affairs of Governing Body are conducted in accordance with law;

(iii) ensure that the decisions of Governing Body are implemented;

(iv) carry out the duties delegated by the Governing Body;

(v) make sure the availability of adequate financial resources for the Institution; and

(vi) report any action taken in emergent cases on behalf of Governing Body in its next meeting for approval.

(2) The Governing Body shall –

(i) have general control of the affairs of the Institution and will have authority to exercise and perform all powers, acts and deeds of the Institution consistent with its aims and objectives;

(ii) govern the Institution by establishing broad policies and objectives;

(iii) monitor the financial position of the Institution;

(iv) monitor and evaluate teaching programs, suggest remedial measures, monitor faculty deployment and development;

(v) make, amend or repeal any bye-laws relating to administration and management of the affairs of the Institution subject to observance of the provisions contained in the Act, rules and the provisions of these regulations;

(vi) delegate its powers to chairperson in emergent cases; and

IndiaCode

(vii) perform such other duties and exercise such other powers as may be entrusted by the Institute.

(3) The Chairperson and Governing Body shall exercise such powers as are specified in the Schedule I annexed to these regulations.

14. Terms of office of members of Governing Body and filling of casual vacancies.–
(1) The term of office of a member, other than the *ex officio* members of the Governing Body and those nominated under clauses (j) and (k) of regulation 12, shall be for three years subject to his continuance as a member of the Institute and an outgoing member shall be eligible for re-election or re-nomination only once.

(2) A casual vacancy in the membership of the Governing Body shall be filled up in accordance with the provisions of these regulations.

15. Time and place of meetings of Governing Body.– The Governing Body shall meet atleast once in six months at such times and places as the Chairperson may, from time to time determine.

16. Powers to call meetings of Governing Body.- The Chairperson may at any time call a meeting of the Governing Body and shall do so if a requisition for that purpose is presented to him in writing by not less than fifty per cent of the members specifying the subject of the meeting proposed to be called.

17. Notice for meetings of Governing Body.- (1) For an ordinary meeting of the Governing Body, a notice specifying the place, date and time of the meeting, as approved by the Chairperson shall be given by the Secretary to the members at least two weeks prior to the date of such meeting and sent by registered post.

(2) The agenda as approved by the Chairperson shall also be sent along with the notice of the meeting and where it is not possible, the agenda shall be sent at least ten days before the meeting by registered post.

(3) For extraordinary meetings, notices specifying the place, date and time of the meeting, as approved by the Chairperson, shall be sent by the Secretary to the Chairperson and the members at least seven days before the date of the meeting, by registered post.
(4) The agenda, as approved by the Chairperson, shall be sent by registered post, at least five days before the meeting.
(5) The Chairperson may include in the agenda at any time before or during a meeting -
(i) fresh items of business; and
(ii) items supplementary to those included in the agenda,
and such items shall be taken up for consideration in the meeting.

18. Quorum of Governing Body.- (1) No business shall be transacted at a meeting of the Governing Body unless at least eight members are present.
(2) If on the date and time appointed for holding a meeting the quorum is not present,the meeting shall stand adjourned and the Governing Body shall meet again on a date, time and place fixed by the Chairperson, and if on the adjourned date and time also the quorum is not complete, the meeting shall be held if at least one-third of the total number of members are present:

Provided that at least seven clear days notice is given to the members present and to each member who is not present at the meeting on the same or following day by registered post or by special messenger, as the case may require.

19. Presidency over meetings of Governing Body.– (1) The Chairperson shall preside over every meeting of the Governing Body.

(2) If the Chairperson is not present at any such meeting, the members present shall choose one from among themselves to preside over the meeting.

20. Transaction of business of Governing Body.-
(1) All decisions of the Governing Body shall be taken on a majority vote and in case of equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote.
(2) A decision given by the Chairperson of the meeting on any issue raised by a member shall be final.
(3) No subject disposed of by the Governing Body at a meeting shall be brought up again for consideration until and after the expiry of a period of six months, except in a case where the Chairperson or Member Secretary or the Central Government certifies that such subject required further consideration in the interest of the Institute or in public interest.
21. Transaction of business of Governing Body by circulation of papers.– (1) Any business which may be necessary for the Governing Body to transact may, if the Chairperson directs, be dealt with by circulation of papers under registered cover among all the members for the time being in India at their usual address and any

resolution so circulated and approved by not less than fifty per cent.of the members signing, shall be as effectual and binding as if the resolution had been passed at a meeting of the Governing Body.

(2) When any business is so referred to the members by circulation, a period of not less than ten clear days shall be allowed for the receipt of replies from the members, such period to be counted from the date on which the notice of business is issued:

Provided that if no reply is received by the stipulated date from any member, the resolution so circulated shall be deemed to have been approved by the member concerned.

(3) If a resolution is circulated, the results of circulation shall be communicated to all the members.

22. Record of business of Governing Body.–

(1) A record shall be maintained by the Secretary of all business transacted by the Governing Body.

(2) All business of the Governing Body shall, as far as possible, be recorded in the form of resolutions in the minutes book to be maintained by the Secretary and shall be signed by the Chairperson of that meeting after the same is duly confirmed.

(3) An entry of such decision in the book of the proceedings of the Governing Body shall be conclusive evidence of the fact that such decisions were taken by the Governing Body.

(4) The proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Governing Body after the same is duly approved by the Chairperson.

23. Constitution and conduct of business of standing and a*d hoc* committees.-

(1) The standing and a*d hoc* committees shall consist of the Director of the Institute as *ex officio* member who shall act as Secretary and such number of other members as are considered necessary by the Institute.

(2) The Chairperson and members of the a*d hoc* committees shall be nominated by the Institute:

Provided that the Standing Finance Committee shall include only members of the Institute:

Provided further that the members of the Standing Academic Committee and the Standing Selection Committee shall consist of only professionals from the disciplines pertaining to Mental Health and Neuro Sciences:

Provided also that the number of persons who are not members of the Institute shall not exceed one-fourth of the total membership of each of the other standing or a*d hoc* committees other than Standing Academic Committee and Standing Selection Committee:

Provided also that no business shall be transacted at a meeting of the standing or a*d hoc* committee unless there are present at least one-third of the total members constituting the committee.

(3) The Standing Academic Committee shall consider all matters relating to the administration of the academic affairs of the Institute.

(4) The Standing Estate Committee shall consider the proposals for the construction of new buildings, acquisition and disposal of land, additions or alterations and matters relating to the maintenance and use of buildings belonging to the Institute, and it shall also consider proposals and projects for expansion of the Institute for meeting the objects of the Institute and monitor the implementation.

(5) The Standing Selection Committee shall consider the appointment to all the faculty posts filled either through direct recruitment or under assessment promotion scheme.

(6) The Hospital Management Committee shall look into all policy matters relating to improvement of patient care services or creation of any specialised or new services, review and revision of charges to be levied for various services or any other policy matter relating to hospital management.

(7) The Planning and Monitoring Board shall be the principal planning body of the Institute and shall be responsible for monitoring the development programmes of the Institute.

(8) The Grievance Redressal Committee shall be responsible to consider any individual grievance or complaints with regard to appointments, promotions, service matters, allowances, retirement benefits, etc. of employees.

(9) The Rehabilitation Committee shall supervise the activities of patients with disabilities due to mental illness as well as neurological disorders and organise their rehabilitation.

(10) The term of office of a member of a standing committee shall be three years from the date of its constitution and an outgoing member of the a*d hoc* committee shall cease to function as soon as the specific functions for which the said committee was constituted, are completed.

(11) A casual vacancy in the standing committee or an a*d hoc* committee may be filled by the Institute by nomination.

24. Travelling and daily allowances to be paid to the President, Vice-President and members of the Institute, Governing Body, standing and a*d hoc* committees.--

(1) The President, Vice-President and members of the Institute, the Chairperson and members of the Governing Body and Chairperson and members of the standing committees and a*d hoc* committees shall not receive any remuneration or other allowances, except travelling and daily allowances for attending meetings of the Governing Body or standing committee or a*d hoc* committee, as the case may be.

(2) The President and every member of the Institute, the Chairperson and members of the Governing Body, the standing and a*d hoc* committees, if they are whole time officers of Central Government shall be entitled to such travelling and daily allowances for the performance of journeys for attending the meetings of the Institute, Governing Body, standing or a*d hoc* committees or for attending any other work of the Institute, as are admissible under the rules applicable to them for journeys performed on official duty.
(3) Where any travelling and daily allowances are paid to a member of the Institute, the Governing Body, standing committee or a*d hoc* committee, being an officer in the Government, the Institute shall make necessary arrangements for reimbursement of the amount so paid to the authority employing such officer.
(4) The President and members of the Institute and the Chairperson and members of the Governing Body, standing and a*d hoc* committees who are not officers in the Government shall be entitled to travelling and daily allowance at the rates prescribed from time to time by the Central Government under Supplementary Rule 190 and the executive decisions and orders there under.

25. Powers and functions of the Director.–
(1) The Director shall be the Chief Executive Officer of the Institute and shall exercise such powers as are specified in the Schedule I annexed to these regulations.

(2) The Director shall be in charge of the administration of the Institute and shall allocate duties to officers and employees of the Institute and exercise such supervision and executive control as are necessary.
(3) For the proper administration of the Institute, the Director shall have powers to delegate any of his powers conferred on him under the Act, the rules and these regulations to any officer of the Institute subject to such limitations as may be imposed by the Governing Body.

26. Powers to award prizes, scholarships, etc.– The Institute may award such prizes, awards, souvenirs, stipends, scholarships, visiting professorship or fellowships, as may be decided by it from time to time.

27. Admission to courses of studies.– (1) The Institute shall admit students to courses conducted by it and shall provide reservation to persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes or other categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

(2) The courses and fees payable by the candidates selected for admission to the post graduate and under graduate courses of study at the Institute shall be as specified in Schedule II:
Provided that any amendment to the said schedule shall be made by publication of notification in the Official Gazette, only with the prior approval of the Governing Body.

28. Award of degrees, diplomas, certificates and fellowships.– The Institute may grant such degrees, diplomas, certificates and fellowships, as may be decided by the Institute from time to time.

29. Conduct of examination.– Such number of supervisors, invigilators and other staff, as may be necessary, for conducting entrance and professional examination of the Institute may be appointed by the Director and their remuneration shall be paid at the rates as indicated in Schedule III:

Provided that any amendment to the said schedule shall be made by publication of notification in the Official Gazette, only with the prior approval of the Governing Body.

30. Hospital charges.– The Institute shall charge for various services as per the rates specified in Schedule IV, and as amended from time to time by notification in the Official Gazette with the prior approval of Governing Body.

31. Employees to be whole time servants.- Unless, in any case, if it be otherwise distinctly provided, the whole time of any employee of the Institute shall be at the disposal of the Institute and he may be employed in any manner required by the proper authority of the Institute without claim for additional remuneration.

32. Permanent and temporary posts.– The posts in the service of the Institute shall be –
(i) permanent posts, that is, posts carrying definite rate of pay sanctioned without any limit or time; or
(ii) temporary posts, that is, posts carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited time; or
(iii) honorary consultants with honorarium for specified period; or
(iv) work charged or work charged (regular posts) carrying a definite rate of pay sanctioned for a limited time for completion of such work.

33. Scale of posts.– The various posts in the Institute and the scales of pay attached to those posts shall be as specified in the Schedule V:

Provided that any amendment to the said Schedule shall be made by publication of notification in the Official Gazette, only with the prior approval of the Governing Body:

Provided further that the terms and conditions of service of the employees shall by and large not be higher than those applicable to similar categories of Central Government employees and for any relaxation, the Ministry of Finance shall be consulted.

34. Qualifications for appointment.– (1) The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and experience for appointment to various posts including the faculty posts and their service conditions in the Institute shall be as specified in Schedule VI:

Provided that any amendment to the said schedule shall be made by publication of notification in the Official Gazette, only with the prior approval of the Governing Body.

(2) The Director shall, in filling vacancies in post and services either by direct recruitment or by promotion under the Institute, make such reservation in favour of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes or other categories of persons, as may be made by the Central Government from time to time in filling vacancies in posts and services under the Central Government.

(3) The fees to be charged from the candidates applying for various posts in the Institute are as specified in the Schedule VII:

Provided that any amendment to the said schedule shall be made by publication of notification in the Official Gazette, only with the prior approval of the Governing Body.

35. Period of probation.– Unless otherwise decided by the appointing authority in any case, all employees shall be on probation for two years and the employee shall be required to put in satisfactory service, failing which his services shall be liable to termination at any time without any notice or reason being assigned for the same:

Provided that the appointing authority, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation.

36. Seniority.– Seniority of employees of the Institute in each category shall be determined as per the instructions issued by the Central Government from time to time.

37. Leave.–

(1) Temporary and permanent employees of the Institute shall be entitled to such leave and leave salary as are admissible to the corresponding categories of the Central Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972:

Provided that for the purpose of the said Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the following categories of teaching staff shall be treated as serving in the Vacation Department, namely:-

(a) Senior Professor;
(b) Professor;
(c) Additional Professor;
(d) Associate Professor;
(e) Assistant Professor;
(f) Professor cum Principal (College of Nursing);
(g) Reader or Associate Professor (College of Nursing);
(h) Lecturers (College of Nursing).

(2) The regular vacation for the purpose shall be as may be decided by the Governing Body from time to time:

Provided that an incumbent on deputation to the Institute on foreign service shall be governed by leave rules as may be stipulated in the conditions of their deputation.

38. Absence from duty.– Unless otherwise decided by the President in exceptional circumstances, any permanent employee of the Institute who remains away from his post, otherwise than on foreign service or because of suspension, for more than five years continuously, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the Institute Service:

Provided that a reasonable opportunity to explain the reasons for such absence shall be given to that employee before the above provisions are invoked.

39. Superannuation.–

(1) The age of superannuation of the employees of the Institute other than teaching faculty shall be sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the medical and scientific specialists may be granted extension in service, on a case to case basis, up to the age of sixty-two years in the case of persons who are exceptionally talented for reasons to be recorded in writing and subject to physical fitness and continuous efficiency of the person concerned.

(2) The age of superannuation of the members of the faculty of the institute shall be sixty-five years or as prescribed by the Central Government from time to time.

(3) Notwithstanding anything contained in the sub-regulations (1) and (2) above, the appointing authority shall, if it is of the opinion that it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any employee of the Institute by giving him notice of not less than three months in writing or three months pay and allowances in lieu of such notice, --

IndiaCode

(i) if he is in Group 'A' or Group 'B' service or post and had entered the service of the Institute before attaining the age of thirty-five years, after he has attained the age of fifty years; and

(ii) in any other case, after he has attained the age of fifty-five years.

(4) (a) Any institute employee who is in Group A or Group B service or post and had entered the service of the Institute before attaining the age of thirty five years may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service after he has attained the age of fifty years;

(b) in all other cases, the institute employee, who has attained the age of fifty-five years, may retire from service by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority:

Provided that it shall be open to the appointing authority to withhold permission to an employee under suspension who seeks to retire under this sub-regulation.

40. Pension and Contributory Provident Fund.–

(1) The employees of the Institute who were appointed to various posts in the Institute prior to 1st January 2004, except those on deputation or on foreign service to the Institute, are entitled to pension and other pensionary benefits under the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, and such employees shall continue to be governed by the said rules.

(2) The employees of the Institute who were appointed on or after 1st January, 2004, except those on deputation or on foreign service to the Institute shall be governed by the scheme formulated by the Institute as per the instructions of the Central Government for employees appointed on or after the said 1st January, 2004 under the Central Government.

41. Conduct, discipline and penalties.–

(1) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 shall apply to employees of the Institute.

(2) In the case of disciplinary matters, the relevant provisions of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply to employees of the Institute:

Provided that for the purposes of these regulations,-

(i) Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts in the Institute shall correspond to Central Civil Services Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts, respectively;

(ii) the appointing authority, disciplinary authority and the appellate authority for various posts in the Institute shall be as specified in Schedule VIII;

(iii) in respect of the Central or the State Government servants borrowed by the Institute, the provisions of rule 21 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 shall apply and the Institute shall exercise the functions of the Central or the State Government, as the case may be, for the purposes of the said rule;

(iv) no consultation with Union Public Service Commission or State Public Service Commission shall be necessary in any case.

42. **Other conditions of service.**– In respect of the matters provided or not provided for in these regulations, the rules as applicable to the Central Government servants regarding the general conditions of service, pay, allowances including travelling and daily allowance, leave salary, joining time, foreign service terms, and orders and decisions issued in this regard by the Central Government from time to time, shall apply to the employees of the Institute.

43. Pay of re-employed persons.– The pay scale of any person, who may be employed in the Institute after retirement from the service of the Institute or of a State or the Central Government or any statutory or local body administered by the Government, shall be fixed in accordance with the rules and orders of the Central Government, as amended from time to time.

44. Building and land belonging to the Institute.– (1) The Institute shall use the land and buildings for its purpose and may, for such purposes, allot them for occupation by such persons or officers as the Governing Body may decide.

(2) Employees of the Institute shall be entitled to the allotment of residence as laid down in Schedule IX.

45. Medical facilities for employees.– The employees of the Institute including deputationists, retired employees and the dependent members of their families shall be entitled to medical facilities as admissible under the NIMHANS Health Scheme, who shall also pay such contribution as are required under that scheme and the details of the scheme are as provided in Schedule X:

Provided that any amendment to the said schedule shall be made by publication of notification in the Official Gazette, only with the prior approval of the Governing Body.

46. Proceedings by or against the Institute.– Subject to approval of President of the Institute, the Governing Body or the Director of the Institute shall be competent to file suits or application or commence other proceedings, civil or criminal, for and on behalf of the Institute and to prosecute the same and for such purpose to sign, execute or attest plaints, petitions, appeals or other documents that may be necessary therefor and to verify

the same, to swear affidavits and to compromise, refer to arbitration and defend in suit or other proceedings that may be filed against the Institute and to prosecute the claim or defence in the court of appeal or origin or before any officer whether in civil, criminal, revenue court or office or before Income-tax and Service-tax authorities and for such purposes to appoint any advocate, pleader, solicitor or agent from the panel.

47. Exercise of powers.- The powers vested with various authorities in these regulations would be exercised in accordance with such general instructions including austerity instructions that may be issued by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, from time to time, provided such instructions are made applicable to autonomous bodies by that Department.

SCHEDULE-1

POWERS OF THE DIRECTOR, CHAIRPERSON OF GOVERNING BODY, GOVERNING BODY AND INSTITUTE OF NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEURO SCIENCES, BANGALORE
(See regulations 13 and 25)

Sl. No	Nature of powers	Extent of powers				Remarks
		Director	Chairperson of Governing Body	Governing Body	Institute	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	To consider and approve budget estimates.	-	-	Full powers	-	-
2.	Powers of appropriation and re-appropriation of funds from sanctioned budget as per the Financial Rules.	Full powers	-	-	-	Report on re-appropriation shall be placed before Governing Body for approval in its next meeting.
3.	(a)Write off of losses of irrecoverable value of stores or of public money due to fraud, theft, etc.	Up to Rs. one lakh in each case.	Up to Rs. two lakh in each case.	Full powers	-	-
	(b) Write off of loss of revenue or of irrecoverable advance.	Up to Rs.one lakh in each case.	Up to Rs. two lakh in each case.	Full powers	-	-
	(c) Write off of deficiencies and depreciation in the value of stores including stock accounts(other than motor vehicles).	Up to Rs. one lakh in each case.	Up to Rs. two lakh in each case.	Full powers	-	-
	(d) Write off of value of obsolete or unserviceable stores.	Full powers on the recommendation of the Condemnation Committee.	-	-	-	--
	(e) Write off of the value of time barred drugs and chemicals (subject to conditions laid down by the Drugs Committee with reasons to be recorded).	Full powers	-	-	-	-
4.	Condemnation of motor vehicles and other vehicles after the prescribed distance run and length of use and on	Full powers, subject to ratification by Governing Body.	-	Full powers for ratification.	-	-

IndiaCode

	obtaining a certificate to the effect that the vehicle is not fit for any further economical use from the workshop of State Road Transport Corporation.					
5.	Procurement of Goods and Services which includes equipments, furniture, drugs and medicines, consumables and all other stores.	Full powers within the budget allotment where approval of Standing Finance Committee of the Ministry is not required.	-	-	-	-
6.	Purchase of print or electronic versions of books, publications, periodicals, etc. for the Library.	Full powers	-	-	-	-
7.	Purchase of vehicles for the Institute.	-	-	Full powers	-	-
8.	To incur contingent expenditure.	Full powers	-	-	-	-
9.	To accord administrative approval and expenditure sanction for (a) Original works and special repairs.	Up to Rs. one crore in each case.	Up to Rs. two crore in each case.	Full powers.	-	Technical sanction to the works will be accorded by the Estate Committee.
	(b) Ordinary repairs.	Full powers	-	-	-	-
	(c) Annual repairs.	Full powers	-	-	-	-
10.	(a)To invite tenders or quotations for works or stores and (b) Acceptance of tenders or quotations.	Full powers up to Rs.five crore.	-	Full powers above Rs.five crore.	-	-
11.	Entrustment of works on piece work basis on Schedule of Rates without calling for tenders in emergent cases.	Full powers subject to ratification by Governing Body.	-	-	-	-
12.	(a) Approval of (i) Architectural drawings; (ii)Structural drawings; (iii) Data rates; (iv) Extension of time; (v)Extra or Additional or Deviated items of work. (b)Approval of revised estimates.	Full powers based on the recommendations of Estate Committee. Full powers up to Rs.one crore in each case.	- Full powers up to Rs.two crore in each case.	- Full powers above Rs.two crore.	- -	- -
13.	Powers to sanction advances for purchase of conveyance to employees.	Full powers in respect of all employees except for self.	Full powers in case of Director.	-	-	-
14.	Powers to grant permission and to sanction advance to Institute employees on tour, transfer, etc.	Full powers in respect of all employees except for self.	Full powers in case of Director.	-	-	-
15.	Power to sanction advance of pay on the	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

	eve of important festivals in accordance with the scale laid down by Government of India.					
16.	Power to sanction House Building advances in accordance with the rules of Government of India.	Full powers	-	-	-	-
17.	Power to authorise the sale or transfer of vehicles purchased out of advances granted by the institute.	Full powers	-	-	-	-
18.	To allow mileage allowance by a route other than the shortest or cheapest.	Full powers	-	-	-	-
19.	To decide the shortest or cheapest of two or more routes.	Full powers	-	-	-	-
20.	To decide the point of commencement or end of journey in a station.	Full powers	-	-	-	-
21.	Sanction of air travel by officers in relaxation of rules.	Full powers within the entitled class.	-	-	-	-
22.	Power to sanction enforced halts occurring en route on journeys on tour including halt on duty at hill station, transfer etc. due to breakdown in communication.	Full powers	-	-	-	-
23.	To declare the grade of Honorary Consultants, Non-officials attending Commission of Enquiry, etc. based on the fee or honorarium paid to them, for the purpose of travelling allowance and to sanction it.	Full powers	-	-	-	-
24.	Power to allow exchange of daily allowance for mileage allowance for the whole period of absence from headquarters.	Full powers	-	-	-	-
25.	Power to fix amount of hire or charges when an institute employee is provided with means of locomotion at the Institute but pays all the cost of its use or propulsion.	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

26.	Power to sanction for journey made during leave including vacation.	Full powers in respect of all employees, except for self.	Full powers in case of Director.	-	-	-
27.	Powers to permit the officers of the Institute to go abroad in connection with the work of the Institute and treating the absence as on duty.	Full powers up to ninety days provided there are no financial implications other than the period spent in connection with the work of the Institute treated as on duty.	Full powers beyond ninety days.	-	-	Subject to the instructions issued by Government of India from time to time.
28.	Powers for treating the absence as duty and to sanction travelling allowance, dearness allowance, registration fee, cash allowance etc. as per the scale prescribed by Government of India for participation in the International Scientific Conference, symposia, seminar, etc. abroad for the members of faculty or staff as per the approved guidelines.	Full powers up to two occasions in a financial year.	Full powers in respect of Director.	Full powers for more than two occasions in a financial year.	-	-
29.	Powers to permit the members of faculty for going abroad to attend meetings or conferences or seminars or workshops or symposia, etc. for short assignments as per the approved guidelines.	Full powers, except for self.	Full powers in respect of Director.	-	-	Subject to the instructions issued by Government of India from time to time.
30.	To sanction journeys with in India on official duty and payment of travelling allowance and dearness allowance to Group 'A' (including Faculty), Group 'B' and Group 'C' officials, residents, staff on projects, research scholars and students.	Full powers	-	-	-	-
31.	To depute Group 'A' (including faculty) and Group 'B'	Full powers for sending within the country.	-	Full powers for	-	-

IndiaCode

	officers for training with benefits of travelling allowance or dearness allowance or pay within the country or abroad.			sending outside the country.		
32.	Sanction of course fee, travelling allowance, dearness allowance and registration fee for the employees of National Institute of Mental Health and Neuro Sciences participating in the seminars or conferences and courses not exceeding one month organised by other institutions in India.	Full powers	-	-	-	-
33.	Reimbursement of cancellation of air charges where such cancellation is in the interest of Institute service.	Full powers	-	-	-	-
34.	To countersign his own travelling allowance bills and those of other officers.	Full powers	-	-	-	-
35.	To sanction leave travel concession or home travel concession, sanction advances and countersign leave travel concession or home travel concession bills.	Full powers	-	-	-	-
36.	Powers to sanction a) Temporary advances b) Partial final withdrawals and c) Final withdrawals out of General Provident Fund or Contributory Provident Fund.	Full powers in respect of all employees, except for self.	Full powers in case of Director.	-	-	-
37.	Destruction of office records connected with accounts (as per	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

	norms laid down in Appendix 13 of General Financial Rules).					
38.	Powers for retention of un-disbursed pay and allowances of staff.	Full powers up to three months as per the provisions of Receipts and Payments Rules.	-	-	-	-
39.	To decide whether a particular absence is absence or duty within the country.	Full powers for academic purposes and one month in other cases.	Full powers beyond one month in all cases other than academic.	-	-	-
40.	Grant of Leave (i) Casual leave	Full powers (in case of self an account is to be maintained).		-	-	-
	(ii) Earned leave, half pay leave, commuted leave, leave not due, extraordinary leave, maternity leave.	Full powers, except for self.	Full powers for director.	-	-	-
	(iii) Special disability leave	Full powers		-	-	-
	(iv)Study leave	Full powers for Group 'A', 'B' and 'C' employees, not exceeding twenty-four months, except for Director.	Full powers for Faculty (Medical) and Medical Officers for periods exceeding twenty-four months, but up to thirty-six months.	-	-	-
41.	Extension of leave to cover overstays.	Full powers (within his competence), provided that the employee on leave will on return be under the administrative control of the Institute.	-	-	-	-

IndiaCode

42.	To grant leave when a Medical Board has reported that there is no reasonable prospect of employee being fit to return to duty.	Full powers	-	-	-	-
43.	Grant of Sabbatical leave not exceeding one year to members of faculty as per the approved scheme.	-	-	Full powers	-	-
44.	Counting extraordinary leave for increments.	Full powers	-	-	-	-
45.	To direct that an officer on leave shall be considered to be in occupation of a residence.	Full powers	-	-	-	-
46.	To declare an Institute employee to be a (i) Faculty member (ii) Ministerial employee or (iii) Technical or Para medical employee.	Full powers	-	-	-	-
47.	To suspend a lien	Full powers provided he is authorised to make appointment to the post on which the lien is held.	-	-	-	-
48.	To transfer the lien of an institute employee from one post to another.	Full powers provided he is authorised to make appointments to both the posts concerned.	-	-	-	-
49.	To transfer an Institute employee from one post to another.	Full powers in case of Group 'A', 'B' and 'C' employees excluding faculty.	-	-	-	-
50.	Powers to retain lien of the Institute employees when they are appointed elsewhere.	Full powers up to two years in case of Group 'B' and 'C' posts.	Full powers up to two years for Group 'A' posts.	Full powers exceeding two years for Group 'A' posts.	-	-

IndiaCode

51.	Powers for fixation of pay of Institute employees under normal rules.	Full powers	-	-	-	-
52.	Fixation of pay and allowances of an Institute employee treated as on duty under Fundamental Rules 9(6)(b).	Full powers	-	-	-	-
53.	Power to grant advance increment on initial appointment (including the employees of research schemes on their appointment to regular posts) on the recommendation of Selection Committee.	Full powers up to three advance increments.	Full powers beyond three advance increments.	-	-	-
54.	Powers to reduce the pay of an officiating employee (under Fundamental Rules 35).	Full powers in case of Groups 'B' and 'C' employees.	Full powers in case of Group 'A' employees.	-	-	-
55.	Power to sanction undertaking of work for which fee is offered and the acceptance of fee.	Full powers where relaxation of conditions under Supplementary Rule 12 are not required.	-	Full powers where relaxation of conditions under Supplementary Rule 12 are required.	-	-
56.	To grant honorarium to staff for occasional and special nature of work.	Full powers up to a maximum of Rs. five thousand per annum in each case per individual.	-	-	-	-
57.	Power to relax the provision of Supplementary Rule 12 where the subsistence allowance to be received from World Health Organisation etc. is in the nature of daily allowance and no fees is involved.	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

58.	(a) Powers to create posts.	Full powers for - (i) temporary Group 'C' posts for not exceeding one year, and (ii) temporary posts in Research Projects on a fixed or timescale of pay from research budget.	-	Full powers for Faculty posts, Group 'A', 'B' and 'C' posts (subject to Rule 8 of National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Rules, 2013.	-	-
	(b) Powers to make appointments to posts (i) Permanent (Subject to rule 8 of the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore Rules, 2013.	Full powers for Associate Professor, Assistant Professor, Group 'A' Technical posts, Group 'B' and 'C' Ministerial and Technical posts, Senior Residents, and Junior Residents.	Full powers in case of Additional Professor and Group 'A' Ministerial posts.	Full powers in case of Senior Professor and Professor.	Full powers in case of Director.	-
	(ii) Ad-hoc or temporary posts	Full powers for Group 'B' and 'C' posts, Lecturers in Nursing, Assistant Professors and Associate Professors not exceeding for a period of two years.	Full powers for all Group 'A' posts other than Faculty. For Faculty of the rank of Additional Professor and above for a period not exceeding two years and for Lecturers in Nursing, Assistant Professors and Associated Professors for periods exceeding two years.	-	-	-

IndiaCode

	(c)Temporary posts in Research Projects on a fixed or time scale of pay from research budget.	Full powers	-	-	-	-
59.	(a) Disciplinary Authority	Full powers for Associate Professor, Assistant Professor, Group 'A' Technical posts, Group 'B' and 'C' Ministerial and Technical posts, Senior Residents, and Junior Residents.	Full powers for Senior Professor, Professor, Additional Professor and Group 'A' Ministerial posts.	-	Full powers in case of Director.	-
	(b)Appellate Authority	-	Full powers for Associate Professor, Assistant Professor, Group 'A' Technical posts, Group 'B' and 'C' Ministerial and Technical posts, Senior Residents, and Junior Residents.	-	Full powers in case of Senior Professor, Professor, Additional Professor and Group A Ministerial posts.	Appellate powers in case of Director vests with Central Government.
60.	To declare satisfactory completion of period of probation and confirmation in service (on the recommendation of Departmental Promotion Committee constituted).	Full powers	-	-	-	-
61.	To provide alternate appointment on a lower post in case of medical disability as provided under rule 38(4) of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Full powers in respect of Group 'B' and 'C' posts.	-	Full powers in respect of Group 'A' posts.	-	-
62.	Powers to constitute Departmental promotion committee for (a) Promotion (b) Declaration of satisfactory probation and confirmation.	Full powers for Associate Professor, Assistant Professor, Group 'A' Technical posts, Group 'B' and 'C' Ministerial and Technical posts.	-	Full powers for Professor, Additional Professor and Group 'A' Ministerial posts.	-	-
63.	To prescribe Cadre and Recruitment Rules for	-	-	Full powers	-	-

	all categories of posts.					
64.	Powers to promote Institute employees based on the recommendations of Departmental promotion committee.	Full powers for Associate Professor, Assistant Professor, Group 'A' Technical posts, Group 'B' and 'C' Ministerial and Technical posts.	-	Full powers for Professor, Additional Professor and Group 'A' Ministerial posts.	-	-
65.	Powers to accept resignations voluntary or retirements from Institute service	Full powers for Associate Professor, Assistant Professor Group 'A' Technical posts, Group 'B' and 'C' Ministerial and Technical posts.	-	Full powers in case of Professor, Additional Professor and Group 'A' Ministerial posts.	Full powers in case of Director.	-
66.	Power to sanction transfer on foreign service or on deputation within India.	Full powers in respect of Group 'B' and 'C' employees.	Full powers in respect of Group 'A' employees.	-	-	-
67.	Power to accept the terms and conditions of foreign service in respect of deputationists from Central or State Government service.	Full powers	-	-	-	-
68.	To decide the date of reversion of an Institute employee who takes leave before reversion from foreign service.	Full powers	-	-	-	-
69.	Deputation to work and study outside the Institute within India.	Full powers up to three months for Faculty and Group 'A' technical staff.	-	-	-	-
70.	Powers to sanction investigation of claims of arrears of pay, etc.	Full powers in accordance with the provisions under Rule 264(3) of General Financial Rules.	-	-	-	-
71.	Power to sanction permanent imprest advances to Group 'A' and 'B' officers.	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

72.	To file law suits in the interest of the Institute.	Full powers	-	-	-	-
73.	Power to sanction advances and payments for law suits in the interest of the Institute.	Full powers	-	-	-	-
74.	Power to prescribe (a) the quantum of security deposit; and (b) form of security bond to be executed by the staff entrusted with cash, stores, etc.	Full powers	-	-	-	-
75.	To allot residence.	Full powers	-	-	-	-
76.	To determine standard rent for residential quarters.	Full powers subject to instructions issued by Government from time to time.	-	-	-	-
77.	To accept Research grants from agencies in India and also from abroad (subject to Reserve Bank of India guidelines) for undertaking research projects, subject to general policy of Government of India.	Full powers to accept, if the duration of the project is not more than five years.	-	Full powers to accept, if the duration of the project is more than five years.	-	-
78	To prescribe hospital charges and rates for investigation	-	-	Full powers	-	-
79.	To designate the officer as Head of the Department, Department of the office, Head of Section and Head of Unit.	Full powers	-	-	-	-
80.	To define and prescribe duties and functions of Head of Department or Faculty member or Head of Office or Head of Section or Head of Unit.	Full powers	-	-	-	-
81.	To designate Drawing and Disbursing Officer in respect of all personal claims of employees.	Full powers	-	-	-	-
82.	Power to alter in the case of clerical errors the date of birth recorded in Service Books of Group 'A', 'B'	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

	and 'C' employees.					
83.	To decide in case of doubt whether a particular employee is serving in a vacation department.	Full powers	-	-	-	-
84.	Power to issue instructions to subordinate authorities in the matter of contingent expenditure.	Full powers	-	-	-	-
85.	Re–organisation or creation of sections or Units or Departments.	Full powers in respect of Sections and Units.	-	Full powers in respect of Departments.	-	-
86.	(a) To admit students for various courses of study in the institute. (b) To admit casual students for training or study. (c) To permit students from other Institutions for block field placements.	Full powers	-	-	-	-
87.	To permit discontinuance of students or Research scholars or Residents and recovery of stipendary benefits together with penalty as per agreement.	Full powers	-	-	-	-
88.	To grant extension of time to students for payment of fees after due date.	Full powers	-	-	-	-
89.	Appointment of Wardens of hostels attached to the Institute and provide rent free accommodation in the campus.	Full powers	-	-	-	-
90.	To prescribe authority for reporting or reviewing confidential reports of the staff members of the Institute.	Reporting or Reviewing authority for Professors, Additional Professors and reviewing authority for all other cadres.	Reporting authority for Director.	-	-	In respect of all other cadres reporting authority will be the immediate superior and the reviewing authority the next superior.
91.	To invite -- (a) Visiting Professor for short duration of three months where the posts in the Departments are	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

	remaining unfilled and pay per diem at the prescribed rates and to sanction travelling allowance for onward and return journey.					
	(b) Visiting Professor for special lectures to post graduate students of the Institute and staff, to conduct seminars, workshops and sanction air travel where ever required and payment of honorarium at appropriate rates per lecture or seminar or workshop up to a maximum of ten sessions depending upon the status of the experts.	Full powers in respect of foreign nationals. Prior concurrence of Government of India would be obtained for extending hospitality charges and payment of travelling allowance and dearness allowance within India.	-	-	-	-
	(c) Permitting faculty from other Institutions, within and outside the country, to spend or conduct research in the Institute during sabbatical leave.	Full powers in respect of faculty from Institutions within the country.	-	Full powers in respect of faculty from outside the country subject to Government of India regulations.	-	-
92.	Constitution of Medical Board and retirement of staff on invalid pension on account of permanent physical or mental disability incapacitating for further service if so certified by the Medical Board.	Full powers for the constitution of Medical Board and powers for retirement to be exercised by the respective appointing authority.	-	-	-	-
93.	Executing agreements and contracts for appropriate conduct of business of the Institute.	Full powers	-	-	-	-
94.	Hiring private buildings after following the prescribed rules.	Full powers	-	-	-	-
95.	To accept gifts or donations or endowments from the public, institutions in India and also from outside India (subject to Reserve Bank of India guidelines) to further the aims and objectives of the Institute.	Full powers. above Rs. ten lakh in each case will be reported to Governing Body.	-	-	-	-
96.	Sanction of sitting fee to experts of other institutes	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

	attending Selection Committee or Purchase Committee and other meetings of the Institute.					
97.	Expenditure on grants-in-aid to recognised staff and students clubs of the Institute as per the scale laid down by Government of India.	Full powers	-	-	-	-
98.	Remission of disallowances in audit.	-	-	Full powers	-	-
99.	Acquisition of immovable property like land and buildings.	-	-	Full powers	-	-
100.	To reduce or remit for special reasons (to be recorded) any fees for investigation and for treatment in the hospital.	Full powers	-	-	-	-
101.	Power to grant extension of tenure of Senior Residents as per Residency Rules or Scholars.	Full powers	-	-	-	-
102.	Reimbursement of medical expenses in relaxation of rules.	Full powers	-	Full powers where treatment is required to be taken outside the country.	-	-
103.	To invest funds of the Institute in Government Securities, Nationalised Banks, Bonds or Securities of Public Financial Institutions, Shares of Companies or any other schemes specified by Government.	Full powers (to be reported to Governing Body once in six months).	-	-	-	-
104.	To extend the benefits such as revised pay scales, promotional schemes and other employee benefit schemes as and when introduced by Government of India to its employees, to NIMHANS employees.	Full powers in respect of cases where Governing body approval is not required.	-	Full powers in other cases.	-	-
105.	To approve conduct of workshops or seminars or symposium or conferences and to sanction expenditure for each activity within the sanctioned budget.	Full powers	-	-	-	-

IndiaCode

Note 1:- The powers vested on a lower authority as per this Schedule can also be exercised by the higher authority.

Note 2:- Approval or concurrence of the Department of Expenditure, Ministry of Finance shall be obtained, wherever required, as per the provisions under the Delegation of Financial Powers Rules,1978 or the General Financial Rules, 2005.

SCHEDULE - II

FEE STRUCTURE FOR INDIAN NATIONALS

(See regulation 27)

(All figures are in rupees)

Sl. No.	Nature of Fees	Ph.D.	DM /M.Ch.	MD/ PDF	DPM	M.Phil.	M.Sc.	B.Sc. Nursing	B.Sc. Anaesthesia Tech./ Radiography	DCNT DPN/DNN	Remarks
1	Eligibility fee: 1) Other Universities of Karnataka: Rs.100/- 2) Universities outside Karnataka: Rs.500/- 3) Foreign students: Rs.5000/-										
2	Registration fee	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	---	Payable at the time of joining
3	Tuition fee per year	18,000.00	50,000.00	50,000.00	36,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00*#	10,000.00	---	
4	Laboratory fee (per year)	500.00	500.00	500.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00		One time payment for the whole duration of the course at the time of joining.
5	Gymkhana and recreation fee (per year)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
6	Library fee (per year)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
7	Caution Money and Hostel Deposit	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Refundable on completion of course
8	Identification card fee	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Payable at the time of joining
9	Examination fee									325.00	
	Part I	---	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		As prescribed by the Institute
	Part II	---	10,000.00	5,000.00	---	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	---	
	Part III	---	---	---	---	---	---	1,000.00	1,000.00	---	
10	Pre-Ph.D. exam fee	2,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---	
11	Ph.D. Thesis evaluation	10,000.00	---	---	---	---	---	---	---	---	

Note 1: Fees once paid will not be refunded at any cost.

Note 2: *One time payment, Rs.20,000/-# for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates (B.Sc. in Nursing). Staff Nurse Association (SNA) Rs.1000/- one time payment for B.Sc. Nursing students

Note 3: **Hostel Rent (water and electricity charges) per annum Rs.5000/- and Rs.1000/- mess advance for B.Sc. Nursing students

Note 4: No Examination fee for Post Doctoral Fellowship courses

IndiaCode

FEE STRUCTURE FOR FOREIGN NATIONALS

l figures are in US $)

Sl. No.	Name of the Course	* Tuition fee	ɔn fee kkk
1.	Doctor of Philosophy (Ph.D).	30000	500
2.	For super speciality courses		
	(a) Doctor of Medicine (DM) or Master of Chirurgical (M.Ch) - Five years duration	60000	1000
	(b) Doctor of Medicine (DM) or Master of Chirurgical (M.Ch) - Three years duration	50000	1000
3.	Post Doctoral fellowship in Neuropathology or Neuroanaesthesia	30000	1000
4.	Master of Philosophy (M.Phil)	20000	500
5.	Master of Science (M.Sc) - Psychiatric Nursing	15000	500
6.	Bachelor of Science (B.Sc) in Nursing	20000	
7.	Diploma in Psychiatric or Mental Health Nursing (DPN); Diploma in Neuroscience Nursing (DNN) and Diploma in Clinical Neurophysiology Technology (DCNT)		100

IndiaCode

Note 1: *Tuition fee to be paid in equal annual installments. The amount indicated is for the entire duration of the course.

Note 2: The fees once paid will not be refunded at any cost.

SCHEDULE- III

REMUNERATION FOR EXAMINERS AND FOR CONDUCTING VARIOUS EXAMINATIONS AT NIMHANS :

(See regulation 29)

THEORY EXAMINATION

I. Pre.Ph.D/ PG DEGREE/ UG DEGREE/ DIPLOMA COURSES:
(BOTH MEDICAL AND NON-MEDICAL)

1.	Setting of Question Papers	Rs.500 per paper
2.	Valuation of Theory Answer Books	**Under Graduate :** Rs.25 per candidate subject to minimum of Rs.150 per examiner **Post Graduate:** Rs.100 per candidate subject to minimum of Rs. 500 per examiner
3.	For evaluation of DM or M.Ch or MD or M. Phil or M .Sc Dissertation	Rs.1000 per dissertation
4.	For valuation of Case Records	Rs. 200 per case record
5.	Postal or courier Expenses (if any)	As per actual

PRACTICAL EXAMINATION

1.	For conducting Clinical or Practical or Viva-Voce examination	**1. For MD or DM or M.Ch or DPM or M. Phil or M. Sc courses :** Rs.1000 per candidate per examiner with minimum of Rs. 2000 and maximum of Rs.5000 for setting of Question paper, evaluation of answer books and conducting of clinical, practical and Viva-Voce Exam. **1A. Viva-Voce Only** (Pre-Ph. D or Post Graduate Courses) Rs.500 per examiner. **2. For B. Sc courses :** Rs.500 per examiner per day for setting of Question paper, evaluation of answer books and conducting of clinical, practical & Viva-Voce Exam. **2A. Viva-Voce Only** Rs.500 per examiner per day.
2.	Expert assistant	Rs.250 per session per day
3.	Chairman Fee	Rs.1000

II. Ph. D COURSE

1.	For assessment of Ph. D Thesis	Rs. 2000 per Thesis
2.	For Viva-Voce Examination	Rs. 500 per examiner
3.	Postal or courier expenses if any	As per actual
4.	Chairman Fee	Rs.1000

III. REMUNERATION TO OFFICERS AND STAFF FOR CONDUCTING UNDER GRADUATE AND POST GRADUATE THEORY EXAMINATIONS

IndiaCode

OFFICERS AND OTHER STAFF INVOLVED IN EXAMINATION WORK	REMUNERATION PER EXAM Rs.
ADMINISTRATIVE OFFICER (A&E)	500.00
SPECIAL OFFICER (A&E)	500.00
TABULATOR	1000.00
EVALUATION ASSISTANT	500.00
STENOGRAPHER GRADE.II (one)	250.00
LOWER DIVISION CLERK (one)	200.00
INVIGILATOR or SUPERVISOR	100 per day
ATTENDER	100.00

IV. **DPN/ DNN/ DCNT EXAMINATIONS :**
Remuneration to Examiners
(Same as for Under graduate Courses)

SCHEDULE -IV

HOSPITAL CHARGES
(See regulation 30)

I. General:

- Income of patients: Gross salary shall be considered as income for patients who are employed; and for patients who are not employed, the gross income of the supporting family member shall be considered as income.

2. Patients are classified into two main categories, namely:--
 - **below poverty line (BPL) Card holders; and**
 - **above poverty line (APL).**

 The APL category patients shall pay full rates for all services. Such of the APL category patients whose annual income is less then Rs. 40,000 may be offered maximum fifty per cent.concession in charges for ward, tests, procedures, surgery etc,. However, patients admitted in special wards shall pay full charges irrespective of their income.
3. Patients who possess BPL Card should remit Rs.200 towards routine treatment and investigations. This applies only to in-patient treatments. However, they shall pay charges for special investigations like Computed Tomography (C.T) Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Electro Encephalo Gram(EEG), Certain Laboratory tests, etc.
4. No charges shall be levied for any operation that would be necessary due to complication of the first operation.
5. Investigations for academic interest shall be carried out free of cost after being duly recommended by the Head of the Department and approved by the Medical Superintendent. This should be done prior to the investigation or treatment and not at the time of discharge or settling the bill.
6. The investigations requested by outside agencies or institutions shall be charged at full rates along with a registration fee of Rs.20.
7. The ward charges for children below 12 years shall be on par with the charges for adult patients.
8. National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences staff and their dependents undergoing full course or treatment shall be provided hospital services conforming to the National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences Health Scheme.
9. Freedom Fighters, their spouses and dependant minor children shall be eligible for hospital services free of cost in general ward only, subject to the condition that they are in receipt of pension from the Central or State Government. In case they are willing to get admitted in special wards, the difference of expenditure between general ward and the special ward shall be borne by them.
10. Admission charge of Rs.25 shall be collected from patients at the time of admission, irrespective of the income of the patient. This applies to BPL patients also.

11. Provision of part payment: In respect of patients whose declared monthly income is less than Rs.1700/- and are in a position to pay for investigation or treatment procedure, but not able to pay the complete hospital charges, the Senior Resident or Consultant treating the patient may identify the relevant investigation or treatment procedure for which full charges can be collected from the patient.
12. Charges for treatment at Casualty and Observation Units: Patients who are BPL Card holders shall be provided routine investigation and treatment facilities at concessional rates at the Casualty and Observation Unit. In case of APL patients, the Resident on duty shall prepare list of investigations and treatment facilities provided to the patients while in Casualty or Observation Unit. The staff Nurse in-charge shall arrange to send the case record to the Hospital Cash Counter or Admission Counter and the necessary charges shall be collected from the patients. The drugs and disposables like IV Sets, Scalp Vein Sets, etc., used shall be replaced by the patients before leaving the Casualty. Assessment of income of all patients seeking care at the Casualty and Observation units shall be carried out by Casualty Medical Officer or Resident on duty.
13. The Laboratory Investigations requested by Government Hospitals or Centers shall be charged at full rates and those requested by Non–Government Hospitals or Centers at 1 ½ times the full rates.
14. Only those patients who produce BPL Cards shall be provided treatment at concessional rates. All other patients shall pay the stipulated charges.
15. Proposals for waiver of any charges shall be approved by a Committee comprising of Director, Medical superintendent and Registrar.
16. Patients from Foreign Countries: With effect from 21st August, 2012, foreign nationals taking treatment at NIMHANS are charged depending on the economic status of countries as classified by World Bank from time to time. Accordingly, patients belonging to lower and middle income economies will be charged at the full rates and patients belonging to High income countries will be charged double the full rates prescribed by the Institute for various services.

II. Ward Charges

Wards	Tariff per day Rs.
A. GENERAL WARD	
1) BPL Card Holders	5.00
2) APL Patients	
a) Less than Rs.40,000 per year	25.00
b) Rs.40,000 per year and above	50.00

Patients admitted to General wards and shared special wards who do not possess BPL Card shall make following minimum deposits at the time of admission. This does not apply to patients admitted or managed in casualty and short stay beds.

Psychiatry wards	1000.00
Neurology wards	2000.00
Neurosurgery wards	5000.00
Neuro **Rehabilitation** wards	2000.00

Consultant shall insist on higher deposit depending on the expected tests and treatment. For all planned (elective) admissions the deposit shall as far as possible cover the total expected expenditure.

B. SPECIAL WARDS (PSYCHIATRY)	
1. BLOCK "A"	
Single Bed / Cottage 1 and 2	400.00
Cottage No. 3 and 4	600.00
2. BLOCK "B"	
Single Bed ward	400.00
2-bed wards	200.00
4-bed wards	125.00
6-bed wards	100.00
3. BLOCK "C"	
Single bed ward	600.00
Single bed A.C. Room	1000.00

IndiaCode

4. CHILD PSYCHIATRY CENTRE	
Single bed ward	500.00
2-bed ward	300.00
5. DE–ADDICTION CENTRE	
Deluxe Ward	1000.00
Single bed ward	300.00
2-bed ward	150.00
3-bed ward	125.00
6-bed ward	75.00

C. FAMILY WARD 300.00
(to be charged as per income slab)

D. SPECIAL WARDS (NEUROLOGY or NEURO SURGERY)

1. BLOCK "A"	
Single bed ward	600.00
Single bed A.C.No.301	800.00
Single bed A.C.No.308	700.00
2-bed special ward	200.00
2. BLOCK "B"	
Single bed Deluxe	1200.00
Single bed ward	500.00
2-bed special ward	400.00

Minimum deposit to be made by patients getting admitted to single bed special wards shall be as under. Consultants shall decide on higher deposit depending on the case.

Neurology special ward Neuro Surgery special ward Deluxe wards Psychiatry 'A' and 'B' Blocks Psychiatry 'C' Block and Cottage No. 3 and 4	10,000.00

Consultant shall insist on higher deposit depending on the expected tests and treatment. For all planned (elective) admissions the deposit shall as far as possible cover the total expected expenditure.

E. INTENSIVE CARE UNIT :-

Neurology and Neuro Surgery	650.00
Psychiatry	100.00

Note :-

Ward Charges, Investigation and treatment charges in single bed special wards and Two bed Special wards shall be one hundred per cent. irrespective of income of the patient. Patients in Four bed and Six bed Special wards shall be levied one hundred per cent. ward charges irrespective of their income. However the charges for investigations and treatment shall be as per their income slab with the minimum rate of fifty per cent. of the full charges.

III. Charges for medical certificates

Admission and Discharge	50.00
Advise for Rest or Fitness	50.00
Medical Legal Autopsy	200.00
Wound Certificate	200.00
Medical Certificate for Insurance Claim	200.00
Out –Patient Treatment	50.00

IndiaCode

Speech and Hearing Certificate	200.00

Note : Certificate of Clinical Autopsy is issued free of cost

IV. Charges for Medical Board

Routine Medical Board	300.00
Special or Appeal Medical Board	500.00

V. Diet Charges

The Hospital Diet shall be provided free of cost to patients who possess BPL Card. All other patients (paying patients) shall be given the option to either make their own arrangement for diet or to avail the facility of the Hospital Diet.

General Diet	50.00
Special Diet	80.00
Milk Diet, Milk and Bread	15.00

VI. Ambulance Charges

Sl. No.	PLACE	Rs.
1.	Bowring Hospital , Medinova, Shivaji Nagar etc.	100.00
2.	KC General Hospital, Malleswaram	150.00
3.	ESI Hospital, Rajaji Nagar	150.00
4.	ESI Hospital, Indira Nagar	120.00
5.	St. John's Medical College Hospital	100.00
6.	Jayanagar Hospital, Jayanagar	80.00
7.	Victoria Hospital, Vanivilas, Kalasipalyam, etc.	100.00
8.	St.Marthas Hospital	100.00
9.	Railway Station, Bus Stand, Majestic Area	120.00
10.	HAL Hospital , Airport Road	200.00
11.	Manipal Hospital, Airport Road	200.00
12.	Isolation Hospital & Byappanahalli	200.00
13.	M.S Ramaiah Hospital, Gokula and Mathikere	220.00
14.	Baptist Hospital, Yelahanka	200.00
15.	I.T.I, Krishnarajapuram	220.00
16.	Kidwai and Sanjay Gandhi Institute	30.00

Note: For places other than those mentioned above **Rs.15.00** may be charged per kilometer.

IndiaCode

VII. Casualty and O.P.D. Services

Registration at Screening Clinic	20.00
O.P.D. Registration (Opening a case file)	50.00
Out patient follow up charges for patients without BPL card	10.00
(On Trial basis)	(Per visit)
Issue of Duplicate Registration Card if card is lost	20.00
Registration at Casualty	100.00
(Including case file opening)	

An annual charges of Rs.100/- shall be charged from patients with BPL Card in order to enable them to avail free drugs authorized to be issued at the Out Patient Department Drugs Counter and routine diagnostic investigations. An identity card shall be issued to such patients and it should be renewed every year after the payment of prescribed charges.

VIII. Department wise charges for various tests

1. CLINICAL PSYCHOLOGY

A. TESTS :-

Cognitive functions	500.00
Personality and Interpersonal Relationships	500.00
Specific Learning Abilities	300.00
Specific Functions (IQ)	200.00
General Assessment	1000.00
Diagnostic Clarification	500.00
Neuro Psychological Assessment	1000.00

B. THERAPY :-

Cognitive Behavior Therapy (Per session)	150.00
Biofeedback or Relaxation Training (per session)	150.00
Cognitive Retraining (per sessions)	150.00
Psychotherapy or counseling (per session)	150.00

C. MOLECULAR DIAGNOSTIC FACILITY

Triplet Repeat Expansion Associated Diseases	
(a) Huntington's Disease or One of the ataxia	1000.00
(b) Spinocerebellar Ataxias panel 1(1,2,3)	2000.00
(c) Spinocerebellar Ataxia panel 2(1,2,3,6,7,8,12,17 DRPLA)	5000.00
Duchenne and Becker Muscular Dystrophy	
Delection analysis for 24 exons	1500.00
Carrier analysis	
Using antragenic markers(Intron **3,44 and 49)**	3000 .00
Spinal muscular atrophy	
Delection analysis (exon 7 and 8 only)	1000.00
Carrier analysis using Q-PCR (exon 8 only)	3000.00

2. NEUROLOGY

{ CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY}

E.E.G.,	360.00
{Rs.100/-each for subsequent three EEGs. within a year }	
E.C.G	100.00
E.M.G and Nerve Conduction {Rs. 100/- each for subsequent- three procedures within one year}	360.00
Evoked Potentials	180.00
{VEP + BAER + SSEP + Blink Reflex }	{each}
Combined Evoked Potential Study	

IndiaCode

{VEP+BAER+Blink Reflex + SSEP }	360.00
Sphenoidal EEG	720.00
Videometry {Minimum} {excluding video cassettes}	
For day and night recording :-	
- One day	1200.00
- Two days	2400.00
- Three days	3600.00

Minimum charges as Rs. 1000/= irrespective of number of hours. BPL card holders Rs. 250/= (Waiver then required to be done by unit/departmental head)

Single Fibre EMG or Macro EMG or other procedures	360.00
Botulinium Toxin Injection {excluding cost of drug}	360.00
Autonomic Function Tests	600.00

Note :-

Minimum charge of Rs.50/-for E.E.G.,
Minimum charge of Rs.50/-for E.M.G and Neuroconduction,
Minimum charges of Rs. 50/-for V.E.P.,B.A.E.R.,S.S.E.P., and Blink Reflex.

Polysomnography (PSG) charges	1000.00
PSG with MSLT charges	1500.00
BPL card holders Rs. 250/= (May be waived as per rules in deserving cases)	
Transcranial magnetic stimulation	300.00
Involuntary movement studies	300.00

Therapeutics

EMG guided Botulinium Toxin Injection{excluding cost of drug}	600.00
rTMS (each session)	200.00

3. NEURO ANAESTHESIA

I.C.U Ward charge per day	650.00
Ventilator charges for patients requiring ventilation {Per day}	1000.00
Oxygen charges { Per day}	250.00
Blood Gases {Per sample}	150.00
Monitoring charges {Per day}	400.00

Procedures done under anesthesia

MRI	500.00
Angiogram	500.00
Interventional radiology for AVM	1000.00
GDC coiling for aneurysms	2000.00
CT Scanning	50.00

4. NEURO CHEMISTRY

(A) BLOOD

Sugar	
(a) Fasting	50.00
(b) Post Prandial	50.00
(c) Random	50.00
Urea	70.00
Creatinine	70.00

IndiaCode

	Cholesterol	80.00
	HDL Cholesterol	100.00
	Sodium	80.00
	Pottasium	80.00
	Calcium	70.00
	Phosphorus	70.00
	Copper	300.00
	Ceruplasmin	200.00
	Lithium	100.00
	D.P.H.,	400.00
	Phenobarbitone	400.00
	Carbamezapine	400.00
	Billirubin	90.00
	Alkaline Phosphatase	90.00
	C.P.K.,	150.00
	L.D.H.,	150.00
	G.O.T.,	80.00
	G.P.T.,	80.00
	Total Protein	60.00
	Albumin	60.00
	Prothrombin Time	150.00
	T3	100.00
	T4	100.00
	T.S.H.,	100.00
	T3, T4,TSH	300.00
	Serum Osmolality	200.00
	Urine Osmolality	200.00
(B) URINE:-		
	Copper	300.00
	Abnormal Matabolites or Screening of IEM	150.00
	P.B.G.,	50.00
	B.J. Protein	50.00
	24 hrs. Urinary Protein	70.00
(C) OTHERS		
	Uric Acid	90.00
	Triglycerides	100.00
	Gamma GT	100.00
	Aryl Sulphatase	500.00
	Hexasiminidase A, B, and Total	500.00
	Lactate	150.00
	B.12	300.00
	Folic Acid	300.00
	Urine screening for I.E.M.,	150.00
	Glycosylated Hb	300.00

IndiaCode

Ammonia	300.00
Amminoacid Profile By HPLC Plasma	1500.00
Homocysteine	800.00
Fibrinogen	300.00
LupusAnticoagulant	250.00
Lactate	200.00
Valproate	400.00
HbAlc	300.00
Microalbumin	3 00.00
Angiotensin-converting enzyme	900.00
Antiphospholipid Antibodies - IgG	600.00
Antiphospholipid Antibodies IgM	600.00
Anti Cardiolipin Antibodies - IgG	400.00
Anti Cardiolipin Antibodies – IgM	400.00
Anti Cardiolipin Antibodies – IgA	400.00
Tandem Mass Spectrometric analysis for IEM	1000.00

Following Neuro Chemistry Laboratory Tests shall be Charged at rates mentioned against them for patients who possess BPL Cards

Thyroid Profile {T3, T4, TSH}	200.00
T3	75.00
T4	75.00
TSH	75.00
Prothrombin Time	00.00
Aryl Sulphatase A and B	250.00
Hexosaminidase A and B	250.00
Amino Acid Profile by HPLC	750.00
Lactate	150.00
AED Drugs {PB/DPH/CBZ }	100.00
Tandem Mass spectrometry	300.00
Homocysteine	500.00
Fibrinogen	75.00

5. NEURO IMAGING AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY

1. X – RAYS :-

• 15″ × 12″	150.00
• 10″ × 12″	100.00
• 10″ × 8″	80.00
Special X-ray procedures {IVP, Myelogram, Orbital, Venogram, MCU}	1000.00
Transfemoral Catheterisation of any one Intracranial Vessel	2500.00
Cerebral Angiogram	4500.00
Spinal Angiogram	4500.00
Other Vascular Studies	6000.00
Intervention Charges :-	
(a) Endovascular	9000.00
(b) Percutaneous	2500.00
Angiocele	7400.00
Diagnostic Cathetar	
Diagnostic Guide Wire	
Femoral Sheath	
Exchange Guide Wire	
Microcatheters each	
Guiding Catheters each	
Guide wire with Micro Platinum tip	**actual current price**
Micro Guide wire without Platinum tip	
Lipiodol – 1 amp.	
Histoacryl - 1 amp.	
Lamda Connector	

2.COILS :-

GDC Standard and Soft Coils including 2D	
GDC – 3D Ultra Soft, SR and Synergy	
GDC 18 3D Synergy	
Fibered GDC 18 Vortx Shape Coils	
Fibered Platinum Coils – 10	
Vortx Coils	
Vortx Diamond Shape Coils – 18	
018 Fibered Platinum Coils	
Berenstein Liquid Coil – 15/10	**actual current price**
Sentry Balloon	
Standard Occlusion Balloon	
Contour PVA Embolization Particles	
Non – Ionic Contrast Medium per 10 ml.	120.00

Note:

Products not in the list will be charged according to the cost of the material. This list is tentative and subject to changes depending on the price of material at the time of purchase.

3. C.T. SCAN CHARGES

A. BRAIN:

BPL	300.00
Less than Rs. 40,000=00 per year	1200.00
Rs. 40,000 and above	2000.00

B. SPINE or OTHER BODY PART :-

BPL	700.00
Less than Rs. 40,000=00 per year	1500.00
Rs. 40,000 and above	3200.00

C. C.T. ANGIOGRAM :-

BPL	2000.00
Less than Rs. 40,000=00 per year	3000.00
Rs. 40,000 and above	4400.00

Inclusive of film or CD. For APL patients only

D. CONTRAST MEDIUM CHARGES :-

Ionic Medium per 100 ml.	400.00
Non – lonic Medium per 10 ml.	120.00
Extra C.T. Film Charges (Per film)	100.00

4. M.R.I SCAN CHARGES

BRAIN or SPINE or BODY SINGLE PART :-

BPL	1000.00
Less than Rs. 40,000=00 per year	3500.00
Rs. 40,000 and above	5500.00

Inclusive of films or CD. For APL patients only.

MRA or MRS {in the same sitting}:-

BPL	500.00
Less than Rs. 40,000=00 per year	1000.00
Rs. 40,000 and above	700.00
MRI CONTRAST – Contrast Medium Charge	800.00

CD will be Provided by Hospital

Note:

Half rates shall be charged for subsequent scans carried out during out – patient and/or in patient treatment over a maximum period of 90 days.

5.ULTRASOUND :-

Routine	150.00
Doppler	300.00

IndiaCode

6. NEURO MICROBIOLOGY

Bacterial Cultures and Sensitivity	300.00
Fungal Culture	200.00
CSF Cell Count	150.00
BACTEC radiometric Assay	1200.00
AFB Culture	250.00
ELISA for Antimycobacteria antibody	400.00
ELISA for Anticysticercal antibody	400.00
RA Factor	100.00
Monteaux Test	75.00
Anaerobic Culture	600.00
Widal Test	100.00
A.S.L.O.,	200.00
C.R.P.,	150.00
V.D.R.L.,	100.00
Cryptococcal Antigen	400.00
Toxoplasmo Antibody { Latex }	200.00
CSF cytology	150.00
PCR	1500.00
T.P.H.A.	300.00
Grams staining / AFB staining	100.00
Anti-acetylcholine receptor	400.00
A.N.A.	250.00
Pneumococcal or H.influenzae	400.00
Oligoclonal band	300.00
Anti-ganglioside antibody	500.00
Western blotting for TB	500.00
Western blotting for Neurocysticercosis	500.00
BACT ALERT	
TB Culture	1000.00
Blood Culture	1000.00
Vitek 2 Compact 60 automated Culture ID and Antibiotic Sensitivity Test	500.00
MGIT	*1000.00

***(Rs 1500.00 for Private Hospitals)**

7. NEURO PATHOLOGY

A: CLINICAL PATHOLOGY

1. Haemogram	160.00
2. Hemoglobin	30.00
3. W.B.C Total and Differential Count	30.00
4. R.B.C Count	30.00
5. Packed Cell volume	30.00
6. Platelet Count	30.00
7. P Smear and or Malarial Parasite (MP)	40.00
8. ESR	40.00
9. BT and CT	30.00
10. AEC	30.00
11. Sickling Test	80.00
12. Reticulocyte count	40.00
13. Saline Dilution Test for Acanthocytes	200.00
14. Bone Marrow examination	240.00
15. Urine Analysis – routine	60.00
16. Urine Sugar	20.00
17. Urine Albumin	20.00
18. Urine Ketone Bodies	20.00
19. Stool Examination Routine	40.00
20. Rapid Test for Malaria	150.00

IndiaCode

B: TRANSFUSION MEDICINE CENTRE (TMC) – BLOOD BANK

1. Whole Blood	- For NIMHANS or Government Hospital	300.00
	- For Private Hospital	500.00
2. Plasma One Unit	- For NIMHANS or Government Hospital	300.00
	- For Private Hospital	500.00
3. Packed Cells	- For NIMHANS or Government Hospital	300.00
	- For Private Hospital	500.00
4. Platelet Rich Plasma	- For NIMHANS or Government Hospital	300.00
	- For Private Hospital	500.00
5. Platelet Concentrate	- For NIMHANS or Government Hospital	300.00
	- For Private Hospital	500.00
6. LVPP (Large Volume Plasmapheresis)		5500.00
7. Small Volume Plasmapheresis		200.00
8. HBs Ag		100.00

C: HISTOPATHOLOGY

Sl. No.	Test	Charges for patients from NIMHANS. Rs/-	Charges for patients from Government Hospitals . Rs/-	Charges for patients from Private Hospitals. Rs/-
1	• **NEUROSURGERY / NIIR**			
	• **Biopsy**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
	• **TUMOR- immunohistochemistry (IHC)**			
	• **Tumor Panel – I (One marker)**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
	• **Tumor Panel – II (Two markers)**	**2000-00**	**2000-00**	**3000-00**
	• **Tumor Panel - III (Three or more markers)**	**2500-00**	**2500-00**	**4000-00**
2	• **NEUROLOGY : MUSCLE**			
	• **Fresh Muscle Biopsy with Enzyme Histochemistry (EHC)**	**1500-00**	**1500-00**	**2000-00**
	• **Biopsy in formalin**	**------**	**1000-00**	**1500-00**
	• **Additional Electron Microscopy test**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
	• **Muscle Immunohistochemistry (IHC)**			
	• **Muscle Panel - I (Dystrophin, Sarcoglycans, Merosin)**	**2500-00**	**2500-00**	**4000-00**
	• **Muscle Panel – II (Dysferlin, a-dystroglycan, Co16, caveolin)**	**2500-00**	**2500-00**	**4000-00**
3	**NERVE**			
	• **Nerve Biopsy**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
	• **Additional Semithin and Electron Microscopy test**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
4	**SKIN**			
	• **Skin Biopsy**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
	• **Additional Electron Microscopy test**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
5	**Charges for 2 or more biopsies**	**1000-00**	**1000-00**	**3000-00**
6	**Review of blocks**			
	• **Upto 2 blocks**	**500-00**	**500-00**	**750-00**
	• **3 & above**	**1000-00**	**1000-00**	**1500-00**
7	**Review of slides or Unstained slides**	**250-00**	**250-00**	**350-00**
8	**Frozen or Squash**	**-------**	**--------**	**500-00**
9	**Duplicate unstained slides**	**200-00**	**200-00**	**300-00**
10	**Mailing of paraffin blocks inclusive of postage**	**------**	**-------**	**200-00**

IndiaCode

11	**Brain Biopsy in Epilepsy cases (including IHC markers)**	**2500-00**	**2500-00**	**4000-00**

D. ELECTRON MICROSCOPY (EM LAB)

1a. Specimen per sample [including Specimen preparation -3 blocks, Ultramicrotomy (semithin + 2-3 grids/block), scanning 1 hour & 10 images]	**Student**	2000.00
	Faculty or Scientific Officer	3000.00
	Private Company	5000.00
1b. Subsequent hour or part thereof	**Student**	1000.00
	Faculty or Scientific Officer	2000.00
	Private Company	3000.00
2a. Negative Staining per sample [including processing, scanning per hour and 10 images (No ultramicrotomy is involved)]	**Student**	1000.00
	Faculty or Scientific Officer	1500.00
	Private Company	3000.00
2b. Subsequent hour or part thereof	**Student**	1000.00
	Faculty or Scientific Officer	1500.00
	Private Company	3000.00

8. NEURO PHYSIOLOGY

1. Autonomic function	250.00
2. Autonomic function test with tilt table	500.00
3. Pulmonary function test	150.00

9. NEURO VIROLOGY

IgM Capture Elisa for Japanese Encephalitis or Dengue or Chikungunya	450.00
Elisa for Herpes Simplex Virus Antibodies	450.00
Elisa for Measles Virus Antibody Detection	450.00
Immunoflourescence Test for Rabies Virus Antigen Detection	500.00
Neutralising Antibodies to Rabies Virus	500.00
Neutralising Antibodies to coxsackievims	450.00
PCR for Herpes simplex vims (HSV PCR)	450.00

10. PSYCHIATRY

For each E.C.T.,	200.00
Investigation and treatment:-	
(a) Intensive Care Admission [Per day]	100.00
(b) Pentothal Interview [per session]	100.00

IndiaCode

Counseling or Psychotherapy (per Session)	150.00
Family Therapy :-	
(a) Assessment	250.00
(b) Individual Therapy [per session]	150.00
De-Addiction center:-	
(a) Urine or HPTLC screening for single drug	150.00
(b) Urine or HPTLE screening for multiple drugs	500.00

11. PSYCHIATRIC AND NEURO REHABILITATION

Rehabilitation – Initial Assessment	30.00
Vocational Training and Rehabilitation on day care basis [day care patients, whose parents or guardians are employed]	

Income	**Charges Per Month**
Full Rate	100-00
50% Category	75-00
BPLategory	25-00
Any additional therapy programmes for In-patients per session for 15 days – or less	100.00
1. Physiotherapy:-	
(a) In-patients and Out-patients - per session	30.00
(b) In-patients and Out-patients - Electrotherapy per session 40.00	
2. Occupational Therapy :-	
(a) In-patients and Out-patients [Assessment]	30.00
(b) In-patients and Out-patients	30.00
[Occupational Therapy Assessment**]**	**(Per day)**
3. Urodyanamic :-	
(a) Multichannel Urodynamic Studies	1000.00
(b) Uroflowmetry	120.00

12. PSYCHIATRIC SOCIAL WORK

1. Home or School or agency or Factory or Company Visits:-	
(a) Upto 15 Kms	200.00
(b) Beyond 15 Kms. and within corporation limits	300.00
2. Case Work Intervention:-	
(a) Initial Assesment	150.00
(b) Subsequent Assessment	100.00
3. Therapeutic Intervention in Groups:-	
(a) Group Interaction with In-patients:-	
(i) Initial Assessment	100.00
(ii) Subsequent Assessment	75.00
(b) Group Interaction with Out-patients:-	
(i) Initial Assessment	75.00
(ii) Subsequent Assessment	50.00
(c) Family Intervention:-	
(i) Initial Assessment	150.00
(ii) Subsequent Assessment	100.00

13. SPEECH PATHOLOGY & AUDIOLOGY

1. INVESTIGATION

Puretone Audiometry [routine A/C, B/C Tests]	140.00
Speech Audiometry (SRT/SDT/SPIN)	160.00
Central speech Tests	200.00
Impedence Audiometry	120.00

IndiaCode

ABR Test	180.00
ABR Tracking audiometry	220.00
Cognitive Potentials Testing	250.00
Adult Speech evaluation	160.00
Adult Language Evaluation	160.00
Childhood Speech Evaluation	120.00
Childhood language Evaluation	120.00
Evaluation of Dysphonia	100.00
Otocaustic Emission	120.00
Dysphagia evaluation	100.00
Dysphagia management (for 5 sessions)	160.00
2. TREATMENT:-	
Speech-Language therapy Children [for five sessions]	160.00
Speech-Language Therapy for Adults [for five sessions]	260.00

IX. **Operative Procedures and Anaesthesia Charges**

1. Surgical Procedures	**Anesthesia Charges**	**Operation Charges**
Aneurysm Surgery [Excluding Clip Charges]	2200.00	7920.00
Arterial Anatomists – STA – MC	1650.00	5500.00
AV	2200.00	7920.00
Biopsy Bone or Live	80.00	165.00
Biopsy Lymph Node	80.00	275.00
Biopsy Muscle or Skin or Tumour	80.00	165.00
Biopsy Nerve	80.00	220.00
Bone Flap Removal	--	Free
Brachial Plexus Surgery	1100.00	6600.00
Burr hole	--	550.00
Burr-holes for Chronic Subdural	550.00	4400.00
Carotid Artery Liegation	--	550.00
Carotid Endarterectomy	1100.00	4400.00
Carpel Tunnel Decompression	550.00	4400.00
Cervical Decompressive Laminectomy	1100.00	4400.00
Cervical Disc Surgery without Fusion	1100.00	5500.00
Cervical Disc Surgery with Fusion	1650.00	6600.00
Clowrds Procedure	1100.00	5500.00
Combined Transoral Surgery and Posterior Fusion	2750.00	9350.00
Corpectomy without Instrumentation	1100.00	6600.00
Corpectomy with Instrumentation [excluding charges for Implant]	1100.00	7700.00
Cranial surgery for CSF Fistula [Rhinorrhea or Otorrhea]	1650.00	5500.00
Craniectomy for Craniostenosis	1650.00	4400.00
Cranioplasty	1100.00	5500.00
Craniotomy for Head Injury	1650.00	6600.00
Craniotomy for Parenchymal Tumours	1650.00	6600.00
Electrocarticography excluding Electrodes cost	1100.00	3850.00
Encephalocele	1100.00	2640.00
Endoscopic Surgery	550.00	6600.00
Endoscopic Ventriculostomy [failed Ventriculostomy within three months [No charges for revision]	550.00	3300.00
Endoscopic 3rd Ventriculostomy [No charge for revision of 3rd - Ventriculostomy or Shunt. Charge for Shunt tube is however extra.]	550.00	2200.00
Epilepsy surgery – Temporal Lobotomy	1650.00	6600.00
Epilepsy surgery Extratemporal Resection and other surgeries for epilepsy [excluding the grid electrodes]	2200.00	7700.00
Ext.Ventricular Drainage or Lumbar drainage[excluding drainage tube]	--	1100.00

IndiaCode

Foramen Magnum Decompression and Droplets	1650.00	4400.00
Functional Neuro Surgery [excluding CT or MRI charges]	1650.00	5500.00
Koch's spine – Anterolateral approach	1650.00	6600.00
Laminectomy for Disc – Lumbar disc Excision	1100.00	5500.00
Laminoplasty	1100.00	5500.00
Lumbar Decompression Laminectomy	1100.00	4400.00
Myelomeningococele repair	1100.00	2200.00
Orbitotomy for Orbital Tumur	1650.00	4400.00
Peripheral Nerve surgery with Nerve Graft	1100.00	6600.00
Peripheral Nerve surgery without Nerve Graft	1100.00	5500.00
POP Plaster or Ordinary	--	550.00
Posterior Fossa Caraniectomy or Suboccipital Craniotomy for Parenchymal Tumor	1650.00	6600.00
RF Lesion for Trigeminal Neuraigia	--	1650.00
Rhizotomy	--	
	4400.00	
Scalp and Skull tumor Excision	1100.00	5500.00
Shunt Revision after three months {No charges if it is - - within 3 months }	550.00	1320.00
Shunt surgery {Excluding shunt tube }	550.00	2640.00
Skull Base surgery and extra Axial Tumors {Basal Meningioma, Acoustic and other CP Angle Tumor etc.,}	2200.00	7920.00
Spinal Fusion {excluding cost of Implant}	2200.00	5500.00
Steriotaxic or CT Guilded Surgery {Excluding CT Charges}	1650.00	6600.00
Steriotaxic Biopsy {excluding CT Charge}	--	3300.00
Surgery for depressed Fracture	1100.00	3300.00
Surgery for Spinal Extramedullary Tumor	1650.00	6600.00
Surgery for Spinal Intramedullary Tumor	2200.00	9900.00
Surgery for Tethered Cord	1100.00	4400.00
Syringoperitoneal Shunt excluding Shunt Tube	550.00	2200.00
Thecoperitonial Shunt excluding Shunt tube	550.00	2200.00
Tracheostomy	-	1100.00
Trans Cranial approach to Orbital Tumor	1650.00	6600.00
Transoral approach for CVJ Lesions {transoral approach for AAD}	1650.00	6600.00
Transphenoidal Surgery	1100.00	6600.00
Tumors of Skull Vault	550.00	5500.00
Wound Debridement	275.00	1650.00
Deep Brain Stimulation	2500.00	15000.00

II. IMPLANTS:-

Aneurysm Clips Regular	8000.00	
Aneurysm Clips Fenestrated	9500.00	
4 – Contact Subdural Strip for Invasive EEG		
6 – Contact Subdural Strip for Invasive EEG		
8 – Contact Subdural Strip for Invasive EEG		
32 – Contact Subdural Strip for Invasive EEG		
Casper Plate – Charge for {Stainless steel } One Plate		
Screw – for Casperplate{stainless steel } –for one screw		
Steel Rod for Lumbar Fixation	**As per the**	
Screw for Lumbar Fixation {rod }for one screw	**actual cost**	
Steffiplate 3 level Stainless steel		
Steffiplate 4 level Stainless steel		
Screw for Steffi Plate Fixation – for one screw		
Lumber Drainage System		
Steffiplate		
Theco Peritoneal Shunt System		
Ventricular Drainage System		
VP Shunt System		

IndiaCode

III. Gamma Knife Radio Surgery **100000.00***

*** (Rs.50000=00 for BPL Patients)**

X. NIMHANS Centre for Wellbeing

Service	Charge (Rs.)
Consultation Liason Psychiatry	20 One time charge
Marital enrichment services	100 Per Session
De – addiction services	20 One time charge
Family enrichment program	100 Per Session
Stress management and life style clinic	100 Per Session
Positive mental health	100 Per Session
Adolescent stress management, parenting and occupational mental health	100 Per Session
Psychology Clinic	100 Per Session

- One time registration fee of Rs 20/- shall be charged for persons seeking service.
- BPL Card holders shall be provided free service.

SCHEDULE V

PAY SCALE OF GROUP 'A','B' AND 'C' POSTS
(See regulation 33)

SL. No.	NAME OF THE POST	Pay Band	Academic Grade Pay or Grade Pay	Remarks
	Group'A'(Faculty)			-
1	Director	80000(Fixed)	Nil	Plus non practicing allowance for Medical Personnel
2	Senior Professor	67000-79000	Nil	
3	Professor	37400-67000	10500	
4	Additional Professor	37400-67000	9500	
5	Associate Professor	37400-67000	9000	
6	Assistant Professor	15600-39100	8000	
	Group'A'(others)			-
7	Medical Superintendent	37400-67000	10000	Plus non practicing allowance
8	Principal Librarian and Information Officer	37400-67000	10000	
9	Financial Advisor and Chief Accounts Officer(Deputation)	37400-67000	8700	
10	Professor cum principal(Nursing College)	15600-39100	7600	
11	Registrar (Deputation)	15600-39100	7600	

12	Resident Medical Officer	15600-39100	7600	Plus non practicing allowance
13	Administrative Officer	15600-39100	6600	
14	Bio Medical Engineer	15600-39100	6600	
15	Clinical Pathologist (Specialist grade)	15600-39100	6600	Plus non practicing allowance
16	Deputy Financial Advisor and Chief Accounts Officer (Deputation)	15600-39100	6600	
17	Principal Private Secretary to Director	15600-39100	6600	
18	Psychiatrist (Specialist grade)	15600-39100	6600	Plus non practicing allowance
19	Reader/Associate Professor (Nursing College)	15600-39100	6600	
20	Senior Librarian	15600-39100	6600	
21	Senior Scientific Officer	15600-39100	6600	
22	Accounts Officer	15600-39100	5400	
23	Assistant Editor	15600-39100	5400	
24	Asst. Executive Engineer (Deputation)	15600-39100	5400	
25	Asst. Surgeons (deputation)	15600-39100	5400	Plus non practicing allowance
26	Computer Programmer	15600-39100	5400	
27	Data Base Administrator and Software Engineer	15600-39100	5400	
28	General Duty Medical Officer	15600-39100	5400	Plus non practicing allowance
29	Hardware and Network Engineer	15600-39100	5400	
30	Hindi Officer (Assistant Director (OL)	15600-39100	5400	
31	Lecturer (Nursing College)	15600-39100	5400	
32	Manager or Supervisor (Computer/Data Centre Operations)	15600-39100	5400	
33	Medical Physicist	15600-39100	5400	
34	Nursing Tutor	15600-39100	5400	
35	Senior Medical Records Officer	15600-39100	5400	
36	Senior Occupational Therapist	15600-39100	5400	
37	Senior Physiotherapist	15600-39100	5400	
38	Senior Veterinary Officer	15600-39100	5400	Plus non practicing allowance
39	Special Officer (Evaluation)	15600-39100	5400	
Group 'B'				
40	Clinical Instructor	9300-34800	4800	
41	Senior Private Secretary	9300-34800	4800	
42	Ward Supervisor	9300-34800	4800	
43	Assistant Accounts Officer	9300-34800	4600	

IndiaCode

44	Assistant Engineer (deputation)	9300-34800	4600	
45	Assistant Engineer (Electrical)	9300-34800	4600	
46	Assistant Administrative Officer	9300-34800	4600	
47	Hindi Translator	9300-34800	4600	
48	Junior Scientific Officer (Radiation Safety Officer)	9300-34800	4600	
49	Librarian	9300-34800	4600	
50	Medical Records Officer	9300-34800	4600	
51	Public Relations Officer	9300-34800	4600	
52	Private Secretary	9300-34800	4600	
53	Senior Hindi Translator	9300-34800	4600	
54	Staff Nurse	9300-34800	4600	
55	Accountants	9300-34800	4200	
56	Assistant Dietician	9300-34800	4200	
57	Assistant Public Relations Officer	9300-34800	4200	
58	Assistant Horticulture Officer	9300-34800	4200	
59	Chief Pharmacist	9300-34800	4200	
60	Chief Technician	9300-34800	4200	
61	Computer Programmer	9300-34800	4200	
62	Data Centre Operator	9300-34800	4200	
63	Data Entry Operator	9300-34800	4200	
64	Draughtsman	9300-34800	4200	
65	Driver (Spl. Grade)	9300-34800	4200	
66	E.E.G.Technician	9300-34800	4200	
67	Electronic Assistant	9300-34800	4200	
68	Electro Diagnostic Asst. (Neurology)	9300-34800	4200	
69	Evaluation Assistant	9300-34800	4200	
70	Junior Medical Records Officer	9300-34800	4200	
71	Junior Engineer (Civil) (includes deputation post)	9300-34800	4200	
72	Junior Engineer (Electrical)	9300-34800	4200	
73	Junior Scientific Assistant	9300-34800	4200	
74	Library Assistant	9300-34800	4200	
75	Manager	9300-34800	4200	
76	Occupational Therapist	9300-34800	4200	

IndiaCode

77	O.T.Technician	9300-34800	4200	
78	Orthotic Technician	9300-34800	4200	
79	Pharmacist (Non Functional Grade)	9300-34800	4200	
80	Physiotherapist	9300-34800	4200	
81	Proof Reader	9300-34800	4200	
82	Research Assistant	9300-34800	4200	
83	Scientific Assistant	9300-34800	4200	
84	Senior Electrician	9300-34800	4200	
85	Senior Instructor	9300-34800	4200	
86	Senior Neuroanaesthesia Technician	9300-34800	4200	
87	Senior Radiographer	9300-34800	4200	
88	Senior Technician	9300-34800	4200	
89	Speech Therapist	9300-34800	4200	
90	Senior O T Technician	9300-34800	4200	
91	Senior Photographer	9300-34800	4200	
92	Senior Scientific Assistant	9300-34800	4200	
93	Stenographer Grade-1	9300-34800	4200	
94	Supervisor Radiographer	9300-34800	4200	
95	Teacher for MR Children	9300-34800	4200	
Group 'C'				-
96	Artist	5200-20200	2800	
97	Driver (Grade - I)	5200-20200	2800	
98	Instructor	5200-20200	2800	
99	Junior Technician	5200-20200	2800	
100	Lady Supervisor	5200-20200	2800	
101	Laundry Supervisor	5200-20200	2800	
102	Legal Assistant	5200-20200	2800	
103	Neuroanaethesia Technician	5200-20200	2800	
104	Pharmacist	5200-20200	2800	
105	Photographer	5200-20200	2800	
106	Radiographer	5200-20200	2800	
107	Social Worker	5200-20200	2800	
108	Urodynamic Lab Technician	5200-20200	2800	
109	Yoga Teacher	5200-20200	2800	

IndiaCode

110	Assistant Instructor	5200-20200	2400	
111	Boiler Operator	5200-20200	2400	
112	Driver (Grade - II)	5200-20200	2400	
113	Electrician	5200-20200	2400	
114	Medical Records Technician	5200-20200	2400	
115	Mortuary Technician	5200-20200	2400	
116	Public Relations Assistant	5200-20200	2400	
117	Stenographer Grade-II	5200-20200	2400	
118	Telephone Technician	5200-20200	2400	
119	Upper Division Clerk	5200-20200	2400	
120	Baker	5200-20200	1900	
121	Carpenter	5200-20200	1900	
122	Compositor	5200-20200	1900	
123	Driver (Ordinary Grade)	5200-20200	1900	
124	Instrument Mechanic	5200-20200	1900	
125	Lower Division Clerk	5200-20200	1900	
126	Post Mortem Asst	5200-20200	1900	
127	Potter	5200-20200	1900	
128	Printer	5200-20200	1900	
129	Sheet Metal Worker	5200-20200	1900	
130	Soap Making Technician	5200-20200	1900	
131	Tailor	5200-20200	1900	
132	Weaver	5200-20200	1900	
133	Photo Copying Operator	5200-20200	1900	
134	Hospital or Office Assistant	5200-20200	1800	

India Code

SCHEDULE-VI

THE METHOD OF RECRUITMENT, AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATION, PROMOTIONAL SCHEMES ETC. OF VARIOUS POSTS IN THE NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEUROSCIENCES, BANGALORE.

[See sub-regulation (1) of regulation 34]

I. **Director**: The appointment to the post of Director shall be on tenure basis for a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years whichever is earlier. The educational qualifications, age-limit, etc. of the post are as indicated in Annexure I of this Schedule.

II. **Faculty Posts:** The Appointments to the cadres of Assistant Professors and Professors shall be by direct recruitment. Direct appointments can also be made at the level of Associate Professors and Additional Professors. The qualification, experience, etc. for the posts are as indicated in Annexure II of this Schedule. The Career Advancement of the faculty in the Institute shall be as per the Assessment Promotion Scheme, as detailed in Annexure III of this Schedule.

III. **Recruitment Rules -** The method of recruitment, educational qualifications, experience and other details for the appointment of Group 'A', Group 'B' and Group 'C' posts in the Institute are as prescribed in the Cadre and Recruitment Rules of the respective posts.

IV. **Promotion Schemes** (Non-faculty) - The various career advancement schemes available for Group 'A' (non-faculty), Group 'B' and Group 'C' employees of this Institute are as indicated below.

(i) General Duty Medical officers and Specialist Grade Medical officers:

The Dynamic Assured Career Progression (DACP) Scheme of Medical Officers in the Central Government is extended to General Duty Medical Officers and Specialist Grade Medical Officers of this Institute. Under this scheme financial up gradation is granted to Medical officers up to Senior Administrative Grade (SAG) in the grade pay of Rs.10000 on completion of specified years of regular service in each grade as detailed in Annexure III of this Schedule.

(ii) Non-Medical Scientific and Technical Officers:

Non-Medical Group 'A' Scientific and Technical officers of this Institute are granted in-situ promotions under the Department of Health (Group 'A' Gazetted Non-Medical Scientific and Technical Posts) In-situ Promotion Rules,1990 of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, as detailed in Annexure III of this Schedule.

(iii) Group 'A'(others), Group 'B' and Group 'C' Officers:

Group 'A' (not covered under any of the career Advancement Schemes mentioned above), Group 'B' and 'C' employees of this Institute are granted financial up gradations under Time Bound Promotion (TBP) Scheme. The details of the scheme are as indicated in Annexure III of this Schedule.

ANNEXURE-I

THE AGE-LIMIT AND QUALIFICATIONS FOR THE POST OF DIRECTOR, NIMHANS, BANGALORE

Name of the post	Director
Pay Scale	Rs.80,000/-(fixed) plus non practicing allowance
Age	Not exceeding sixty years. (Relaxable for Government servants or retired Government servants or serving or retired persons from autonomous or statutory institutions of State or Central Government or exceptionally qualified candidates).
Qualification	(a) A high postgraduate qualification in Medicine or surgery or Public Health and their branches; (b) twenty-five years experience in the profession including ten years of teaching and/or research experience in mental health and neuro sciences and/ or allied specialities; (c) extensive practical and administrative experience in the field of medical relief, medical education; and (d) adequate experience of running an important scientific educational institution either as its Head or Head of a Department.
Tenure of service	The appointment of Director shall be on **single** tenure basis for a period of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier. The person cannot be reappointed in the post.

Note: The Director shall be entitled to a residential accommodation within the campus.

ANNEXURE-II

QUALIFICATION AND EXPERIENCE REQUIRED FOR APPOINTMENT OF FACULTY (MEDICAL AND NON-MEDICAL) AT NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEURO-SCIENCES, BANGALORE.

Sl. No.	Name of the post and pay scale	Qualification and Experience
1.	**Assistant Professor** Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with minimum pa of Rs.30000 and Academic grade pay of Rs.8000 After three years Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) With Academic grade pay of Rs. 8700. (Plus non-practicing allowance for medical personnel)	Medical (i) M.B.B.S. with post graduate qualification of MD or MS or D.M. or M.Ch. or equivalent in the respective discipline; (ii) three years teaching and/ or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD or MS. (No experience required after obtaining D.M or M.Ch or a qualification recognised equivalent there to.) Non-Medical (i) M.Sc or MS or MSW with Ph.D or D.Sc; (ii) three years teaching and/or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining doctorate degree.
2.	**Associate Professor** Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) With minimum pay of Rs. 42800 and Academic grade pay of Rs. 9000 (Plus non-practicing allowance for medical personnel)	Medical (i)M.B.B.S. with post graduate qualification of MD. or MS. or D.M. or M.Ch. or equivalent in the respective discipline; (iii) six years teaching and/or research experience in a (iv) recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D. or M.S; or (iii) three years experience after obtaining D.M. or M.Ch. or qualification recognised equivalent there to. Non-Medical (i) M.Sc. or M.S. or M.S.W. with Ph.D. or D.Sc; (ii)six years teaching and/or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining doctorate degree.
3.	**Additional Professor** Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) With minimum pay of Rs.46000 and Academic grade pay of Rs. 9500 (Plus non-practicing allowance for medical personnel)	Medical (i) M.B.B.S. with post graduate qualification of MD or MS or D.M or M.Ch. or equivalent in the respective discipline; (ii)nine years teaching and/or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D. or M.S.; or (iii) six years experience after obtaining D.M. or M.Ch. or qualification recognised equivalent there to. Non-Medical (i) M.Sc. or M.S. or MSW with Ph.D. or D.Sc.; (ii) nine years teaching and/or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining doctorate degree.

4.	**Professor** Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) With minimum pay of Rs. 51600 and Academic grade pay of Rs.10500 (Plus non-practicing allowance for medical personnel).	**Medical** (i) M.B.B.S with post graduate qualification of MD or MS or D.M or M.Ch. or equivalent in the respective discipline; (ii) thirteen years teaching and/or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D or M.S; or (iii) ten years experience after obtaining D.M or M.Ch or qualification recognised equivalent there to. **Non-Medical** (i) M.Sc. or MS or MSW with Ph.D. or D.Sc.; (ii)thirteen years teaching and/or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining doctorate degree.
5.	**Senior Professor** Pay Scale Rs.67000-79000 (Plus non-practicing allowance for Medical Personnel)	**Medical** (i) M.B.B.S. with post graduate qualification of MD or MS or D.M or M.Ch. or equivalent in the respective discipline; (ii) thirteen years teaching and/or research experience in a recognised institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of M.D. or M.S; or (iii) ten years experience after obtaining D.M or M.Ch or qualification recognised equivalent there to. **Non-Medical** (i) M.Sc or MS. or MSW with Ph.D. or D.Sc; (ii) thirteen years teaching and/or research experience in the discipline or subject concerned after obtaining doctorate degree. Up to 40% of posts of Professors will be operated in this Higher Administrative Grade scale. Promotion to the grade will be subject to clearance of prescribed selection process.

IndiaCode

ANNEXURE-III

PROMOTION SCHEMES

A. Faculty Assessment Promotion Scheme

1.Introductory: The Assessment Promotion Scheme (APS) for Assistant Professors to Associate Professors and for Associate Professors to Additional Professors was introduced in the institute with effect from 18th July, 1992 and for Additional Professors to Professor with effect from 1st July, 2000. Consequent on introduction of revised pay scales for Central Government employees on the recommendation of Sixth Central Pay Commission, the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, revised the pay scales of faculty of autonomous institutions of medical education in their letter F.No.V-16020/57/2008-ME-1, dated 12th January, 2010. As part of this revision, the Institute bodies concerned were required to finalise suitable work standards for faculty within one year. Accordingly, the existing guidelines for promotions under the Assessment Promotion Scheme were modified based on the recommendations of a sub-committee constituted by the Director for the purpose. The guidelines for promotion under the scheme are as indicated below which was implemented in the Institute with effect from 1st July, 2010.The criteria for promotion under the scheme is as follows—

(i) Assistant Professors with three years of experience will be eligible for promotion as Associate Professor.

(ii) Associate Professors with three years of experience will be eligible for promotion as Additional Professors.

(iii) Additional Professors with four years of experience will be eligible for promotion as Professors.

The guidelines are modified as per the work standards prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India as per the Office Memorandum F.No.V-16020/57/2008-ME-1(Pt) dated15th May, 2013, as detailed below—

2.Guidelines : For the purpose of determining the work standards referred to above, Ministry of Health and Family Welfare vide letter No.V-16020/57/2008 Dated 23rd July, 2010 had constituted a Committee with Dr. Sneh Bhargava, for Director, AIIMS, New Delhi as Chairperson. The Committee submitted its report to Ministry of Health and Family Welfare on 29th October, 2011. The Report of the Committee was circulated among all the Institutions of medical education under the Department of Health and Family Welfare and further consultation was undertaken in a meeting taken by Secretary (Health and Family Welfare) on 22nd June, 2012 with the Heads of the autonomous Institutions. Subsequently, based on the commonly agreed issues, a draft office memorandum was circulated among the Heads of all the autonomous Institutions of Medical Education under this Department vide letter of even number dated 21st /25th September, 2012 seeking further comments.

3. Based on the recommendations of Dr. Sneh Bhargava Committee and the consultations held with the Institutions thereafter, the Department of Health and Family Welfare has framed guidelines in respect of the standards for faculty of autonomous Institutions of medical education under the said Department for adoption.

4. Functions of faculty and allocation of time

(1) Faculty of medical institutions under reference are usually expected to devote time to—

i. teaching and training;
ii. research;
iii. service delivery and patient care;
iv corporate activities

(2) Appointment of faculty time amongst these functions would vary from Department to Department. Therefore, Departments are to be grouped into THREE broad categories viz., the Basic Sciences Department, the Para-clinical Services Departments and the Health Care Providers or Clinical Departments. The appointment to time for faculty activities is expected to be as under:

Basic Sciences Departments	Anatomy, Physiology and Pharmacology, Biophysics, Biochemistry, Biotechnology and NMR
Teaching and Training	45 per cent of time
Research	45 per cent of time
Corporate activities *	10 per cent of time
Since teaching and research go hand in hand a 10-20% variation in time would be an acceptable norm	

Para-clinical services Departments	Pathology, Microbiology, Laboratory Medicine**
Teaching and Training	30 per cent of time
Service Delivery	30 per cent of time

Research	30 per cent. of time
Corporate activities *	10 per cent. of time

Healthcare providers/clinical Departments	Medicine and sub specialties, Surgery and sub specialties, Gynae and Obst, Radiology and Imaging and Nuclear Medicine **
Teaching and Training	30 per cent. of time
Patient Care	30 per cent. of time
Research	30 per cent. of time
Corporate activities *	10 per cent. of time
Since teaching training and health care service delivery go-hand-in-hand the captive time would be interchangeable 10-20 per cent.	

* Corporate activities include serving in various Departmental/ Institutional/ National/ Academic Committees.

** Each Institute can categorise its various Departments into these three groups according to work assigned to these Departments.

(3) Institutes would have the flexibility of altering the time allocation criterion for evaluation of performance amongst various components by 15-25 per cent. This would be formally notified by the Institute(s). The performance of faculty would be assessed against these components as per the formally assigned weight-age to each component.

5. Criteria for evaluation of performance

(1) The evaluation of faculty for promotion under the Assessment Promotion Scheme (APS) would be based on the following parameters, namely:-

(a) Teaching and Training

Evaluation shall be based on:

i. Didactic lectures delivered

ii. Participation in Departmental, Institutional, programs sponsored by National Associations and other educational Institutions, educational exercises i.e., Continuing Medical Education, Grand rounds, Seminars, Workshops.

iii. Clinical Teaching exercises

iv. Interdepartmental Teaching

v. Mentorship and Guidance provided to students for thesis work.

vi. Visiting Professorships

vii Question Bank formation

viii. Student feed back

ix. Production of teaching Material/Books/Monographs/Technical Manuals

x. Innovation in teaching methods introduced

Note: Details of the above stated activities will be maintained in a self-reporting log or proforma and would be made available to the internal screening committee.

(b) Research

(i) Subject to the flexibility allowed, 25-30 per cent. of working time should be captive time for research. This would be assessed on the following parameters and is mandatory when considering promotions of faculty.

Grants obtained

Assistant Professor	One intramural grant for an approved project of Rs.2-5 lakh per year to be provided by the Institution as seed money at the time of joining the Institutes.
Associate Professor	Extramural Grant – One
Additional Professor	Extramural grants – Two

(A) The grant could be held either as Principal Investigator or as Co-investigator.

(B) Peer reviewed ethics committee approved non funded grants would also be given the same weight-age considered for evaluation under APS.

IndiaCode

(C) Institutes other than All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, NIMHANS, Bangalore
would also establish their Scientific Advisory Committees.

(D) Institutes must introduce training courses in Research Methodology for the all faculty on mandatory basis.

(c) Publications

(i) To be considered for promotion under the APS, faculty are required, as a part of their research activities, to publish papers as under:

	Publication in Pub Med indexed journal (Mandatory)
Assistant Professor	At least 3 publications of which at least 1 should be first author
Associate Professor	3-5 papers during the assessment period of which at least 1 should be first or corresponding author original article
Additional Professor	5-7 papers during the assessment period of which at least 2 should be first or corresponding author original article.
Professor	5-10 papers during the assessment period of which at least 3 should be first corresponding author original article. The publications should be focused in a particular research area.

(ii) Evaluation of published papers would be done on the basis of,-

(A) number of papers published in -

I national journals;
II international journals;

(B) total citation index;
(C) average impact factor of journals;
(D) quality of publication(s);
(E) number of Ph.D scholars being guided would be given due credit;
(F) patents earned will be given due credit;
(G) elected membership or fellowship of medical and science academies is a desirable achievement and will be given due credit.

IndiaCode

(d) Patient Care Services

The criteria for assessment of performance in delivery of Patient Care services would be as follows:

(i) Clinical based on,-

(A) OPD's clinics attended per month;

(B) IPD duties assigned and done per month;

(C) procedures/surgeries undertaken;

(D) new techniques developed;

(E) new services started creation of diseases management programmes for care-continum;

(F) destination programs (High excellence);

(G) development of new care models or care delivery methods.

(ii) Para-Clinical based on,-

(A) work-load;

(B) new diagnostic tests or techniques introduced.

Note: Every Institution would establish departmental collegiums comprising of the Head of Department and the next two senior most faculty members in the Department for apportioning time for patient care services by individual faculty which would be communicated to the administration for record and subsequent assessment under the APS.

(e) Corporate Activities

This would include participation by faculty in activities promoting the objectives of the Institute, smooth functioning of the department(s). Faculty of national Institutes are also called upon to serve on various committees of national and international scientific, educational and health care Institutions or organisations and by Industry as well. These activities would be given due credit.

6. Processes and time schedule for promotion under APS

(1) Applications for consideration under APS shall be invited every year on the May. Applicant faculty would be asked to indicate whether he would like to make presentations of their work. Interviews of applicant faculty by the Standing Selection Committee would be organised accordingly.

(**2)** As under the Flexible Complementing Scheme, there would be two levels of screening under the Assessment Promotion as well. In addition, Peer Review of performance would also undertaken.

(3) **Internal Screening and Peer Review**

(a) An Internal Screening Committee shall be constituted for each Department/every Institution for evaluation of annual work done by individual faculty members vis-à-vis the relevant bench mark(s). A report on the work done by, the faculty would be prepared by the Committee. The resume submitted by the faculty and the report on his performance would be sent for peer review to be assessed and graded as under;

Outstanding	= A+
Very Good	= A
Good	= B+
Average = B	
Poor	= C

(b) The ACR/APAR of the relevant period would also be assessed as per extant guidelines and graded accordingly as:

Outstanding	(A+),
Very Good	(A),
Good	(B+),
Average	(B) and
Poor	(C)

(c) The ACR/APAR grading, the report on the work done and the outcome of the peer review would be submitted for consideration by the Standing Selection Committee.

(4) Screening by the Selection Committee

(a) The Chairman of the Standing Selection Committee in consultation with the Director of the Institute will select the experts to be associated with the interview from amongst the panel of experts proposed by the Department concerned.

(b) Meetings of the Selection Committee will be fixed for September every year to consider the application received from faculty.

(c) All members and experts after the interview shall individually grade the faculty from "A+"to "C", wherein-

A+ shall be treated as 'outstanding';
A shall be treated as 'Very Good';
B+ shall be treated as 'Good';
B shall be treated as 'Average'; and
C shall be treated as 'Poor'.

(d) For promotion to Associate Professor and Additional Professor, the benchmark would be 'A'

(e) For promotion from Additional Professor to Professor, the benchmark would be 'A+'

IndiaCode

7. Annual schedule to be followed for assessment promotion scheme

PROCESS TO BE FOLLOWED FOR APS EVERY YEAR

↓

Call for Applications in specific format (May)

↓

Receive completed applications (June)

↓

Refer to Internal Screening Committee (July)

↓

Refer for Peer Review (Aug)

↓

Personal Interview of candidate Standing Selection Committee (Sept. to Nov.)

↓

Declaration of result (December)

↓

Issue of promotion order (December)

IndiaCode

8. Appeals against recommendations of Standing Selection Committee

(1) In case of appeals, the Governing Body should scrutinise the appeals as to whether the same should be entertained. If any appeal or representation has a reasonable basis , the same should be referred back to the full Selection Committee for reconsideration and the experts assisting the Committee during reconsideration, should not be the same who participated in the original selection.

(**2)** The appellant should invariably be given opportunity of personal hearing by the Selection Committee.

9. Review of candidates found unfit for promotion under APS

There would be no bar or ban for consideration under APS in the succeeding year(s) in respect of candidates found unfit under APS during the first year of their eligibility.

10. Period of absence from Institute

(1) The APS requires a minimum period of service at each level before a faculty can be eligible for next promotion. Therefore, faculty members taking assignments outside the Institute would normally not be eligible for consideration under the APS unless they have put in the required years of service in the Institute. While receiving faculty for taking up such assignments, the relieving order must clearly specify whether the period of absence from the Institute would count towards eligibility under the APS or not.

(2) Period of training or service with national or international or multinational agencies dealing in health sector (services), which is treated as duty would, however, be counted for eligibility under APS.

(3) The period of leave including leave on medical grounds, extra ordinary leave, etc., availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.

(4) Child care leave of maximum six months duration would be considered for assessment purposes under APS.

B. <u>Dynamic Assured Career Progression Scheme for Medical Officers</u>

The Dynamic Assured Career Progression (DACP) Scheme of Medical Officers of Central Health Service under Ministry of Health and Family Welfare are extended to the General Duty Medical officers and Specialist Grade

Medical Officers of this Institute. Promotions under the scheme to various grades shall be without linkage of vacancies and are as indicated below:

(a) General Duty Medical Officer (GDMO)

(i) GDMO in the grade pay of Rs.5400 in pay band-3, Rs.15600-39100 on completion of four years of regular service will be promoted to Senior GDMO grade, in the grade pay of Rs.6600 in pay band-3, Rs.15600 – 39100.

(ii) Senior GDMO grade officers on completion of five years of regular service in the grade pay of Rs.6600 in pay band-3, Rs.15600 – 39100 will be promoted to Chief Medical Officer grade in the grade pay of Rs.7600 in pay band-3, Rs.15600 – 39100.

(iii) Chief Medical Officer grade officers on completion of four years of regular service in the grade pay of Rs.7600 in pay band-3, Rs.15600 - 39100 will be promoted to Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade) grade in the grade pay of Rs.8700 in pay band -4, Rs.37400 – 67000.

(iv) Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade) grade officers on completion of seven years of regular service in the grade pay of Rs. 8700 in pay band -4, Rs.37400 – 67000 will be promoted to Senior Administrative Grade in the grade pay of Rs.10000 in pay band – 4, Rs.37400 – 67000.

(b) Specialist Grade Medical Officers

(i) Specialist Grade Medical Officers in the grade pay of Rs.6600 in pay band-3, Rs.15600 - 39100 on completion of two years of regular service in the grade will be promoted to Specialist Grade (senior scale) in the grade pay of Rs.7600 in pay band-3, Rs.15600 - 39100.

(ii) Specialist Grade (senior scale) Medical officers on completion of four years of regular service in the grade pay of Rs.7600 in pay band-3, Rs.15600 - 39100 will be promoted to Specialist Grade-I grade in the grade pay of Rs.8700 in pay band -4, Rs.37400 – 67000.

(iii) Specialist Grade - I Medical officers on completion of seven years of regular service in the grade pay of Rs.8700 in pay band-4, Rs.37400 - 67000 will be promoted to Senior Administrative Grade in the grade pay of Rs.10000 in pay band -4, Rs.37400 – 67000.

C. In-situ Promotion Scheme for Non-Medical Scientific and Technical Officers

Promotion scheme under the Department of Health (Group 'A' Gazetted Non-Medical Scientific and Technical Posts) In-situ Promotion Rules,1990 of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, are extended to Group A Scientific and Technical officers of this Institute like Bio-Medical Engineer, Computer Programmer, Medical Physicist, Scientific or Senior Scientific officers and veterinary officer.

Salient features of the scheme are as indicated below:--

(1) It is personnel promotion of a candidate holding the post from the existing Scientist level to the next higher Scientist level without any change in the post or in the designation there of.

(2) Group 'A' Scientific and Technical officers possessing qualifications of Masters degree in Science or Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognised University or Institution or equivalent are eligible for promotion.

(3) A scientific or technical officer holding Group 'A' post shall be eligible for promotion up to and including the grade of Scientist - level 4 carrying a grade pay of Rs.8700 in pay band - 4, Rs.37400-67000, as follows-

(a) Scientist- level 1 officers working in the grade pay of Rs.5400 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 shall be promoted to Scientist- level 2 in the grade pay of Rs.6600 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 on completion of five years of regular service in the grade pay of Rs.5400 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 on the basis of assessment.

(b) Scientist- level 2 officers working in the grade pay of Rs.6600 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 shall be promoted to Scientist- level 3 in the grade pay of Rs.7600 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 on completion of five years of regular service in the grade pay of Rs.6600 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 on the basis of assessment.

(c) Scientist level 3 officers working in the grade pay of Rs.7600 in pay band -3, Rs.15600 – 39100 shall be promoted to Scientist- level 4 in the grade pay of Rs.8700 in pay band-4, Rs.37400 – 67000 on completion of five years of regular service in the grade pay of Rs.7600 on the basis of

assessment. Promotion to the next level of Scientist- level 5 in the grade pay of Rs.10000 in pay band - 4, Rs.37400 – 67000 also exists in limited cases.

(4) Where an officer is promoted under these rules, the grades of the immediately held by him shall stand upgraded to the next level to which he has been promoted and shall revert to the original level on the vacation of it by the officer holding it.

D. Time Bound Promotion Scheme

A Time Bound Promotion Scheme for the employees of the Institute was implemented with effect from 6th April, 1995 based on the recommendation of the Cadre Review Committee constituted by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India under the chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Health and Family Welfare. Under the said scheme the employees are granted two financial up gradations on completion of ten years and twenty years of regular service, respectively. The scheme was modified with effect from 3rd November, 2010 to grant a third financial up gradation on completion of twenty eight years of regular service. All Group 'A' (who are not covered under any other promotion schemes), Group 'B' and Group 'C' employees of the Institute shall qualify for the benefits under the scheme. Salient features of the scheme are as indicated below:

(1) Financial up gradation under the scheme shall be given to the next higher grade in accordance with the existing hierarchy in a cadre or category of posts without creating new posts for the purpose.

(2) Financial up gradation under the scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such there shall be no additional financial up gradation for the senior employee on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay scale under the Time Bound Promotion Scheme. No stepping up of pay in the pay band or grade pay would also be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the said scheme.

(3) Three financial up gradations under Time Bound Promotion scheme in the entire service of an employee shall be counted against regular promotions availed from the grade in which an employee was appointed as a direct recruit.

(4) Regular service for the purpose of Time Bound Promotion scheme shall mean the eligibility service counted for regular promotion in terms of relevant recruitment or service rules.

(5) On financial up gradation under Time Bound Promotion scheme, the pay of an employee shall be fixed under the provisions of Fundamental Rules 22(1)(a)(1).The financial benefit allowed under the said scheme shall be final and no pay fixation benefit shall accrue at the time of regular promotion.

(6) All promotion norms are to be fulfilled for the Time Bound Promotion scheme. Promotion shall not be granted under the scheme if an employee fails to qualify departmental or skill test prescribed for the purpose of regular promotion.

(7) The Time Bound Promotion scheme is applicable to all employees including the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes employees formally. Hence reservation orders and roaster shall not apply to the scheme.

(8) In the matter of disciplinary or penalty proceedings, grant of benefits under the scheme shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of relevant Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and instructions there under.

(9) Since the provisions under the Time Bound Promotion scheme are similar to erstwhile Assured Career Progression Scheme for Central Government employees, interpretations or clarifications of doubts with reference to the provisions of Assured Career Progression scheme already given by the Department of Personnel and Training will equally apply to the doubts on the provisions of Time Bound Promotion scheme.

SCHEDULE-VII

THE PROCESSING FEE TO BE CHARGED ALONG WITH EACH APPLICATION FROM CANDIDATES APPLYING FOR VARIOUS POSTS ADVERTISED BY INSTITUTE.

(See sub-regulation (3) of regulation 34)

Sl.No	Category	Processing Fee	
		General/OBC	SC/ST
1.	All Group 'A' posts including Faculty.	Rs.2000	1000
2.	All Group 'B' posts	Rs.1000	750
3.	All Group 'C' posts	Rs.750	500

Note: Indian nationals residing abroad can also apply for the posts by giving full details of educational qualifications, teaching or research experience with copies of supportive documents together with an application fee of US $25 for each application.

SCHEDULE- VIII

THE APPOINTING DISCIPLINARY AND APPELLATE AUTHORITY FOR VARIOUS POSTS IN NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEUROSCIENCES, BANGALORE

(See clause (ii) of provisio to sub-regulation (2) of regulation 41)

Sl. No	Description of the Post	Appointing Authority	Disciplinary Authority	Authority competent to impose penalties under rule 11 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Director	Institute Body (Subject to Rule 8of NIMHANS, BANGALORE, Rules 2012)	Institute Body	Institute Body-All Penalties	Central Government
2	Senior Professor, Professor, Medical Superintendent, Principal Library and Information Officer.	Governing Body (Subject to approval of Central Govt.)	Governing Body	Governing Body-All Penalties	Institute Body
3	Additional Professor and Group 'A' -Ministerial posts.	President	President	President - All penalties	Governing Body
4	Associate Professor, Assistant Professor, Group 'A' Technical posts, Group 'B', and 'C' Technical and Ministerial posts, Senior Residents, Junior Residents, Temporary posts in Research Projects on a fixed or time scale of pay from research budget.	Director	Director	Director-All Penalties	Governing Body

IndiaCode

SCHEDULE IX

ENTITLEMENT FOR ALLOTMENT OF STAFF QUARTERS AT NIMHANS CAMPUS

(See regulation 44)

Sl.No	Type of quarters	Number of quarters	Eligibility (Grade pay or pay scale) (In rupees)	Category of staff
1	Type-I	111	1800	Group 'C'
2	Type-II	114	1900,2000 2400,2800	Group 'C'
3	Type-III	124	4200,4600 4800	Group 'B'
4	Type-IV	76	5400,6600,7600 8000,8700,8900,9000	Group 'A' Assistant or Associate Professors
5	Type-V	36	9500, 10000 10500 and	Group 'A'(Senior Administrative Grade) or Additional Professors or Professors
6	Type VI	3	67000 – 79000 80000(Fixed)	Senior Professor or Director

Total number of quarters : 464

SCHEDULE- X

NATIONAL INSTITUTE OF MENTAL HEALTH AND NEURO-SCIENCES HEALTH SCHEME

(See regulation 45)

1. Introductory

NIMHANS Health Scheme (NHS) was introduced in the Institute with effect from March, 1997 with a view to provide comprehensive medical facilities to the employees and their dependent family members. Employees retired after this date had an option to join the scheme. Limited facilities are also provided to residents, full time students, contract employees, and employees retired before March, 1997. Medical facilities are provided to the beneficiaries under the scheme on the pattern of Central Government Health scheme (CGHS) on payment of contribution. NHS cards are issued to all employees and pensioners which entitle them for free treatment at National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences Health Centre (NHC) and treatment at Government Hospitals or referral hospitals. Some private hospitals and diagnostic centers have also been empanelled under the scheme where beneficiaries can go based on the referral from Medical Officer, NHC. However in case of emergency the beneficiaries can approach the empanelled hospital directly, and can produce the referral letter from NHC within forty eight hours. These hospitals or

diagnostic centers provide treatment or diagnostic facility to the beneficiaries at CGHS approved rates. The reimbursement of expenditure incurred in private empanelled hospital will be limited to the maximum of CGHS or NHS rates. However, the expenditure incurred in Government hospitals will be reimbursed as per actual.

2. Persons eligible

The following members are eligible to avail medical facilities under the Scheme:

(i) All regular employees of National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences including deputationists and their dependent family members.

(ii) Employees retired after March, 1997 and their dependent family members, who have opted for the scheme. Retiring employees should exercise their option within one month of their retirement.

(iii) Family pensioners who are dependents of the deceased NHS beneficiary.

Following limited facilities (for self only) are also available to residents, full time students, employees retired before March, 1997, and employees appointed on contract if they request for the benefit:

(i) Free consultation or treatment at NIMHANS Hospital or NHC and medicines available at NIMHANS will be issued to them.

(ii) Free in-patient treatment at NIMHANS in appropriate wards commensurate with their salary or stipend or pension.

(iii) Free investigations and diagnostic procedures available at NIMHANS including CT scan and MRI, advised by consultants of NIMHANS only and not by outside consultants.

Free drugs on outpatient basis shall not be issued. They are not eligible for any medical reimbursement facilities.

3. Membership of the scheme

The membership of the scheme is compulsory for all the regular employees. The benefit under the scheme commence from the date on which NHS card is issued to the employee. However, the contribution at the appropriate rate would be recovered as soon as a person joins NIMHANS service, whether the NHS Card is issued or not.

Where both husband and wife are NIMHANS employees, contribution will be deducted normally from the employee who is getting higher pay and he can prefer claims for self and eligible members of the family, according to the status of the claimant. A joint declaration as to who will prefer the claim should be furnished. The option given in the declaration can be changed as and when necessary depending on change in circumstances, such as promotion, resignation, retirement, etc.

A female employee can include her parents or parents-in-law at her option for availing the benefits under the scheme subject to fulfilling the conditions of dependence and residence. In case both husband and wife contribute towards NHS, the parents of both will be entitled to the medical facilities, if they fulfill other conditions of eligibility.

An employee, whose spouse is serving in any organisation, which provides medical facility to its employees and members of their family, can opt out of NHS and avail of medical facilities from the organisation in which his spouse is working. In such cases, the employee shall have to give a written declaration that he will not be claiming any medical facility from NHS. The employee need not make any contribution towards NHS in such cases.

Such of the employees, who have opted out of NHS, may apply for re-admission and avail the benefit of NHS in case their spouse dies or resigns or is dismissed from the organisation, which provided medical facilities.

4. Pensioners settled outside Bangalore

Pensioners or family pensioners retired after March, 1997 and who are members of NHS, but settled outside Bangalore can avail in-patient medical facilities at CGHS recognised hospitals. However, the medical reimbursement would be restricted to the prevailing CGHS rates and the treatment should be taken at cities or towns where CGHS facility exists after following all the prescribed formalities.

5. Contribution recoverable

A compulsory monthly contribution from regular employees and one time lump sum contribution from pensioners who opt for the scheme as detailed below are recoverable under the scheme.

(a) Regular employees

(i) Contribution at the rate of one per cent. of basic pay i.e., pay in the pay band plus grade pay and NPA(where ever applicable) from monthly pay bills of all employees.

(ii) During the period of suspension, contribution shall be recovered from subsistence allowance subject to the condition that the difference shall be recovered if the suspension period is subsequently regularised as duty or leave.

(iii) Contributions shall be payable for the leave period (other than extra ordinary leave), if the period does not exceed four months. If the period of leave exceed four months, the employee can opt not to contribute, in which case NHS facility will not be admissible.

(iv) Contribution for full month shall be payable if the initial appointment is made with in first fifteen days of a month.

(v) At the time of retirement, contribution for the full month shall be recovered, if retirement takes place during the last fifteen days of the month. However, the recovery is waived if retirement takes place during the first fifteen days.

(b) employees on contract who opt for the scheme shall contribute 0.5 per cent. of their monthly salary for availing of the benefit for self.

(c) Pensioners

Contribution to be made by the pensioners or family pensioners is at CGHS slab rates based on the grade pay drawn by them at the time of retirement or death. Pensioners and family pensioners who opt for the Scheme have to make one time contribution equivalent to ten years (120 months) subscription at the following rates based on their grade pay as indicated below and get a permanent or whole life NHS pensioner card.

Sl.No.	Grade pay drawn at the Time of retirement or death	Contribution per month
1.	Up to Rs.1650 per month	Rs. 50
2.	Rs.1800, Rs.1900, Rs.2000, Rs.2400 and Rs.2800	Rs.125
3.	Rs.4200	Rs.225
4.	Rs. 4600, Rs.4800, Rs.5400, and Rs.6600	Rs.325
5.	Rs. 7600 and above	Rs.500

Contributions for periods less than ten years will not be accepted.

(d) Employees on extension of service or re-employment after retirement

Employees on extension of service or on re-employment after retirement shall pay normal contribution as in the case of serving employees for availing NHS facilities. The period of extension of service or re-employment of such persons and the contribution paid by them during that period will not count towards one time contribution payable for whole life.

(e) Refund of contribution

In case of permanent shifting of residence by the NHS pensioner beneficiary out of Bangalore, refund of one time contribution made will be allowed after adjusting the contribution for the years for which the benefit was availed of. The pensioner has to make application for this purpose and surrender the NHS identity card to personal or staff section.

6. Dependant family members

(a) Dependant family members of an employee or pensioner can avail of medical facilities under NHS, if they are normally residing with him and their income from all sources including pension (before commutation) and pension equivalent of death cum retirement gratuity benefit does not exceed Rs.3,500 plus dearness allowance on the basic pension of Rs.3500 per month. The condition of dependency is not applicable to spouse and the spouse is automatically included for medical benefits under NHS.

b) A declaration regarding income and the residence of dependant should be furnished by the employee concerned once in the beginning of every calendar year. Personnel or Staff Section shall watch the declaration furnished by the employees and take steps to delete the names of ineligible dependant from NHS card, based on the declaration.

(c) Family:The term "family", for the purpose of availing of NHS benefits includes-

(i) husband or wife;

(ii) parents and step mother (In case of adoption, adoptive parents and not real parents. (In case of female employees, either her parents or parents-in-law at her option, but such an option is not available to a female family pensioner as she can avail medical facilities only for the dependents of the deceased NHS beneficiary);

(iii) children including legally adopted children or step children limited to two and in case of son, till he starts earning or attains the age of twenty five years, or gets married whichever is earlier, and in case of daughter till she starts earning or gets married, whichever is earlier irrespective of age;

(iv) sons suffering from permanent disability either physically or mentally irrespective of age limit.

Note 1: The disability mentioned herein means – (a) blindness; (b) low vision; (c) leprosy cured; (d) hearing impairment; (e) locomotor disability; (f) mental retardation; or (g) mental illness.

Note 2: Permanent disability means a person with eighty per cent. or more of one or more disabilities;

(v) widowed daughters and dependant divorced or separated from their husband (irrespective of age);

(vi)sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed (irrespective of age-limit);

(vii) minor brothers.

(c) Addition to the family

Addition to the family may be allowed in the following circumstances, namely: –

(i) marriage of the NHS beneficiary requiring inclusion of spouse's name;

(ii) birth of a child; or

(iii) parents becoming dependants. .

(d) Deletion of the name of an ineligible dependant:

It is the responsibility of the employee concerned to apply for the deletion of the name of a dependant from the NHS card, when the dependant is no more entitled to the benefit eligible under the scheme in the following circumstances; namely:-

(i) death of the eligible member in the family;

(ii) divorce of spouse;

(iii) a member becoming ineligible on account of becoming outside the scope of dependency due to marriage, securing job, change of residence, etc.

The failure to do so is a good and sufficient reason for initiating disciplinary proceedings against the employees concerned in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

7. NHS Card

(a) The benefits of NHS accrue to an employee from the date of issue of the NHS card. NHS cards of different colors are issued to serving employees and pensioners. Stamp size photographs of the beneficiary and his dependant family members will be affixed on the card duly attested by the officer issuing the card. Children below five years are exempt from the requirement .The cost of photograph will beborne by the beneficiary.

(b) Residents and full time students are also issued NHS card of a different color with photograph on collection of one hundred rupees from them.

(c) Employees should surrender their NHS identity Card to the authority who issued the card on retirement, resignation or on being relieved from the Institute.

(d) The pensioners availing of the facilities are required to change their family photograph in every five years and get the identity card renewed by the authority issuing the card.

(e) The medical officer, NHC may insist on the production of NHS card by the beneficiaries during each visit in order to ensure that the facility is not mis-used by ineligible dependants.

(f) Replacement of mutilated card : If an identity card gets mutilated, the card holder shall apply to the issuing authority for issue of duplicate card along with the mutilated card and photograph. The issuing authority shall issue a duplicate card in such case bearing the number of original card. If the request for a duplicate card is made within five years of issue of original (mutilated card) the card holder shall be liable to pay one hundred rupees as its charges. However no charges shall be payable, if the card was issued more than five years back.

(g) Loss of card - In case of loss of card, the beneficiary should lodge a complaint with the police and also report the matter to Medical Officer In charge of NHC and to the authority who issued the card. A duplicate card shall be issued in such cases on receipt of an application by the beneficiary along with the following documents:

(i) copy of the complaint lodged with the police about the loss of original card;

(ii) copy of First Information Report from police station;

(iii) challan for a sum of one hundred rupees towards issue of duplicate card along with the photograph of the beneficiary and his dependant family members.

8. Medical facilities under NHS

(1) NIMHANS Health Scheme provides medical services at the level of NHC, Government hospitals and referral hospitals, besides treatments at certain private hospitals recognised by NHS (empanelled hospitals).

(2) NHS beneficiaries and their eligible family members can avail outpatient care facilities at NIMHANS Health Centre. Specialist consultation also is available to them from visiting Honorary Consultants in the following specialties on specified date and timings.

Speciality

1. Neuro Ophthalmology
2. Orthopedics
3. E.N.T
4. Endocrinology
5. Obstetrics & Gynecology

Free supply of drugs prescribed by the Medical Officer or Honorary Consultants, administration of injections or dressing or minor surgical procedures, etc. are provided at Health Centre.

(3) NHS has recognised certain hospitals and diagnostic centers in Bangalore, which are empanelled under CGHS for central Government employees. The services of those private hospitals will be available to NHS beneficiaries in addition to the Government hospitals in Bangalore. The beneficiaries are required to produce the NHS Card issued to them and obtain referral from Medical Officer, NHC to avail the facilities in the approved hospitals. However, in case of emergencies, they may contact the hospitals directly, producing the NHS Card and obtain the referral letter within twenty four to forty eight hours. The approved hospitals would be charging for the services provided by them as per the CGHS approved rates. The expenditure incurred in excess of the limits prescribed, has to be borne by the beneficiary. The Medical Officer, NHC, should obtain an undertaking to this effect from the beneficiaries in the prescribed form before referring them to recognised private hospitals. The beneficiaries are required to make payment to the hospital and claim reimbursement from the Institute later.

(4) With effect from the 16th May,2012, a CASH LESS SERVICE is introduced for in-patient treatment at the empanelled hospitals. Under this scheme empanelled hospitals will not insist on payment from the beneficiary. They will send the bill to the authorised Bill Clearing Agency who, after scrutinising the bill, will authorise NIMHANS to release payment to the hospital concerned.

9. Hospital accommodation

(1) NHS beneficiaries admitted in NIMHANS Hospital are entitled for the following types of accommodation, namely:-

Category		**Type of ward**
(a) Faculty and Group 'A' Officers	-	Special Ward – single bed
(b) Group 'B' and 'C'	-	Special Ward – sharing.
(c) Group 'C' employees in the grade pay of Rs.1800.	-	General

In case the entitled ward for an employee is not available at the time of admission, he shall be admitted to the next higher category of ward with the prior approval of Medical Superintendent.

(2) The entitlement of accommodation in private hospitals recognised under NHS is based on pay or pension drawn as indicated below:

Ward Entitlement	**Pay in the pay band or pension or Family pension drawn per month**
1) General Ward	Up to Rs. 13,950/-
2) Semi-Private Ward	Rs.13, 960 to Rs.19, 530
3) Private Ward	Rs.19540 and above

(3) The monetary ceiling for determining the entitlement of nursing home facilities in Central Government or State Government or Municipal hospitals is pay in pay band or pension or family pension of Rs.13, 950 per month and above.

(4) **Free diet:** NHS beneficiaries shall be entitled for free diet during hospitalisation. The monetary ceiling for free diet is pay or pension or family pension of 7450 per month. It is also extended to the beneficiaries undergoing treatment for T.B., Leprosy, Mental illness, Cancer and HIV/AIDS, Renal dialysis therapy, Thalassemia in Central Government hospitals, subject to the condition that free diet will be restricted to those drawing their pay in pay band- 1 or retired from a post which now carries pay in pay band- 1 and further subject to monetary limit of Rs.11160 per month.

10. Indoor treatment at private hospitals and package deal rates:The procedure for indoor treatment at recognised private hospitals and the package deal rates shall be as prescribed by Government of India for CGHS beneficiaries from time to time.

11. Reimbursement of air- conditioning charges

NHS beneficiaries are entitled for air-conditioning charges or expenses as heating arrangement subject to the following conditions, namely:-

(a) treatment should be undertaken in a Government hospital or NHS recognised private hospital;

IndiaCode

(b) treating Medical Attendant should certify that the air conditioned room or heating arrangement is absolutely essential for patient's treatment or is a normal part of

hospital amenities to all private wards.

12. Reimbursement of the cost of the disposable surgical sundries

(1) NHS beneficiaries are entitled to reimbursement of cost of disposable surgical sundries as per CGHS norms subject to the condition that the treating specialist or doctor certify that the disposable surgical sundries were essential as part of treatment.

(2) The surgical sundries mentioned here includes those surgical subsidiaries as are used in surgical and other operations which cannot be reused, and not common surgical material like gauze, bandages, leucoplast, cotton, crepe bandage, etc., which are supplied from the hospitals.

13. Reimbursement of blood transfusion charge

NHS beneficiaries are entitled to reimbursement charges on blood transfusion subject to the condition that the treating physician certifies that the specific blood group was not available in the hospital and the charges of blood are comparable with rates of Red Cross, State or Central Government hospitals.

14. Supply of medicines

(1) Utmost economy should be exercised by the Medical Officer, NHC while prescribing medicines. Where medicines of lesser cost but of equal therapeutic value are available, only those should be prescribed. The following procedures are prescribed for the supply of medicines to NHS beneficiaries for outpatient treatment, namely:-

(i) the Medical Officer, NHC shall arrange to dispense the drugs available at NHC;

(ii) in respect of drugs not available at NHC, the Medical Officer, NHC shall issue the prescription in the prescribed form in duplicate and then the NHS beneficiary may submit the copies of prescription at the medical store maintained by the Janatha Bazar (KCCF Unit) at NIMHANS premises and collect the medicines without making any payment;

(iii) in case of non availability of medicines at the Medical Stores, Janatha Bazar, the beneficiary may handover the prescription to them and the medical stores, Janatha Bazar, will arrange to purchase the medicines locally and supply it to the beneficiary at the earliest;

(iv) cost of medicines purchased by beneficiaries from outside is not reimbursable;

(v) in respect of drugs prescribed by Honorary Consultants or Specialists of NHS recognised hospitals, the beneficiaries may obtain fresh prescriptions from the Medical Officer, NHC in the prescribed form in duplicate and the same procedure as above to collect the medicines from the Medical Stores of Janatha Bazar may be followed;

(vi) supply of medicines through NHC in respect of treatments for diseases like cancer, heart, neuro surgery, organ transplant and hip or knee replacement, etc. shall be allowed on the basis of the prescription provided by the specialist of the hospitals recognised under NHS subject to the condition that a utilisation certificate is obtained from the concerned treating specialist from time to time;

(vii) besides, cost of Out Patient Department medicines for post-operative cases of major cardiac surgery or cardiology, oncology cases, post operative organ transplant cases or joint replacement cases or major neuro surgical or neurology cases is allowed to be reimbursed provided a utilisation certificate from the treating specialist is obtained and the initial treatment has been taken with prior permission of competent authority in a Government or private recognised hospital;

(viii) NIMHANS Health Clinic will issue medicines up to one month at a time to patients suffering from chronic illness like diabetes, tuberculosis, heart ailments, hypertension, IHD, epilepsy, etc., and in exceptional cases, Medical Officer, NHC can issue medicines for a period up to three months at a time to such patients provided the specialist has prescribed the medicines for a longer period;

(ix) issue of same medicines beyond three months requires review by Specialist or Consultant, and if the Specialist or Consultant recommend the continuation of same medicines, Medical Officer, NHC can issue the medicines to the beneficiaries for period exceeding three months and such reviews may be conducted in every three months;

(x) Medical Officer, NHC should refer the cases for review by Consultant or Specialist, at least once in three months, where the medicines prescribed by them earlier are continued for longer periods, to find out whether any changes are required, and in cases of chronic illness such as diabetes, tuberculosis, heart ailments, epilepsy, hypertension, etc. where the Specialist or Consultants has prescribed medicines for longer periods, the necessity of conducting such reviews may be insisted at the discretion of the Medical Officer, NHC.

(2) Inadmissible Medicines

A list of inadmissible medicines are circulated by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, which includes preparations classified as foods, preparations commonly used as tonics, expensive drugs, laxatives or other elegant and proprietary preparations. The Medical Officer, NHC, should not prescribe such medicines to the beneficiaries. Though the list of medicines circulated by the said Ministry is not exhaustive, the Medical Officer, NHC has to take a decision whether a particular medicine or preparation falls under any of the broad categories specified in the list and not to prescribe them. Accounts section, while scrutinising the claims for reimbursement, should see that the claims for such medicines are not admitted.

(3) In patient treatment

In cases of inpatient treatment in NHS recognised hospitals, reimbursement of expenses including cost of medicines as per NHS Rules will be made to the beneficiaries.

15. General

Orders issued by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, from time to time with regard to specialised tests and treatments and other procedures in respect of Central Government employees under CGHS shall also apply to the beneficiaries under NHS.

[F.No. V. 18013/08/2012-PH-I]
Ms. SUJAYA KRISHNAN, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.